लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

PRICE : TWO RUPEES

विषय सूची/CONTENTS

अंक 37, गुरुवार, 12 अप्रैल, 1973/22 चैत्र, 1895 (शक)/8 8 73

No. 37, Thursday, April 12, 1972/Chaitra 22, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	*ORAL ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
702. बंगला देश की सरकार द्वारा युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाए जाना	Trial of War Criminals by Bangladesh Government	1-3
703. पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on settlement of East and West Pakistan Refugees. ..	3-4
704. पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता	High Level Talks with Pakistan ..	5-7
705. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों द्वारा आन्दोलन	E. S. I. Doctors' Agitation ..	7-8
707. 'मक्का में भारतीय तिरंगे का न फहराया जाना' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News-items "Indian Tri-colour absent at Mecca".	8-9
709. गैर सरकारी नियंत्रण के आधीन खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mines under Private Control.	9-10
710. इस्पात के आयात के बारे में गुजरात सरकार का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध	Gujarat Government's approach to Centre Re : Import of Steel. ..	10-11
713. श्रमिकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी	Officers Appointed to Entertain Complaints of Workers.	12
715. पाकिस्तान सेना द्वारा खाली किए गए क्षेत्र में पुनर्वास	Rehabilitation of Territory Vacated by Pakistani Armed Forces. ..	13-14
718. चौथी योजना में भारी उद्योग के लक्ष्यों को पूरा करना	Fulfilment of Fourth Plan Targets in Heavy Industry.	14-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
701. शिमला समझौते की क्रियान्विति	Implementation of Simla Agreement..	15

*किसी नाम पर अंकत यह + इस बात का द्योतिक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
706.	लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करना	Revival of International Control Commission in Laos.	15
708.	ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण की घटना के बारे में रिपोर्ट	Report on Incident of Attack on Indian High Commission in U.K...	15-16
711.	मजगांव डाक/रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा महाराष्ट्र के औद्योगिक न्याधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित न किया जाना	Non-implementation of Industrial Tribunal Award of Maharashtra by Mazagon Dock/Deptt. of Defence Production.	16
712.	बिहार की 80 कोयला खानों का निजी खान मालिकों के हाथ में होना	80 Collieries of Bihar Still Under Private Mine Owners.	16
714.	असम्बद्ध मजदूरों संघों द्वारा हड़ताल	Strikes by unaffiliated Unions	17
716.	संयुक्त राज्य अमरीका की इस्पात बेलन कारखाने के निर्माण सम्बन्धी तकनीकी जानकारी उपयोग न करने से हानि ..	Loss due to Non-use of USA Know-how for Fabrication of Steel Rolling Mills	17-18
717.	1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए अथवा अपंग हुए जवानों/अधिकारियों के परिवारों की सहायतार्थ बनाई गई योजना की क्रियान्विति पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on implementing the Scheme to Assist Families of Jawans/Officers killed or Disabled in Indo-Pak War, 1971. ..	18-19
719.	कम्पयूटरों का प्रयोग	Use of Computers	19
720.	नये विमान के लिए विकसित किये गए इंजनों के लिए आवश्यक अधिकांश पुर्जों का आयात	Import of Substantial Portion of Requirements of Engine Developed for a New Plane	19
अता० प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
6850.	बर्ड एंड कम्पनी को डायमड ड्रिलिंग के लिए ठेका	Diamond drilling Contract to Bird & Co.	20
6851.	नेशनल केडिट कोर का पुनर्गठन करने सम्बन्धी उच्च समिति प्राप्त शक्ति का गठन	Constitution of High Power Committee Re-Organisation of NCC ..	20
6852.	दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र में उच्च कोटि की इस्पात चादरों का उत्पादन	Production of High Standard Steel Sheets at Durgapur Alloy Steel Plant.	20-21
6853.	अक्साईचिन पर भारत के रवैये का सोवियत संघ द्वारा समर्थन	Soviet Support to India's Stand on Aksai-Chin.	21
6854.	गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक	Meeting of Non-Aligned Nations	21
6855.	सेगोन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव	Proposal to post a Senior Officer at Indian Consulate in Saigon.	21-22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
6856.	बिहार के पालामऊ जिले में हूनटार कोयला क्षेत्र को हानि	Loss in Huntar Coal Field, District Palamau, Bihar.	22
6857.	कर्मपुरा और डाल्टनगंज कोयला क्षेत्रों के अभिरक्षक को पेश किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Custodian of Karanpura and Daltangunj Coal Fields.	22
6858.	सोवियत संघ में भारतीय दूतावास पर व्यय	Expenditure on Indian Embassy in USSR.	22
6859.	डर्बन स्थित भारतीय बाजार में आग लगना	Fire at Indian Market in Durban. ..	22-23
6860.	लोह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposits.	23
6861.	मध्य प्रदेश के कोयला खनिकों को बूट और हेलमेट देने की व्यवस्था	Provision of Boots and Helmets for Coal Miners in M.P.	23
6862.	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के कोयलाखान श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage of Coal Mines Workers in Chhindwara, M.P. ..	23-24
6863.	मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को तांबा खानों के कार्य में हुई प्रगति	Progress in Working of Copper Mines in Balaghat District Madhya Pradesh	24
6864.	माईनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन दुर्गापुर का उत्पादन कार्यक्रम	Production Programme of MAMC, Durgapur.	24
6865.	भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की सउदी अरब की यात्रा	Indian Delegation's visit to Saudi Arabia.	25
6866.	नई दिल्ली की बसन्त बिहार रिहायशी कालोनी के 'माडर्न बाजार' में विदेशी वस्तुओं की बिक्री	Sale of Foreign Goods in "Modern Bazar" residential colony. Vasant Vihar, New Delhi.	25
6867.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के हेतु दवाएं खरीदने के लिए इलाहबाद में दुकानें	Shops of Allahabad from where Defence personnel can purchase Medicines.	25-26
6869.	अजमेर में सरकारी क्षेत्र में मशीन टूल निर्माण उद्योग	Machine Tool Manufacturing Industry in Public Sector in Ajmer. ..	26
6870.	पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों की गृह-निर्माण समिति के लिए भूमि	Land for House Building Society of Employees of Department of Rehabilitation.	26-27
6871.	बंगला देश के लिए माल डिब्बे	Wagons for Bangladesh. ..	27
6872.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले का इसके साधनों के अध्ययन के लिए चुना जाना	Udaipur District of Rajasthan selected by the Directorate General of Employment and Training for Carrying out Study of its resources. ..	27-28
6873.	महाराष्ट्र स्थित इस्पात संयंत्र को बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) लेजाया जाना	Shifting of Steel Plant from Maharashtra to Bulandshahr (U.P.).. ..	28

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
6874.	पाकिस्तान के साथ तनाव रहित स्पष्ट सीमा का प्रस्ताव	Proposal for Soft Border with Pakistan.	28
6875.	बंगलादेश के शरणार्थियों के लिए केन्द्रीय राहत समिति	Central relief committee for Bangladesh Refugees.	28-29
6876.	कोयला बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त पत्र में लगाए गए आरोप	Letter received containing allegations against officers of Coal Board. ..	29
6877.	कोहिनूर वापिस लाने के लिए ब्रिटेन के साथ बातचीत	Talks with U. K. to bring back Kohinoor.	29
6878.	सरकारी क्षेत्र के कार्य में सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve working and performance of Public Sector Projects. ..	29
6879.	इस्को-स्टान्टन पाइप एंड फाऊन्डरी उज्जैन	IISCO Stanton Pipe and Foundry Ujjain.	29-30
6880.	भारत, युगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य में जहाज बनाने के उद्योग के बारे में सहयोग	Collaboration in Aircraft Industry among India, Yugoslavia and Egypt.	30
6881.	युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए नाविक	Sailors captured by India and Pakistan during War.	30
6882.	हैवी इंजीनियरिंग सर्विस में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी	SC/ST Employees in Heavy Engineering Service.	30-31
6883.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए पृथक सेल	Separate Cell for SC/ST Employees in Heavy Engineering Corporation...	31
6884.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड/हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा भारी बिद्युत उपकरणों का उत्पादन	Production of Heavy Electrical Equipment by B.H.E.L/H.E.L.	31-32
6885.	उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के कारण मजदूरों की छंटनी	Retrenchment of Labourers on account of Power Shortage in U.P. ..	32
6886.	पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता देना	Recognition of Bangladesh by Pakistan	32
6887.	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को रिहा करने सम्बन्धी कुवेत राष्ट्रीय एसेम्बली का प्रस्ताव	Kuwait National Assembly resolution for Release of Pakistani POW'S ..	32-33
6888.	भारत और पाकिस्तान क बीच विमान उड़ानों को पुनः आरम्भ करने में पाकिस्तान की रुचि न होना	Pakistan not keen for resumption Air Flights between India and Pakistan..	33
6889.	कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं	Medical Benefits to workers under ESI.	33-34
6890.	गुजरात राज्य के लिए इस्पात की आवश्यकता	Steel Requirements of Gujarat State..	34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
6891.	राकेट और प्रक्षेपणास्त्र के क्षेत्र से बिड़ला इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालौजी की क्षमता	Potential of Birla Institute of Technology in field of Rocketary and Missiles. ..	34-35
6893.	नागपुर क्लाथहाऊस, पटना के कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लाना	Covering of Nagpur Cloth House Patna under E.P.F. Act.	35
6894.	मैसर्स आजाद ट्रांसपोर्ट एजेंसी पटना को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत लाना	Covering of M/s Azad Transport Agency, Patna under the EPF Act..	35-36
6895.	मैसर्स डुढ़वाला ब्रादर्स, मुजफ्फरपुर को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना	Covering of M/s Dudhwala Brothers Muzzaffarpur under the EPF Act..	36
6896.	अमरीका के साथ सम्बन्धों में सामान्यता लाना	Normalising Relations with USA	36
6897.	सम्बद्ध यूनियनों द्वारा की जाने वाली हड़ताल	Strikes by Affiliated Unions	36-37
6898.	सप्लाई के माल का आयात	Import of Supplies	37
6899.	पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई	Supply of US Arms to Pakistan	37
6900.	कोयला खानों के नए प्रबन्ध के अधीन कर्मचारियों और श्रमिकों को संरक्षण	Protection to Staff and Workers in the New Management of Coal Mines ..	38
6901.	बंगलादेश के शरणार्थियों की वापसी	Return of Bangladesh Refugees	38
6902.	सेवा निवृत होने वाले कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को असैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने सम्बन्धी योजनाएं	Schemes to Reorient Retiring Commissioned Officers to needs of Civilian Life.	39
6903.	पाकिस्तान द्वारा खाली किए गए भारतीय क्षेत्र तथा भारत द्वारा खाली किए गए पाकिस्तानी क्षेत्र	Indian Territory vacated by Pakistan and Pakistan Territory vacated by India.	39
6904.	दण्डकारण्य परियोजना द्वारा बसाये गए आदिम जातीय और विस्थापित व्यक्तियों की संख्या	Tribal and Displaced persons settled by Dandakaryana Project ..	39-40
6905.	दण्डकारण्य में बसाए गए आदिवासी और विस्थापित व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनायें	Scheme proposed for Tribal and Displaced persons settled in Dandakaranya.	40
6906.	सोनावेड़ा में "मिग" कारखाने की स्थापना से विस्थापित हुए आदिम जातीय व्यक्तियों को मुआवजा और रोजगार देना	Payment of Compensation and Employment of Tribals displaced by MIG Factory at Sunabeda	40-41
6907.	मध्य प्रदेश में कारखानों के मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधी की राशि जमा न कराया जाना	Non Deposit of Employees Provident Fund by Factories in Madhya Pradesh.	41
6908.	मध्य प्रदेश में इस्पात रोलिंग मिल्स	Steel Rolling Mills in Madhya Pradesh.	41

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
6909.	देसी जस्ते के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of indigenous Zinc.	41
6910.	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक वर्ग के लिए भर्ती नियम	Recruitment Rules for instructional Staff of Technical Training Centre...	42
6911.	केन्द्रीय केम्प में स्टाफ की नियुक्ति	Posting of Staff in Kendry Camp. ..	42
6912.	माना कैम्प समूह के कर्मचारी	Mana Group of Camp Employees. ..	42
6913.	गुजरात में आटो इन्डस्ट्रीज की स्थापना	Setting up of Auto Industries in Gujarat.	43
6914.	अपंग भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार	Jobs to disabled Ex Servicemen	43
6915.	सरगीपल्ली, उड़ीसा का खनन पट्टा	Mining Lease Sarjipalli, Orissa.	43
6916.	कोकिंग कोल की किस्म और कोक साफ करने की सुविधाओं में सुधार	Improvement in quality of Coking Coal and Coke Washery Facilities...	43-44
6917.	इन्डोनेशिया के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भारतीयों को सम्मानित करना	Honours to Indians for Role in Indonesian Independence Struggle..	44
6918.	सैनिक विमान बनाने में आत्म-निर्भरता	Self Reliance in Production of Military Aircraft.	44
6919.	हिन्द महासागर में ब्रिटिश-अमरीकी शक्तियों द्वारा सैनिक और नौसैनिक अड्डे बनाना	Military and Naval Bases by Anglo-American Powers in Indian Ocean. ..	45
6920.	हिन्द-चीन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कार्यकलाप	Activities of International Control Commission for Indo-China. ..	45
6921.	दुर्गापुर और राऊरकेला इस्पात कारखानों के विस्तार के लिये विशेषज्ञ समिति	Expert Committee for Expansion of Durgapur and Rourkela Steel Plants.	45
6922.	दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का राजनीतिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ जाना	Political Isolation of India in South-East Asia.	46
6923.	मैसर्स. मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के कलकत्ता स्थित स्टाक यार्ड का अधिग्रहण	Take over of M/s Martin Burn and Co. Stock yard at Calcutta	46
6924.	कोल सप्लाई में बी गवर्नमेंट मोनोपली (कोयला सप्लाई पर सरकार का एकाधिकार हो सकता है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Item Captioned 'Coal Supply may be Government Monopoly' ..	46-47
6925.	सशस्त्र सेनाओं के क्रिया कलापों के समन्वयन और निर्देशन के लिये सेना अध्यक्षों की समिति	Committee of Chiefs of Armed Forces for Coordinating and Directing the activities of Armed Forces. ..	47
6926.	इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया कलकत्ता द्वारा इस्पात के 'बल्क' आयात का अनुरोध	Bulk Import of Steel urged by Engineering Association of India, Calcutta.	47-48

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
6927.	भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों और असैनिकों के परिवारों के साथ तबादले के लिये बंगाली परिवारों की सूची	List of Bengali Families for Exchange with Families of P.O.Ws and Civilians Detained in India.	48
6928.	फतेहगढ़ शिविर (उत्तर प्रदेश) से पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों का भागना	Escape of Pak P.O.Ws from Fatehgarh Camp, U.P.	48
6929.	सेना कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement age of Armed Personnel.	49
6930.	बेनदूबी, हाशीमाड़ा, दार्जिलिंग, कुरसिओंग और गोहाटी के सप्लाई केन्द्रों में ड्रेसड मीट,' 'हूफड मीट', आलू तथा हरि सब्जियों की टेंडर में दी गई दरें	Tender rates of Dressed Meat, Hoofed Meat, Potatoes and Green Vegetables in Bendoobi, Hashimara. Darjeeling Kurseong and Gauhati Supply Centres.	49
6931.	पूर्वी कमांड की मांस, सब्जियां और भोज्य पदार्थों की सप्लाई के लिये पूंजीकृत ठेकेदार/सहकारी समितियां	Registered Contractors/Co-operative Societies for supply of Meat Vegetables and edible to Eastern Command.	49
6932.	सक्रिय सेवाओं से छटनी शुदा अपंग सैनिक	Disabled Army Men retrenched from Active Services.	49
6933.	साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation in HEC Ranchi after Communal Riots. ..	49
6934.	विदेशों में भारतीय दूतावासों में रिक्त पदों का भरा जाना	Filling up of Posts lying vacant in Indian Embassies Abroad. ..	50
6935.	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	Violation of Cease Fire Line by Pakistan.	50
6936.	जातियों के नाम के आधार पर भारतीय सेना की रेजिमेंटों के नाम	Names of Regiments of Indian Army on basis of Castes ..	50
6937.	दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान साहसपूर्ण कार्यों के लिये शौर्य पुरस्कार देना	Grant of Gallantry Awards to Telecommunications Employees for Heroic Role in Indo-Pak War 1971.	50-51
6938.	अमरीका के पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के निर्णय को नेपाल का समर्थन	Nepalese Support to US decision of Supplying Arms to Pakistan.	51
6939.	कोयले की मांग और उत्पादन	Demand and Production of Coal.	51-52
6940.	नमक श्रमिकों को मजूरी	Wages of Salt Workers.	52
6941.	देश में रक्षा सेवा आवास सहकारी समितियां	Defence Service Housing Cooperatives in the country.	52
6942.	दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में दौरा	Journeys on Tour in Dandakaranya Project Area.	52-53
6943.	दण्डकारण्य परियोजना के उमेरकोट अस्पताल के रोगियों को खुराक	Diet to Patients of Umerkote Hospital of Dandakaranya Project. ..	53
6944.	'टेलको' और ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के कर्मचारियों का दमन	Victanisation of Workers of Telco and Tube Company, Jamshedpur. ..	53

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
6945.	बेल्लारपुर कोयला खानों (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/निलम्बन/सेवा से हटाया जाना	Transfers/Suspensions/removal of Employees of Ballarpur Collieries (Maharashtra).	53-54
6946.	सीमावर्ती क्षत्रों के हिन्दू निवासियों की पाकिस्तान वापसी	Return of Hindu residents of Border Areas to Pakistan.	54
6947.	इस्पात बैंक के उद्देश्य	Objectives of Steel Bank.	54
6948.	विभागीय आधार पर चल रहे उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेना	Workers participation in Management of Departmentally run undertakings.	55
6949.	बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट	Report of the Expert Committee on Unemployment.	55
6950.	ट्रेक्टर और शक्तिचालित हल उद्योग के लिये लाईसेंस व्यवस्था समाप्त करना	Delicensing of Tractor and power tiller Industry.	55
6951.	तांबे के उत्पादन में आत्म निर्भरता	Self-Sufficiency in copper productions.	55-56
6952.	छोटी कारों के निर्माण के लिये आशय पत्र जारी करना	Issue of letters of intent for manufacture of Small Cars.	56-67
6954.	भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन	Installed capacity and actual production in public sector undertaking under Ministry of Heavy Industry ..	57-58
6955.	कोयला खानों में दुर्घटनाएं रोकने के उपाय	Devices for eliminating tragedies in coal mines.	58
6956.	अन्धेरी बरसोवा रोड, बम्बई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अर्धनिर्मित क्वार्टर	Half built ESIC quarters at Andheri-Versova Road, Bombay.	58-59
6957.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बम्बई के कोषाध्यक्ष द्वारा गबन	Embezzlement by Cashier of E.S.I.C. Bombay.	59
6958.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कर्सचारियों का पश्चिमी बंगाल को स्थानान्तरण	Transfer of ESIS personnel to West Bengal. ..	59
6959.	उत्तर प्रदेश में इस्पात पर आश्रित उद्योग	Industries dependent on Steel in U.P.	59-60
6960.	चालू वर्ष में खान उद्योगों को बिजली की कमी के कारण हानि	Loss to mining industries due to power shortage during current year. ..	60
6961.	भारत में राकेट, मिजाइल और जलगत शस्त्रों के विकास के लिये अनुसंधान	Research for developing Rocketry Missiles and under water weaponary for India.	60
6962.	वीरता के लिये शौर्यचक्र का दिया जाना	Award of Shaurya Chakra for acts of bravery.	60-61
6963.	श्रीनगर के निकट बड़ गाम में मिग -21 विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	Air Crash of MIG 21 near Badgam, Srinagar. ..	61
6964.	कोयले के भण्डार बनाने की योजना	Scheme to set up coal dumps.	61

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
6965.	ढाका में भारतीय राजनयिक के घर पर डकैती	Robbery at Indian Diplomat's House in Dacca.	61-62
6966.	भारी उद्योग के लिये तकनीकी विशेषज्ञों का ब्रेन ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Brain Trust of Technical Experts for Heavy Industry. ..	62
6967.	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में विस्फोट	Explosions in taken over Collieries. ..	62
6968.	हिमालय की सीमा पर लगाये गये रेडार	Radars installed on Himalyan Borders.	62
6969.	युद्ध पोतों के डिजाईन तैयार करने तथा निर्माण करने में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रगति	Progress regarding self-sufficiency in designing and Building of warships.	62-63
6970.	पाकिस्तान को क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तार	Extension in Territorial Water Limit of Pakistan.	63
6971.	कथरा कोयला खान, बिहार में हड़ताल	Strike in Kathra Coal Mine, Bihar. ..	63
6972.	ब्लिस्टर ताम्बे के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Blister Copper.	63-64
6973.	भारत द्वारा अमरीका से राडारों तथा संचार उपकरणों की खरीद	Purchase of Radars and Communication Equipment by India from USA.	64
6974.	विदेशों से भारतीयों का निष्कासन	Eviction of Indians from Foreign Countries.	64
6975.	स्टैनलैस स्टील की आवश्यकता	Requirement of Stainless Steel.	64-65
6976.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सस्ते तथा छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of cheap and small Tractors for Hill Areas. ..	65
6977.	नियंत्रण में ली गई कोयला तथा तांबा खानों के मुआवजे के लिये शेयरहोल्डर एसोसिएशनों से अभ्यावेदन	Representations from Shareholders Association regarding Compensation for taken over Coal and Copper. Mines.	65
6978.	पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिल्ली में कृषि भूमि का आबंटन	Allotment of Agricultural Land in Delhi to Refugees from Pakistan. ..	65
6979.	बंगला देश के मामले पर भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिये विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल	Delegations sent Abroad to Express India's stand on issue of Bangladesh.	65
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	66
	विदेशी तेल कम्पनियों की आयातित कच्चे तेल के मूल्य में और वृद्धि करने की कथित मांग	Reported demand by foreign oil companies for further increase in crude Price.	66-70
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Paid on the Table.	70
	प्राक्कलन समिति--- चौतीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश---प्रस्तुत किये गये	Estimates Committee--Thirty-fourth Report and Minutes--*Presented* ..	70

ग्रता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos विषय	Subject	पृष्ठ Page
लोक लेखा समिति ग्रठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Public Accounts Committee-Eightieth Report—*Presented.*	71
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings–	71
तीसवां ग्रौर तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये	Thirtieth and Thirty-third Reports—*Presented.*	71
याचिका समिति ग्यारहवां ग्रौर बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये	Committee on Petitions–Eleventh and Twelfth Reports—*Presented.* ..	71
समितियों के लिए निर्वाचन—	Elections to Committees	71
(i) प्राक्कलन समिति	(i) Estimates Committee..	71
(ii) लोक लेखा समिति	(ii) Public Accounts Committee ..	72
(iii) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	(iii) Committee on Public Undertakings.	72
दिल्ली में टेक्सटाईल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के बारे में	Re. Strike by Textile Workers in Delhi.	73
दुबरान ग्रौर ग्रहमदाबाद स्थित बिजलीघरों को ग्रार०एफ०ग्रो० की कम मात्रा में सप्लाई करने के बारे में	Re. Reduced Supply of R.F.O. to Dhuvaran and Ahmedabad Power Plants.	74
गुजरात के विद्युतचालित करघा उद्योग को यार्न की सप्लाई न होने के सम्बन्ध में	Re. Non-supply of Yarn to Powerloom Industry in Gujarat.	74
ग्रनुदानों की मांगें, 1973-74—	Demands for Grants, 1973-74—	75
सिंचाई ग्रौर विद्युत मन्त्रालय	Ministry of Irrigation and Power. ..	75
श्री बालगोबिन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma.	75
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri.	77
श्री बी० ग्रार० शुक्ल	Shri B.R. Shukla.	78
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar.	78
श्री ई० वी० विखे पाटिल	Shri E.V. Vikhe Patil.	78
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra.	79
सदस्य का निधन (श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र)	Death of Member. (Shri Teja Singh Swatantra)	79

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 12 अप्रैल, 1973/22 चैत्र, 1895 (शक)
Thursday, April 12, 1973/Chaitra 22, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बंगला देश की सरकार द्वारा युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाए जाना

+

***702. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश सरकार ने युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाने के लिए सभी प्रबन्ध कर लिए हैं जो अप्रैल, 1973 तक पूरे हो जाएंगे ।

(ख) यदि हां, तो क्या बंगला देश सरकार ने भारत सरकार को उन युद्धबंदियों के नामों की कोई सूची भेजी है जिन पर मुकदमा चलाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनके अलग-अलग रैंक क्या हैं और क्या भारत सरकार ने मुकदमा चलाए जाने के लिए इन व्यक्तियों को बंगला देश सरकार को सौंप दिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इन युद्ध बंदियों द्वारा बंगला देश और भारत की संयुक्त कमान के समक्ष हथियार डाले एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है । उन्होंने क्योंकि बंगला देश और भारत की संयुक्त कमान के समक्ष हथियार डाले थे, क्या इन युद्ध-बन्दियों पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्णय किया गया है, जिस प्रकार से न्यूरेमबर्ग मुकदमें के लिए 'चार्टर आफ लण्डन' प्रक्रिया निर्धारित की गई थी । उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए जायेंगे । मिलिटरी न्यायाधिकरण का गठन क्या होगा ? क्या भारत को उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ? इन सभी औपचारिकताओं का बहुत महत्व है । क्या इन युद्ध-बन्दियों पर मुकदमे के लिए इन सब उपरोक्त बातों का निर्णय हो गया है, क्योंकि उन्हें भी पूरा न्याय प्राप्त होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई दलील नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास ब्यौरे उपलब्ध नहीं है । आप ने ब्यौरे नहीं पूछे थे ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूछ रहे है ।

श्री स्वर्ण सिंह : उनके दोषों और मुकदमे की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय करना मुख्य रूप से बंगला देश सरकार का काम है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है । क्योंकि इन कैदियों ने बंगला देश और भारत की संयुक्त कमान के समक्ष आत्म समर्पण किया था । अतः भारत भी इस सारे मसले में एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इन कैदियों के मुकदमे में हमें भी एक पक्ष होना चाहिए । क्या इस दृष्टि से कोई विचार किया गया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : हां, इस दृष्टि से बहुत विचार किया गया है । हमारा निर्णय यह है कि हम बंगला देश सरकार से सहयोग करेंगे । यदि वह सरकार बंगला देश में किए गए अपराधों के कारण इनमें किन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलाना चाहती है, तो यह उस सरकार का उत्तरदायित्व है और वही इस बात का निर्णय करेगी कि किस प्रकार से मुकदमे चलाए जाएं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : हाल ही में जब श्री हक्सर बंगला देश गए थे, तो उन्होंने वहां की सरकार से इस विषय में बातचीत की । जन संहार के अरोप के अतिरिक्त क्या इन कैदियों पर बंगला देश की स्थापित सरकार के विरुद्ध आक्रमण का भी आरोप लगाया जायेगा, क्योंकि बंगला देश सरकार की स्थापना 10 अप्रैल, 1971 को हुई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री हक्सर ने बंगला देश सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत नहीं की । माननीय सदस्य वह जानकारी चाहते हैं जो न तो मेरे पास उपलब्ध है और न ही जिसके मेरे पास होने की सम्भावना है, क्योंकि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रारम्भिक जांच करना मुख्य रूप से बंगला देश सरकार का काम है । यह अपराध बंगला देश के भीतर उस देश के अधिकार क्षेत्र में किए गए थे, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ उसके विषय में पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं होगा ।

डा० रानेन सेन : जब पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसम्बर, 1971 को भारत और बंगला देश की संयुक्त कमान के समक्ष आत्म समर्पण किया तो यह कहा गया था कि संयुक्त कमान ने राव फरमान अली तथा अन्य लोगों के बारे में कुछ दस्तावेज पकड़े हैं । बाद में, अभी हाल में भारतीय समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ कि बंगला देश सरकार ने जनरल नियाजी एवं राव फरमान अली तथा कुछ अन्य कैदियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया है । क्या इन मामलों के बारे में भारत सरकार के पास कोई जानकारी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं । हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री से कोई उत्तर प्राप्त करना बहुत कठिन है ।

एक माननीय सदस्य : अस्पष्ट उत्तर ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government of Bangla Desh had written to the Government of India about the number of prisoners to be tried and principles behind these trials ? Whether the trials would be held in India or Bangla Desh ? Whether the Bangla Desh Government has sent any communication in this regard ?

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने अभी हमें यह सूचित नहीं किया कि कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना है, क्योंकि अभी जांच ही पूरी की जा रही है । मुकदमे भारत में नहीं चलाए जाने हैं । क्योंकि ये बंगला देश में किए गए अपराधों के कारण हैं और यदि बंगला देश सरकार युद्ध-बन्दियों पर मुकदमे चलाने का निर्णय करती है तो ये मुकदमे बंगला देश में चलाए जायेंगे ।

Shri R. S. Pandey : May I know whether the Bangla Desh took any action for taking India into confidence while preparing the charge sheets as the Pakistani Army had surrendered before the joint command? If so, what? Secondly, may I know how many prisoners are there and what expenditure we are incurring on them?

Mr. Speaker : The question of expenditure is not relevant. First question is all right.

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक आरोप पत्र की बात है, यह तय हुआ है कि बंगला देश सरकार द्वारा जांच पूरी कर लिए जाने और यह निर्णय कर लिए जाने के उपरांत कि अमुक अमुक युद्ध-बन्दी के विरुद्ध स्पष्ट आरोप है, हम उनसे सहयोग करेंगे और उन कैदियों का हस्तान्तरण उन्हें करना चाहेंगे । हम जांच कार्य के साथ अपने को सम्बन्ध नहीं करना चाहते क्योंकि यह मुख्य रूप से उनका उत्तरदायित्व है ।

जहां तक खर्चे का प्रश्न है, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं । अत: मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

Shri Jharkhande Rai : In view of the fact that question of prison of war is not a problem between India and Pakistan but now it is becoming an international problem and in view of the fact that an Islamic conference was also held to consider this problem and which passed a resolution about this problem and it is in the knowledge of the Government of India. May I know whether in the talks since held between the Governments of India and Bangla Desh this aspect was considered that those prisoners may be freed who are not involved and as such are not likely to be tried ?

श्री स्वर्ण सिंह : युद्ध-बन्दियों के निपटारे का प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में हमने कहा है कि अन्तिम समझौता बंगला देश और भारत दोनों के समझौते से हो सकता है । वही स्थिति अब भी है ।

माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि इस्लामिक सम्मेलन में युद्ध-बन्दियों के बारे में कुछ बातचीत हुई थी हम इस प्रकार के व अन्य किसी प्रकार के सम्मेलन में बातचीत व विचार व्यक्त करने पर रोक नहीं लगा सकते । परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है वे पूर्णतया असम्बद्ध है । उक्त प्रकार के किसी संगठन को हमें सलाह देने अथवा कुछ करने को कहने का कोई अधिकार नहीं है । यह एक ओर पाकिस्तान और दूसरी ओर बंगला देश और भारत के बीच का मामला है । मेरे विचार से सभी जानते हैं कि भारत इस बारे में किसी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं करेगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस समस्या का उचित न्याययुक्त और सन्तोषजनक दल ढूढंने की आवश्यकता नहीं समझते। इस मामले पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।

पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास पर खर्च की गई धनराशि

***703. श्रीमती माया राय :** क्या श्रम और पूनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों और पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों को मुआवजे के रूप में क्रमश: कितनी धनराशि मिली; और

(ख) पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों को पूरी तरह से पुनर्वास के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में और कितनी धनराशि आबंटित की जानी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : 28 फरवरी, 1973 तक उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके सत्यापित दावे थे, मुआवजे के रूप में और विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्होंने दावे दर्ज नहीं किए या जो भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से बाद में आए थे, पुनर्वास अनुदान के रूप में 191.28 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है ।

अप्रैल, 1950 के नेहरु-लियाकत समझौते के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के मालिकाना अधिकार रखते है और वे अपनी सम्पतियों को अपनी इच्छानुसार बेच, बदल या निपटा सकते है । अत: उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

(ख) समस्या की विशालता को ध्यान में रखते हुए, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में व्यवस्था की जाएगी ।

श्रीमती माया राय : क्योंकि नेहरू लियाकत अली समझौता अन्तत : असफल सिद्ध हुआ, अत: उसका सहारा लेना व्यर्थ है । इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों द्वारा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी सम्पत्ति के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला और क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए ये विस्थापित सरकार से अथवा किसी अन्य

वित्तिय संस्था से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि जिस भूमि पर उनका कब्जा है, उस पर उन्हें कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं है, तो क्या स्वतन्त्रता के इस रजत जयंती वर्ष में सरकार की प्रत्येक विस्थापित परिवार को तोहफे के रूप में मकान के लिए विकसित भूखण्ड देने की कोई योजना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इन व्यक्तियों को देश के विभन्न राज्यों में बसाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्रीमती माया राय : जहां तक पश्चिमी प्रदेश का संबंध है 19 पूरे नये उपनगर तथा विद्यमान नगरों एवं शहरों के उपनगरों के रुप में 136 कालोनियां स्थापित हुईं जिनमें स्कूल, अस्पताल, बाजार तथा औद्योगिक केन्द्रों सहित सभी नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं । यह सब पुनर्वास मंत्रालय के प्रकाशनों के अनुसार है । अतः क्या सरकार की अगले पांच वर्षों में पूर्वी प्रदेश के लिए विकास के उक्त मानक उपलब्ध करने की कोई योजना है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार इन व्यक्तियों के पुनर्वास की योजनाएं बना रही है और अगली पंचवर्षीय योजना में इसका प्रयास किया जा रहा है ।

श्रीमती जयोत्सना चंदा : माननीय मंत्री के उत्तर से जहां तक में समझ सकी हूं, स्पष्ट है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की सहायता के लिए पंचवर्षीय योजना में कोई योजना तैयार नहीं की गई है । क्या सरकार पांचवी योजना में ऐसे विस्थापितों के संबंध में विचार करेगी जो कि आसाम में और विशेष रूप से जिला कूच बिहार में हैं और भारतीय चाय सगंठन की असफलता के परिणाम स्वरूप जिनको फिर से बसाया नहीं जा सका था ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विशेष रूप से जिला कूच बिहार के संबंध में ब्यौरे नहीं दे सकता । परन्तु जहां तक पांचवी योजना का संबंध है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, समस्या के इस पहलू के संबंध में योजना तथा गैर योजना व्यय की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री समर मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री को पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में कोई बृहत योजना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जी, हां । सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से 144 करोड़ रुपये के व्यय की एक बृहत योजना प्राप्त हुई है । बृहत योजना पुनरावलोकन समिति को निर्देशित की गई है और हम पुनरावलोकन समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : माननीय सदस्य ने आश्वासन दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान के अभागे विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पांचवी योजना में कुछ दिया जाएगा । क्या में जान सकता हूं कि सरकार ने इन अभागे विस्थापितों, जो कि पश्चिम बंगाल की अस्थिर जनसंख्या है और उक्त राज्य में राजनैतिक खलबली उत्पन्न कर रहे हैं, के पुनर्वास के लिए योजना तैयार करने में इतना अधिक समय क्यों लिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए हर उपाय करती रही है । मैंने कई अवसरों पर स्पष्ट किया है । जहां तक पांचवीं पंच वर्षीय योजना का संबंध है, जैसा कि मैंने बताया है, इस समस्या के हल के लिए योजना तथा गैर योजना व्यय की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Settlement claims of West Pakistan Refugees, specially refugees from Sind, are pending for many years. Whether efforts would be made to dispose them expeditiously ? By what time these would be finalised ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों का संबंध है, समस्या मुख्य रूप से हल हो गई है और जहां तक कुछ थोड़े से परिवारों की समस्याएं हल होनी हैं, उन्हें हल करने के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है ।

श्री मोहम्मद खुदाबख्श : क्या शरणार्थियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान---अब बंगला देश---में छोड़ी गई सम्पत्तियों के मूल्य पर तदर्थ आधार पर 25 प्रतिशत अदायगी करने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित कर ली गई है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस संबंध में मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

+ पाकिस्तान के साथ उच्चस्तरीय वार्ता

*704. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री के० लक्प्पा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15, मार्च 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' म "हाई लेवल टाक्स विद पाक साट (पाकिस्तान के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की इच्छा)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने आस्ट्रेलिया के संवाददाता को यह कहा है कि इन दो देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए भारत उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की इच्छा रखता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने भी यही इच्छा व्यक्त की है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : आस्ट्रेलियाई पत्रकार से इस विषय पर मेरी जो बातचीत हुई, वह सदन में पहले दिए गए मेरे वक्तव्य के अनुरूप है। मैंने बराबर यह कहा है कि आपसी समस्याएं सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता का सरकार स्वागत करेगी। हमारा दृष्टिकोण यह है कि शिखर वार्त्ता के लिए अन्य स्तरों पर विचार विमर्श द्वारा यथेष्ट तैयारी की जानी चाहिए ताकि जब शिखर वार्त्ता हो तो उसके वांछित परिणाम निकल सकें। अब तक, अधिकारी स्तर की वार्ता का कोई सुझाव पाकिस्तान ने नहीं दिया है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री जेड० ए० भुट्टो शिमला समझौते को कार्यान्वित न करने के लिए हमेशा भारत पर दोषारोपण करते रहे हैं। परन्तु हम अनुभव करते हैं कि पाकिस्तान रास्ते के बीच में खड़ा है और शिमला समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। शिमला समझौते के बारे में अनुभव को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे यह अनुभव करते हैं कि नहीं, कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए एक एकमुश्त समझौता आवश्यक है और यदि वे ऐसा समझते हैं, तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने युद्ध बन्दियों को मुक्त करने से पूर्व पाकिस्तान के साथ निपटाये जाने वाले विषयों के ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया है ?

श्री सर्वण सिंह : इसमें कोई शक नहीं कि एकमुश्त समझौता प्राप्त करना बहुत ही बांछनीय बात होगी और किया भी जा सकता है। परन्तु इसके साथ ही एकमुश्त समझौते के बिना समस्याओं को न सुलझाना भी अकलमन्दी नहीं होगी। जो कुछ भी हल किया जा सके वही सामान्यीकरण की दिशा में एक कदम होगा और इसलिए उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिये।

प्रश्न के पहले भाग के उत्तर को देखते हुए दूसरे भाग का उत्तर देना जरूरी नहीं है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या एकमुश्त समझौते के अन्तर्गत लाये जाने वाले विषयों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ? मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों का शिमला समझौते में उल्लेख किया गया है और दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि इनको शक्ति के प्रयोग के बिना आपसी समझौते द्वारा हल किया जाना चाहिये।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकतर मामले शिमला समझौते में उल्लिखित हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगला देश को मान्यता, पाकिस्तान में रोके गए बंगला देश शरणार्थियों को मुक्त करना, शरणार्थियों के लिए मुआवजा, युद्ध मुआवजा आदि जैसे विभिन्न मामलों का शिमला समझौते में वर्णन है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शिमला में भारत और पाकिस्तान के मामलों पर चर्चा हुई थी और शिमला समझौता ही पाकिस्तान और भारत के मामलों के बारे में था। मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिमला की बैठक के लिए आते समय चंडीगढ़ पहुंचने से पूर्व राष्ट्रपति भुट्टों ने कहा था कि वे बंगलादेश के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में भारत की भूमि पर बातचीत नहीं करना चाहेंगे। हमें बंगला देश से भी एक संदेश प्राप्त हुआ था कि बंगला देश सरकार भी नहीं चाहती कि हम बंगला देश और पाकिस्तान संबंधी मामलों पर बातचीत करें। अतः पाकिस्तान तथा बंगला देश दोनों द्वारा स्पष्ट किए

गए मत के अनुसार, इन्हीं कारणों से, बंगला देश को मान्यता और माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखत कुछ मामलों जैसे प्रश्नों पर शिमला में विचार विमर्श अथवा समझौता न हो सका। उसके साथ ही हमने यह स्पष्ट किया कि बंगला देश को मान्यता देना केवल वास्तविकता को मान्यता देना है और इस दृष्टि से शिमला में इस विषय पर विचार हुआ था । मुझे याद है कि मैंने पहले एक वक्तव्य दिया था कि पाकिस्तान ने इस प्रकार का संकेत दिया था कि बंगलादेश को मान्यता न देना स्वयं पाकिस्तान के हित में नहीं है। यह स्पष्ट संकेत था। इसके होते हुए भी मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। किसी देश को स्वयं अपने हित की ओर दृष्टि फेरने को बाध्य करना भी कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : युद्ध बन्दियों के लिए मुआवजा और बंगला देश के शरणार्थियों के लिए मुआवजा और युद्ध मुआवजे की स्थिति क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन मामलों पर विशेष चर्चा नहीं हुई थी। इनमें से कुछ मामलों पर चर्चा हुई थी, परन्तु मैं इस समय उनके ब्यौरे में नहीं जाना चाहूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 'मदरलैण्ड' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान, भारत और बंगला देश के बीच एक लघु-शिखिर वार्ता होने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और यदि हां, तो इस बैठक में किन विषयों पर विचार किया जायेगा।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि 'लघु शिखिर वार्ता' से क्या तात्पर्य है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अधिकारी स्तर की बैठक।

श्री स्वर्ण सिंह : वे इसी बात को आसान शब्दों में इस प्रकार पूछ सकते थे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारियों के स्तर की बैठक होने की संभावना है ? हम हमेशा ही इस प्रकार की बैठक के पक्ष में रहे हैं परन्तु मेरे लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि कोई बैठक नियत की गई है अथवा उक्त बैठक के संबंध में कोई बातचीत हुई है। बंगला देश सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वे तब तक किसी वार्ता में सम्मिलित नहीं हो सकेगी जब तक उक्त वार्ता प्रभुसत्ता की समानता के आधार पर न हो. अर्थात् जब तक कि पाकिस्तान द्वारा बंगला देश की स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता को मान्यता न दे दी जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को बगंला देश सरकार से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों का पाकिस्तान में रोके गये बंगालियों से विनिमय किया जायेगा और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पिछले प्रश्न के साथ सम्बद्ध होता। यह प्रश्न पाकिस्तान के साथ उच्च-स्तरीय वार्त्ता के बारे में है।

श्री स्वर्ण सिंह : स्पष्ट है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : भावी उच्च-स्तरीय वार्त्ता में क्या मंत्री महोदय पहले के पश्चिमी पाकिस्तान से निकाले गए शरणार्थियों को मुआवजे का प्रश्न उठायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं बाद में किसी समय उठाये जाने वाले विषयों के बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता। परन्तु, इस समय, कई ऐसे तात्कालिक मामले हैं जिन्हें पहले हल किया जाना होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : आज के 'पेट्रियट' में प्रकाशित हुए एक समाचार के अनुसार बगंला देश के विदेश मंत्री शीघ्र ही यहां आने वाले हैं जबकि उनके साथ पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों के प्रश्न पर चर्चा की जायेगी। क्योंकि बंगला देश सरकार ने पहल करके यह कहा है कि वे युद्ध-बन्दियों को छोड़ने को तैयार हैं यदि पाकिस्तान रोके गए बंगालियों को छोड़ दे; क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बगंला देश के विदेश मंत्री के साथ इस बारे में बातचीत की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए समाचार के बारे में है।

श्री एस०एम० बनर्जी : बंगला देश के विदेश मंत्री युद्ध बन्दियों के संबंध में वार्त्ता के लिए यहां आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहिले ही बताया है कि यह प्रश्न 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के समाचार के बारे में है और मंत्री महोदय ने विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दे दिया था।

श्री स्वर्ण सिंह : बंगला देश के विदेश मंत्री द्वारा दिल्ली की यात्रा पर आने की संभावना है। मैं ठीक समय नहीं बता सकता क्योंकि बंगला देश सरकार के मंत्री अपनी संसद के कार्य में व्यस्त हैं। समाचार पत्रों के अनुसार उन की संसद द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। अतः उनके आने की तिथि संसदीय कार्य से समय निकालने पर निर्भर करेगी। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वार्ता से पूर्व वे इस बात को न पूछें कि किन विषयों पर वार्त्ता होगी।

श्री एस०एम० बनर्जी : मैं केवल समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का उदाहरण दे रहा हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समाचार पत्रों को इस प्रकार के समाचार छापने से नहीं रोक सकता। यह बुद्धि के अनुमान हैं। जब बंगला देश के विदेश मंत्री यहां पर आएंगे तो उनसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह संकेत देना उचित नहीं होगा कि किन विषयों पर चर्चा होगी अथवा किस प्रकार की चर्चा होगी। यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। और न ही बंगला देश के विदेश मंत्री के प्रति उचित ही होगा कि हम विचार विनिमय के विषयों के बारे में पहले संसद में चर्चा करें।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों द्वारा आंदोलन

+

***705. श्री शशि भूषण :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टर कुछ समय से आन्दोलन कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : (क) और (ख) दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के डाक्टर उनको कर्मचारी राज्य बीमा भत्ते की बाबत 100 रुपये प्रति माह की अदायगी की वापसी से संबंधित प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में कुछ समय तक आन्दोलन करते रहे।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 17 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और कर्मचारी राज्य बीमा भत्ते की अदायगी को फिलहाल जारी रखना स्वीकार कर लिया।

Shri Shashi Bhushan : Doctors working under GSI were getting an allowance of Rs. 100/-but that had been stopped and now it is being reviewed. Doctors are demanding Rs. 200/-. May I know what is proposed to be given to them ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : ई०एस०आई० डाक्टरों को ई० एस० आई० भत्ते के रूप में 100 रुपये दिये जा रहे थे। इसे बन्द नहीं किया गया परन्तु यह सिफारिश की गई थी कि 100 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। यह सिफारिश स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने की थी परंतु निगम, जिसने इस मामले पर विचार किया, इस सिफारिश से सहमत नहीं हुआ। अतः 100 रुपया जो दिया जा रहा था, अब भी दिया जा रहा है।

जहां तक 100 रुपये और देने की बात है, वह तत्काल ही उत्पन्न नहीं होती, परंतु फिर भी उसकी जांच की जायेगी।

श्री के० एस० चावड़ा : दिल्ली में नियुक्त ई० एस० आई० डाक्टरों को प्रतिदिन 200 रोगियों को देखना पड़ता है और उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे काम करना पड़ता है। इससे उनमें असन्तोश उत्पन्न हुआ है और डाक्टर अलोकप्रिय हुए हैं, जबकि उनकी कोई गल्ती नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टरों में व्याप्त असन्तोश को समाप्त करने के लिए सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : इसी का तो उन्होंने उत्तर दिया था। 100 रुपये दिये जाने के बारे में प्रश्न उठाया गया था और उन्होंने उत्तर दिया।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह मामला अब सरकार के ध्यान में लाया गया है और इसकी जांच की जायेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह आन्दोलन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है यह सारे भारत में फैला है और मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच है कि "पेनल" डाक्टर निजी प्रैक्टिस करने के लिए स्वतन्त्र हैं और जो डाक्टर 'सेवा पद्धति' पर नियुक्त हैं उन्हें निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है। अतः इस असमानता और भेदभाव को सरकार का किस प्रकार दूर करने का विचार है ? क्या सरकार 'सेवा पद्धति' के डाक्टरों को वेतन में अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ई० एस० आई० द्वारा नियुक्त डाक्टरों को अन्य डाक्टरों की तुलना में 100 रुपये अतिरिक्त दिये जाने के निम्नलिखित कारण हैं :

1. निजी प्रैक्टिस से मनाही।
2. रिहायशी आवास न देना।
3. रोगियों के घरों में जा कर उन्हें देखने का उत्तर-दायित्व।
4. बीमा वाले व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की उच्च दर्जे की चिकित्सा।
5. बहुत अधिक दक्षता वाला कार्य जिसमें कुशलता, धैर्य और सहनशीलता की अपेक्षा रहती है।

इन कारणों से उन्हें अतिरिक्त 100 रुपये दिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट कर दिया है।

'मक्का में भारतीय तिरंगे का न फहराया जाना' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

+

*707. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "मक्का में भारतीय तिरंगे का न फहराया जाना" (इण्डियन ट्राई क्लर एबसेंट एट मक्का) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। हज़ के दौरान मक्का में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था क्योंकि इस अवसर पर अन्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहराए गए थे।

श्री जगन्ननाथ मिश्र : माननीय मंत्री के उत्तर को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मक्का सरकार ने राष्ट्रों द्वारा अपना ध्वज फहराने पर कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है। यदि हां, तो सरकार का इसे हटवाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यदि नहीं, तो सिद्धांत रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए था। चाहे अन्य राष्ट्रों ने अपना ध्वज नहीं फहराया।

क्योंकि यह अनुशासन का भंग है और वहां पर नियुक्त हमारे दूतावास अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में असफलता है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मक्का में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के न फहराये जाने के बारे में हमारे दूतावास का कोई दोष नहीं है।

जहां तक वहां लागू होने वाले नियमों का संबंध हैं, यह कहना बहुत कठिन है, परन्तु यदि कोई नियम है तो वे सभी देशों पर लागू होते हैं। मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि अन्य वेशों के राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं

फहराए गये थे। यह भेदभाव की बात नहीं है और केवल भारत को ही अपना ध्वज फहराने की अनुमति न देने की बात नहीं है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ ? क्या इसमें कोई कानूनी बाधाएं हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस बारे में कोई मतभेद अथवा झगड़ा नहीं है। प्रथानुसार ये ध्वज वहां पर नहीं फहराये जाते। कोई भी देश वहां पर अपने ध्वज नहीं फहराता।

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान सहित।

श्री जगन्नाथ मिश्र : इस प्रश्न पर मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को यह पता चला है कि यात्रियों द्वारा दान में दिया गया धन देशों में ठीक प्रकार से नहीं बांटा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ? आप ध्वज के बारे में पूछ रहे थे। अब आप धन के बटंवारे की बात कर रहे हैं। यह किस प्रकार उससे सम्बद्ध है ?

श्री जगन्नाथ मिश्र : मक्का में विश्व भर से तीर्थयात्री जाते है। वहां पर वे दान में धन देते हैं। इसलिए यह उचित है कि उस धन का उपयोग सारे विश्व में मानवीय कार्यों के लिए हो।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि यह सम्बद्ध प्रश्न नहीं है। आपने ध्वज के बारे में पूछा अब आप धन के बटंवारे की बात कर रहे हैं—

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या सरकार उक्त धन के समुचित बटवारे के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय सगंठन के गठन के पक्ष में है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गई है अतः मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं ? विश्व के सभी भागों से मक्का में तीर्थयात्री जाते हैं। यदि दान में वे कुछ देते हैं तो उक्त दान प्राप्त करने वाले पर यह निर्भर करता है कि उस दान का जिस प्रकार चाहे उपयोग करे। तीर्थयात्री हरिद्वार अथवा स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर जाते हैं। वे वहां पर कुछ दान देते हैं। किसी भी राज्य सरकार ने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि उक्त दान का सभी राज्यों में बटवारा किया जाए। इस प्रकार की बात करना हास्यास्पद है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि धार्मिक बातों में राजनैतिक विचारों को न लाया जाये। मक्का ऐसा स्थान है जिस को सारे विश्व के मुस्लिम समुदाय द्वारा श्रद्धा से देखा जाता है। लोग वहां पर हज के लिए जाते हैं। वे वहां पर कुछ चढ़ावा चढ़ाते है। वे ऐसा मानते हैं कि यह उनके रूहानी हित में है। यह सुझाव देना बहुत ही गलत होगा कि इस प्रकार के धार्मिक चढ़ावे को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के आधीन किया जाये अथवा उसके लिए किसी के समक्ष उन्हें उत्तरदायी होना पड़े। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार के दृष्टिकोण अथवा विचार पर न चलें।

गैर-सरकारी नियंत्रण के अधीन खानों का राष्ट्रीयकरण

***709. श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में राज्यवार, कोयला खानों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनका राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लोह और इस्पात का उत्पादन कर रही कम्पनियों के स्वामित्वाधीन प्राईवेट सेक्टर में दस खाने कार्यरत है।

(ख) और (ग) इन खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह प्राइवेट सेक्टर में इस्पात संयंत्रों की ग्रहीत कोकारी कोयला खाने है।

Shri Arvind M. Patel : Where Iron and Steel is produced and Coalmine is also there, whether Government is considering the question of nationalising such a mine separately ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : सरकार इन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार नहीं कर रही है।

Shri Arvind M. Patel : Where Iron and Steel is produced and mine is also there whether the Coal produced there is used there or the same is sent elsewhere ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : समस्त कोयले का प्रयोग इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। कोक-कर कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में यह व्यवस्था है जिसके अनुसार इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता से अधिक कोयला उपलब्ध होने की स्थिति में सरकार को यह हक है कि वह जहां भी उचित समझे उस कोयले का उपयोग कर सकती है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने बताया है कि बिहार में ऐसी 9 ग्रहीत (केप्टिव) खानें हैं और पश्चिम बंगाल में एक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी कम्पनी विशेष की केप्टिव खानों का पहले ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और यदि हां, तो दो प्रकार के नियम बनाये जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ केप्टिव खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया जबकि दूसरी खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में अब भी ऐसी अनेक खानें हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक लोहा और इस्पात उद्योग का सम्बन्ध है, मैंने जो केप्टिव खानें बताई हैं, वही हैं अर्थात 9 बिहार में हैं और एक पश्चिम बंगाल में है। इन में से 6 टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की हैं और दो इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की हैं और एक वैस्ट बोकारो कम्पनी की है जो टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की सहायक कम्पनी है। अतः भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस्पात बनाने वाली कम्पनियों की सभी खानें, जिनके उत्पाद भी इस्पात उत्पादन के काम में प्रयोग किये जाते हैं, का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया गया है परन्तु उन्हें इस्पात संयंत्रों के प्रयोग के लिये छोड़ दिया गया है।

जहां तक अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, हमने उस नीति का अनुसरण नहीं किया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि दो खानें इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की आवश्यकता पूरी करती हैं। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ मे ले लिये जाने के कारण क्या मैं जान सकता हूं कि उन खानों को, जो वास्तव में उस कम्पनी को लौह अयस्क सप्लाई करती हैं, अपने नियंत्रण में लेने में क्या कानूनी कठिनाइयां है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि बिहार में उन 85 कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लेने में क्या कठिनाइयां हैं जो अब भी गैर-सरकारी खान मालिकों के हाथ में हैं?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक उन खानों का सम्बन्ध है जो इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की केप्टिव हैं, वे अब भी आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की केप्टिव है, परन्तु इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है; अर्थात वे भारत कोकिंग कोल द्वारा अपने नियंत्रण में नहीं ली गई जो इन कोकिंग कोयला खानों को छोड़कर जो इस्पात संयंत्रों की केप्टिव खाने हैं, कोककर कोयला खानों की समुचय रूप से देखभाल करती हैं। अतः इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की खानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने का परिणाम है। यह स्थिति है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन 85 कोयला खानों की स्थिति क्या है जो बिहार में गैर-सरकारी खान मालिकों के नियंत्रण में है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : वस्तुतः यह प्रश्न प्रश्न संख्या 712 से सम्बद्ध है। परन्तु यदि आप चाहते हैं तो मैं इसका उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब इस प्रश्न पर चर्चा आरम्भ की जायेगी, तब वह यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

इस्पात के आयात के बारे में गुजरात सरकार का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध

+

*710. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने विदेशों से इस्पात खरीदने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और भारतीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने अक्तूबर/नवम्बर, 1972 में यह आवेदन किया था कि उन्हें 10,000 टन बिलेट का आयात करने की अनुमति दी जाए जिसे बेल कर वह देश में साधारण इस्पात के छड़ तैयार कर सके, परन्तु विदेशों में बिलेट की उपलब्धि की स्थिति संतोषजनक न होने के कारण राज्य सरकार को अपनी अत्यावश्यक तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश के अन्य स्रोतों से पिण्ड/बिलेट की प्राप्ति की संभावना का पता लगाने के लिए सलाह दी गई थी ।

श्री वेकारिया : मंत्री महोदय ने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि :

परन्तु विदेशों में बिलेटों की उपलब्धि की स्थिति संतोषजनक न होने के कारण राज्य सरकार को अपनी अत्यावश्यक तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देश के अन्य स्रोतों से पिन्ड बिलेट की प्राप्ति की सम्भावना का पता लगाने के लिये सलाह दी गई थी ।"

गुजरात सरकार ने बिलेट आयात करने की अनुमति इस लिये मांगी है क्योंकि वह देशी स्रोतों से उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ रही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के ध्यान में ऐसा कौन-सा स्रोत है जो गुजरात राज्य को बिलेट सप्लाई कर सकता है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : वास्तव में गुजरात सरकार को सुझाव दिया गया था कि विद्युत भट्ठियों में निर्मित पिंडों से बिलेट तैयार करवाये जाएं । देश में अनेक विद्युत भट्ठियां हैं और हमने गुजरात सरकार को सुझाव दिया था कि विद्युत भट्ठियों से बिलेट प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना अच्छा होगा क्योंकि जहां तक आयात का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में बहुत कम बिलेट उपलब्ध हैं ।

श्री वेकारिया : गुजरात सरकार को कुछ स्रोतों का पता है जहां से बिलेट प्राप्त किये जा सकते हैं । यदि यह बात ठीक है तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गुजरात सरकार को बिलेट आयात करने की अनुमति देने का है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस बात का मुझे पता नहीं है कि गुजरात सरकार की जानकारी का विशेष स्रोत क्या है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं । परन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वर्ष 1972-73 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने, जो बिलेटों का आयात करने वाली एजेंसी है, लगभग 100,000 टन आयात करनें की योजना बनाई थी । परन्तु वे लगभग 65,000 टन का आयात कर सके हैं । इससे ज्यादा बिलेट उपलब्ध नहीं थे । इसलिए यदि हमने गुजरात सरकार को अनुमति दी भी होती कि वह खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 10,000 टन बिलेट खरीदने के लिये क्रयादेश भेजे, तो भी वह केवल कागज़ी कार्यवाही मात्र रह जाती और उससे गुजरात सरकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसके अतिरिक्त 7 अप्रेल, 1973 को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खोले गये एक टेंडर में हमें अमरीका से 5000 टन बिलेट की सप्लाई की पेशकश मिली है और उसका मूल्य भी बहुत अधिक है । मेरा विचार है कि इससे बिलेटों के आयात में होने वाली कठिनाइयों की पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि उन्होंने गुजरात सरकार को सलाह दी है कि वह विदेशों से इस्पात का आयात न करें बल्कि उसे देश में से प्राप्त करें । क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार का अनुरोध किया था और क्या उन्हें भी यही उत्तर दिया गया था ? देश में ही इस्पात प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्या विशेष सहायता दी थी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैंने गुजरात सरकार को आयात न करने की सलाह दी थी । मैं ने यह कहा था कि गुजरात सरकार को 10,000 टन बिलेट खरीदने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम को क्रयादेश भेजने की अनुमति दिये जाने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि 100,000 टन बिलेट आयात करने के लिये पहले से दिये गये क्रयादेश भी पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो सके हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में बिलेटों की कमी है । जहां तक मुझे पता है, हमने किसी अन्य राज्य सरकार को कोई भिन्न राय नहीं दी है ।

जहां तक अन्य राज्यों द्वारा सहायता मांगे जाने का सम्बन्ध है, हमारा उत्तर वही है । बिलेटों के आयात में होने वाली कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ही यह स्थिति है । यदि हम अधिक बिलेट आयात कर पाते, तो हम ऐसा कर लेते परन्तु दुर्भाग्य से उनका आयात नहीं किया जा सका ।

OFFICERS APPOINTED TO ENTERTAIN COMPLAINTS OF WORKERS

*713. **Shri M.S. Purty:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed such Officers with whom the labourers working in the Public and Private sectors could lodge their complaints; and

(b) if so, the particulars thereof ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित श्रमिक अपनी शिकायतें विभिन्न श्रम नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारियों और निरीक्षकों के ध्यान में ला सकते है। इसके अतिरिक्त, ऐसे केन्द्रीय उपक्रमों में (रेलों के अलावा) में, जिनमें पांच सौ या इससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं, श्रम अधिकारी हैं, जिनके पास विभिन्न श्रम नियमों के परिपालन के बारे में, निवारण के लिये शिकायतें और उपाय प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

Shri M.S. Purty : The Officers who are posted to listen to the grievances of the workers, are not capable of solving the problems of the workers and they advise the poor workers to go to the court of law. In view of this, whether Government would give necessary instructions to these officers to the effect that they should solve the problems of the workers at their own level ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्रमिकों की शिकायतों की जांच करने के लिये विभिन्न अधि-नियम बनाये गये हैं, कई प्रकार की व्यवस्था की गई है और अनेक अधिकारी भी नियुक्त किये गये, जिन्हें वे अपनी शिकायतें बता सकते हैं।

जो सुझाव किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हम औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विचार कर रहे है कि उन्हें किस प्रकार नियमित बनाया जा सकता है और किस प्रकार का तंत्र स्थापित किया जा सकता है और मुझे आशा है कि हम यथाशीघ्र विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

Shri Phool Chand Verma : I would like to know whether he is aware that the workers who go to lodge complaints works, the labour officers are maltreated and discouraged not to lodge their complaints ? Whether any machinery is proposed to be set up to deal with such complaints expeditiously ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह एक आम बात कही गई है जिसका मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य इस बारे में कोई विशिष्ट मामला बतायें, तो आवश्यक कार्यवाही को जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उनको पता है कि 16वें श्रम सम्मेलन में स्वीकृत अनुशासन संहिता और शिकायत प्रक्रिया को रेलवे मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय अथवा विभागीय रूप में चलाये जाने वाले किसी अन्य उपक्रम ने नहीं अपनाया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

क्या यह सच है कि श्रम अधिकारी, जो वहां काम कर रहे हैं वे केंटीन मैनेजरों से अधिक नहीं हैं क्योंकि गोपनीय रिपोर्टें विभाग स्वयं लिखता है और वे प्रशासनिक दृष्टि से श्रम मंत्रालय के अधीन नहीं है और यदि हां, तो क्या इस असंगति को दूर किया जायेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने पहले ही वर्तमान विभिन्न अधिनियमों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। अन्य सुझावों पर विचार किया जायेगा।

डा० रानेन सेन : मैं आपका ध्यान इस प्रश्न में एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, यहां पर उपस्थित नहीं हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें एक गलती है। प्रश्न के भाग III में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को ब्रेकिट में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बताया गया है। वे दोनों भिन्न भिन्न संगठन है। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अलग है और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस उससे भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस बारे में मुझे लिखें तो इस प्रश्न को ठीक कर किया जायेगा। मुझे खेद है कि यह प्रश्न इस रूप में रखा गया है परन्तु इसे माननीय सदस्यों ने ही भेजा होगा।

पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली किये गए क्षेत्र में पुनर्वास

*715. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला समझौते के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली किये गये भारतीय क्षेत्र में पुनर्वास के काम पर सहायता और क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई है और खर्च की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : शिमला समझौते के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली किए भारतीय क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा राहत तथा पुनर्वास सहायता के लिए खर्च की गई तथा खर्च की जाने वाली राशि का पता लगाया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामंत : इस प्रश्न का उत्तर रक्षा मंत्रालय को देना है । फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी राज्य सरकार ने इस कार्य को सच्चे दिल के साथ हाथ लिया है और यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चत करने के लिये कितना समय लगेगा और पुनर्वास व्यय कौन वहन करेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हमें सूचना राज्य सरकारों से एकत्र करनी होगी । हम इसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । सूचना के उपलब्ध होने पर मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा ।

श्री एस० सी० सामंत : जो भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा खाली किये जाने थे, क्या खाली किये जा चुके है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह सूचना उन क्षेत्रों के बारे में एकत्र की जा रही है, जो खाली किये जा चुके हैं ।

Shri Jharkhande Rai : Is the hon. minister aware of the fact that the Pakistani Army desecreted the memorial of Sardar Bhagat Singh and took away his Statue before vacating our territory ? If so, whether the Government has sent a protest note to the Pakistan Government.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पाकिस्तान द्वारा खाली किये गये भारतीय क्षेत्र में पुनर्वास के काम पर सहायता और क्षतिपूर्ति के रूप में खर्च की गयी अथवा की जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित है । अच्छा होता यदि आप इस बारे में एक पृथक प्रश्न की सूचना भेजते ।

श्री एस०एम०बनर्जी : अन्ततः वह स्थान हमें दिया गया । हम वहां गये । हम जानना चाहते हैं कि क्या यह अब तक हमारे पास है अथवा नहीं । यह एक ऐतिहासिक स्थान है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे दूर से सम्पर्क हो सकता है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि ऐसा हुआ है, तो यह बहुत खेद जनक है । लेकिन माननीय सदस्य को पृथक प्रश्न पूछना चाहिये ।

प्रश्न संख्या 718 के बारे में

Re: Question No. 718

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिम्हा रेड्डी ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : प्रश्न संख्या 718 ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि मंत्री महोदय क्यों उपस्थित नहीं हैं । मुझे इस प्रश्न को आगामी सप्ताह में लाना पड़ेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सदन के अपमान का प्रश्न है । यह एक गम्भीर बात है ये पूर्णकालिक कर्मचारी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम्, प्रश्न यह नहीं है कि उनकी ओर से यहां कोई उपस्थित नहीं है । आप सब इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं । प्रश्न यह है कि सम्बन्धित मंत्री उपस्थित नहीं है और उन्होंने मुझे किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी है । मैं इसे पूर्णतः अस्वीकार करता हूं । मैं इसे प्रश्न को अगले सप्ताह में रखूंगा । इसे प्राथमिकता दी जायेगी ।

Shri Bibhuti Mishra : How can one come if he falls ill while on his way ?

Mr. Speaker : He could write me in case he fell ill. Take the case of Shri A.K. Kisku. उन्होंने मुझे लिखा और मैं उनकी ओर से बोला कि वे स्वस्थ नहीं हैं। अतः मुझे कुछ तो लिखा जा सकता है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : इस विषय का प्रभार अभी हाल तक मेरे पास रहा है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं इसे पढ़ने के लिये तैयार हूं।

Shri Shashi Bhushan : He was here just now and was not feeling well.

Mr. Speaker : Why do you talk wrong that he is not feeling well? Let me know the exact thing. There must be some special reason but why are you saying that he is ill.

He is now coming.

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जो कुछ भी हुआ है, मुझे उसका बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हुआ ? मैंने उन्हें कहा कि ऐसा न कहें कि आप अस्पताल में हैं।

चौथी योजना में भारी उद्योग के लक्ष्यों को पूरा करना

718. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रह गई है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4788/73]**

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : यह एक जरूरी प्रश्न है जिसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिये। फिर भी विवरण में कहा गया है।

> "संगठन, प्रबन्ध और कार्य संचालन को सुदृढ़ करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य को सुधारने हेतु बहुत से उपाय भी किए गये हैं।"

हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से विशेष उपाय किये गये और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के सुधारने हेतु क्या कदम उठाये जाने विचाराधीन हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मंत्रालय के अधीन कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ उच्चस्तरीय परिवर्तन लाये गये हैं। जहां तक भौतिक उपयोजन का प्रश्न है, हम इस पर विस्तार पूर्वक विचार कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा। इन दो कदमों के उठाए जाने के बाद सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्य में अवश्य सुधार होगा।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : आप कृपया प्रश्न को स्थगित कर दें ताकि ये पूरा और ठीक उत्तर दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : तो आपको पहला अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहिये था। अब हम बीच की स्थिति में हैं। आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं उत्तर से संतुष्ठ नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : इन्होंने अपने उत्तर में यह नहीं बताया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में कमी का कितना अनुपात प्रबन्ध की कमी, बिगड़े औद्योगिक सम्बन्धों और विशेष प्रकार की वस्तुओं के आयात न किये जाने के कारण रहा। जब तक इन प्रश्नों पर प्रकाश नहीं डाला जाता उस समय तक उत्तर पूरा नहीं हो सकता।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जिन बातों की चर्चा माननीय सदस्य ने की उन पर योजना उद्योग द्वारा गठित कार्य समिति विचार कर रही है। उनकी रिपोर्ट आने पर हमें सारे प्रश्न की पूर्ण स्थिति की जानकारी हो जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शिमला समझौते की क्रियान्विति

***701 श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शिमला समझौते को क्रियान्वित न करने के लिये भारत को दोषी ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान शिमला समझौते की क्रियान्विति में जानबूझकर विलम्ब कर रहा है ; और

(ग) शिमला समझौते की कितनी सिफारिशों पर अब तक कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय के कुछ समाचार देखे हैं।

(ख) शिमला समझौते के पैरा 3 के अधीन सामान्यीकरण के उपायों से संबंधित व्यवस्थाओं को लागू करने में पाकिस्तान की रुचि में कमी दिखाई दी है।

(ग) जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के निर्धारण और अधिकृत क्षेत्रों से सैनाओं की वापसी से शिमला समझौते का पैरा 4 पूरी तरह लागू हो चुका है।

लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करना

***706. श्री पीलू मोदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस सरकार ने भारत सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) लाओस में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग विमान है परन्तु लाओस के प्रधान मंत्री ने जनवरी, 1973 में अपनी भारत यात्रा के दौरान सुझाव दिया था कि आयोग पुनः सक्रिय किया जाना चाहिए।

(ख) भारत की यह हार्दिक इच्छा है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने और पुनः शांति स्थापित करने में लाओस की सहायता की जाये। सभी संबंधित पक्षों की सहमति से भारत इस कार्य में सहायता करके प्रसन्नता अनुभव करेगा और आयोग में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा।

ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण की घटना के बारे में रिपोर्ट

***708 श्री भागवत झा आजाद :** क्या **विदेश** मंत्री लन्दन स्थित भारतीय मिशन पर हमले के संबंध में जांच के बारे में 22 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4239 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) दोनों अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें ये हैं :-

(1) लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन पर हमला अपने ढंग की एक अलग घटना थी। यू० के० की सुरक्षा एजेंसियों की गहरी छानबीन के बाद भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि यह हमला किसी भारत विरोधी राजनीतिक संगठन या किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के दल अथवा किसी आतंकवादी संगठन की प्रेरणा अथवा संदर्शन पर आयोजित तथा क्रियान्वित किया गया था।

(2) यह हमला उन तीन नवयुवकों द्वारा आयोजित तथा क्रियान्वित किया गया था जो भारत में पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार पर अनावश्क रूप से उत्तेजित हो गए थे।

(ख) इस तरह की सुरक्षा-समस्याओं के बारे में क्या उपाय किए जाएं इस संबंध में हमारे मिशन को विस्तृत अनुदेश प्राप्त हैं। इन अनुदेशों पर फिर से जोर दिया गया है।

मजगांव डाक रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा महाराष्ट्र के औद्योगिक न्यायाधिकरण निर्णय को कार्यान्वित न किया जाना

***711 श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई और रक्षा उत्पादन विभाग ने औद्योगिक न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र के श्री एफ० एच० लाला न्यायाधीश के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या निर्णय के कार्यान्वित न किए जाने के कारण प्रबन्धकों और श्रमिकों (लिपिकों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों) के बीच विवाद पैदा हो गया है ; और

(ग) क्या निर्णय को कार्यान्वित करने के बारे में प्रबन्धकों को निदेश जारी करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मझगांव डाक लिमिटेड बम्बई के प्रबन्धकों ने सरकार के अनुमोदन से इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष आज्ञा की याचिका दायर की है।

(ख) विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि प्रबन्धकों ने एक अपील फाइल की है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए निदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

80 Collieries of Bihar Still Under Private Mine Owners

***712 Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether despite the declaration made by the Government, 80 collieries of Bihar are still under the control of private mine owners ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumaramanglam) : (a) & (b) Under the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973, the management of all the coal mines except the captive mines of steel plants has vested in the Central Government.

Strikes by Unaffiliated Unions

*714. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the unaffiliated Unions were instrumental for most of the strikes during the period from 1972 to February, 1973 ;

(b) whether 68,70,000 man-hours were lost as a result thereof ;

(c) whether the maximum number of strikes took place on the call given by the Unions affiliated to the Rashtriya Mazdoor Congress (All India Trade Union Congress) as a result of which 9,39,000 man-hours were lost ; and

(d) if so, the action being contemplated by Government to improve the situation in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c) Statement showing the available provisional information about the number of strikes during 1972 and mandays lost due to these, by Central Workers' Organisations/unaffiliated unions etc. is laid on the Table of the House.

(d) It has been Government's aim to minimise work stoppages due to industrial disputes through informal mediation, conciliation, adjudication or arbitration as necessary, under the existing statutory provisions and voluntary arrangements. Government have also been holding discussions with the interests concerned to evolve agreed measures to secure improvements in the industrial relations system.

STATEMENT

Central Workers' Organisations/Unions	Number of strikes (1972 Provisional)	Number of mandays lost (1972 provisional)
I. N. T. U. C.	297	934,857
A. I. T. U. C.	249	831,752
H. M. S.	120	1,401,078
U. T. U. C.	10	52,329
Multiple Unions	56	1,702,366
Unaffiliated and others*	1,798	6,871,971
TOTAL	2,530	11,794,353

* 'Others' relate to strikes not originated by any union or the affiliation of which was not known.

संयुक्त राज्य अमरीका की इस्पात बेलन कारखानों के निर्माण सम्बन्धी तकनीकी जानकारी का उपयोग न करने से हानि

*716 श्री समर गुह :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1973 के 'टाईम्ज़ आफ इंडिया' में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि पिछले चार वर्षों से रूस के विरोध के कारण इस्पात बेलन कारखानों के निर्माण सम्बन्धी संयुक्त

राज्य अमरीका की तकनीकी जानकारी का उपयोग न करने से भारत को प्रतिवर्ष 100,000 डालर की हानि हो रही है;

(ख) क्या इस हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु सरकार का संयुक्त राज्य अमरीका की इंजीनियरिंग एण्ड फांउडरी लिमिटेंड से एक दस वर्षीय करार हुआ था; और

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका की उक्त इंजीनियरिंग कम्पनी से हुए करार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) उक्त रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) भारत सरकार ने ऐसा कोई करार नहीं किया है। फिर भी हिन्दुस्तान स्टील लि० ने सरकार की अनुमति से फरवरी, 1969 में मैसर्स यूनाइटिड इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री कम्पनी पिट्स बर्ग संयुक्त राज्य अमेरीका (अब जिनका नाम वीन लि० इनकारपोरेटिड है) के साथ बेलन मिलों और सहायक उपकरणों के रूपांकन और निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु एक करार किया था। यह करार 10 साल के लिए है और इसमें तकनीकी जानकारी के लिए मुआवजे के रूप में प्रतिवर्ष 100,000 डालर देने की व्यवस्था है।

(ग) इस करार में बेलन मिलों और सहायक सेवाओं के लिए तकनीकी और निर्माण सम्बन्धी जानकारी, डेटा, विस्तृत रूपांकन और सम्बद्ध परिकलन सम्बन्धी जानकारी देने की व्यवस्था है। इस करार में इस प्रयोजन के लिए भारतीय प्रविधिज्ञों के पशिक्षण की भी व्यवस्था है। इस जानकारी की प्राप्ति से बेलन मिलों के, जिन पर इस्पात कारखाने की अधिक पूंजी लगी होती है, रूपांकन और निर्माण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गए अथवा अपंग हुए जवानों/अधिकारियों के परिवारों की सहायतार्थ बनाई गई योजना की क्रियान्विति पर किया गया व्यय

***717. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1971 के भारतवर्ष पाकिस्तान युद्ध में मारे गए अथवा अपंग हुए जवानों और अधिकारियों के परिवारों के सहायतार्थ बनाई गई विभिन्न योजनाओं की कार्यान्विति पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): युद्ध शोकसन्तप्त परिवारों तथा अपंग सैनिकों के पुनर्वास के लिए योजना, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई रियायतों का संवेष्टन है। इस में सम्मिलित हैं--उदार पेंशन, जो सैनिक मर गए हैं अथवा स्थायी रूप से अपंग हो गए हैं उनके बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा, मृत सैनिकों के आश्रितों के लिए रोजगार ढूंढने में सहायता और ऐसे अपंग सैनिकों का नियोजन जो नौकरी में आर्थिक गतिविधि तथा निजी काम धन्धा करने के सक्षम हों। इसके अतिरिक्त, उनकों उप्युक्त आवास, कृषि भूमि तथा आवास भूमि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की जा रही है।

2 पुनर्वास कायक्रम की सब से बड़ी विशेषता है उदार पेंशन अवार्ड, युद्ध में मारे गए अफसरों की विधवाएं इस योजना के अधीन अफसरों की मृत्यु के समय धारक पद के वेतन का तीन चौथाई पेंशन, अफसर की होने वाली सेवानिवृति की तारीख तक, पाने के पात्र है और उसके पश्चात सामान्य पारिवारिक पेंशन। जे०सी०ओ०/ओ०आर० के मामले में पेंशन, उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन की दर पर उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को आजीवन ग्राहय है। जिन्हें विकलांगता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया है उनके लिए विकलांगता पेंशन में दो अंश सम्मिलित हैं विकलांगता अंश और सेवा अंश। शतप्रतिशत विकलांगता के लिए विकलांगता अंश सविर्स अंश को घटाकर अन्तिम ली गई परिलब्धियों के बराबर है यह राशि 500 रुपये तक सीमित कर दी गई है। विकलांगता की कम प्रतिशतता के लिए विकलांगता अंश अनुपातत: कम कर दिया जाता है। सभी पात्र व्यक्ति से पेंशन पा रहे हैं।

3. युद्ध में मारे गए सैनिकों तथा जो स्थाई रूप से अपंग हो गए हैं उनके बच्चों को दी गई शिक्षा रियायतों में प्रथम डिग्री स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना है जिसमें पुस्तकों, वर्दियों, संघ सरकार द्वारा चलाए जा रहे

अथवा सहायता प्राप्त स्कूलों में आवास तथा भोजन का खर्च सम्मिलित है। राज्य सरकारों ने भी ऐसे ही आदेश जारी किए हैं। आश्रितों और जो सेवा से सेवामुक्त कर दिए गए उनको नौकरी के मामले में सहायता को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए नियमों तथा आदेशों द्वारा विनियमित किया जाता है। सम्बन्धित व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराए बिना सरकारी सेवा में लगाया जा सकता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के अधीन प्रशिक्षण संस्थाओं में उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी गई हैं, और रक्षा मंत्रालय यह समन्वय और सुनिश्चित करता है कि इस संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश में आवेदकों की सहायता की जाती है।

4. बढ़ी हुई पेंशन, केन्द्र तथा राज्यों दोनों की संस्थाओं में शैक्षिक सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है, नौकरी के लिए सहायता पर खर्च केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के बीच एक समन्वित गतिविधि है अतः इन योजनाओं पर किसी दी हुई तारीख को खर्च का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

कम्पयूटरों का प्रयोग

***719. श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह कहा है कि कम्पयूटर ऐसे समय पर भारत के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकते जब कि देश को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या कम्पयूटरों द्वारा साधनों के उपयोग पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी : (क) कम्पयूटरों का बड़े पैमाने पर और विवेकहीन इस्तेमाल वांछनीय नहीं होगा। सरकार की यह नीति है कि स्वचालन को, संगणकीकरण सहित, चयनात्मक आधार पर प्रयुक्त किया जाना चाहिए और प्रोद्योगिक प्रगति को समुदाय के सामाजिक हित के अनुकूल करने के लिए विनियमित किया जाना चाहिए।

(ख) कम्पयूटरों में स्रोतों के प्रभावी उपयोग में सहायता देने की क्षमता है।

नए विमान के लिए विकसित किए गए इंजनों के लिए आवश्यक अधिकांश पुर्जों का आयात

***720. श्री डी० के० पंडा : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए विमानों, जिनका देश में विकास किया जा रहा है, के इंजन के लिए आवश्यक अधिकांश पुर्जों का विदेशों से आयात किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका आयात कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस समय यह बताना संभव नहीं होगा कि इस समय विकसित किए जाने वाले विमानों के लिए कितने इंजन आयात करने पड़ेंगे। तथापि इन सभी परियोजनाओं में प्रारम्भ में कुछ इंजनों का तब तक आयात करना पड़ेगा जबतक कि देश में ही डिज़ाइन किए गए इंजन उपलब्ध न हो जांए। हमारी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक एयरो-इंजनों के डिज़ाइन और विकास के लिए पग उठाए जा रहे हैं। जहां ऐसे इंजनों का विकास नहीं किया जा सकता हो, उन मामलों में विदेशी निर्माताओं के साथ देशी उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग पर भी विचार किया जा रहा है।

'बर्ड एण्ड कम्पनी' को डायमंड ड्रिलिंग के लिए ठेका

6850. श्री एस०एन० मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी परियोजना में "बर्ड एण्ड कम्पनी" को डायमंड ड्रिलिंग के लिए ठेका दिया गया था;

(ख) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष, जो तब इस कम्पनी के एक कर्मचारी थे, ने उस समय इस ठेके का संचालन किया था; और

(ग) सरकार ने किन ठोस बातों के आधार पर इस व्यक्ति को खेतड़ी परियोजना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा 1967 में, जो उस समय खेतड़ी ताम्र परियोजना के लिए उत्तरदायी था, मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को हीरक व्यधन संविदा दी गई थी।

(ख) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष का, जो 1967 में बर्ड एण्ड कम्पनी का कर्मचारी था, 1967 में जब संविदा दी गई थी, इस संविदा के साथ किसी रूप मे भी संबंध नहीं था। वह उस समय बर्ड एण्ड कम्पनी के खनिज विभाग में कार्य कर रहा था जिस विभाग का व्यधन के साथ कोई संबंध नहीं था। उसे 1968 के मध्य में कलकत्ता से दिल्ली कार्यालय के प्रभारी के रूप में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और इस प्रकार बर्ड एण्ड कम्पनी का व्यधन विभाग उसके अधीन आ गया। तथापि, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष के हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड में पद ग्रहण करने के पश्चात्, बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई 1,50,000 रुपए की पूर्ण राशि की बैंक गारंटी के समपहरण की शास्ति उनके द्वारा अनुबद्ध कालावधि के भीतर कार्य संपूरित न करने के लिए, अधिरोपित की गई थी।

(ग) उसने बर्ड एण्ड कम्पनी के साथ एक दशाब्दी से अधिक कालावधि तक कार्य किया था और हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड में नियुक्ति से पूर्व वह विभिन्न उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पदों पर कार्य कर चुके थे। ऐसा विचार किया गया कि विकास की निर्णायक प्रावस्था के दौरान वह अपने प्रबंधकीय अनुभव से कम्पनी की समस्याओं का प्रभावात्मक रूप से निपटान करने में समर्थ होगा। भर्ती प्रवरण बोर्ड द्वारा उसे अनुसूची 'ग' के अन्तर्गत सूची में सम्मिलित किया गया था।

नैशनल कैडेट कोर का पुनर्गठन करने संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन

6851. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैशनल कैडेट कौर के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा इसके संगठन में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[गंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4789/73]**।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र में उच्च कोटि की इस्पात चादरों का उत्पादन

6852. श्री जी० बाई० कृष्णन: क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र के, जिसमे उच्च कोटि की इस्पात चादरों की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन करने की क्षमता है, वर्तमान हस्तचालित चादर कारखाने का कार्य संतोषजनक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए इस बारे में सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) यद्यपि दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की हैण्ड शीट मिल कुछ प्रकार के विशेष इस्पात का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए अनुपयुक्त नहीं है तथापि वर्तमान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में स्पर्धी बाजार में उच्च श्रेणी के चपटे उत्पादों का वाणिज्यक स्तर पर उत्पादन करने के लिए यह सर्वथा उपयुक्त नहीं है ।

(ख) इसका सम्बन्ध कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडेक्ट मिक्स के प्रश्न से है जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

अक्साईचिन पर भारत के रवैये का सोवियत संघ द्वारा समर्थन

6853. श्री जी०वाई० कृष्णन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्साईचिन पर भारत के रवैये का रूस सरकार द्वारा समर्थन देने के बारे में सरकार को सोवियत संघ से सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो अक्साईचिन पर भारत सरकार को बताई गई सोवियत संघ के रवैये संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस विषय पर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से कोई नई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक

6854. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक बैठक के लिए भारत को आगाह कर दिया गया है और प्रस्तावित सम्मेलन के ब्यौरों का पता लगाने के लिए काबुल में शीघ्र ही एक तैयारी बैठक आयोजित को जायेगी ; और

(ख) क्या भारत तैयारी बैठक में शामिल हुआ था और यदि हां, तो क्या प्रस्तावित बैठक के स्थान, कार्य सूची और उसमें आमंत्रित किये जाने वाले राष्ट्रों के बारे में कोई निर्णय किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जार्जटाउन में अगस्त, 1972 में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर सहमति हुई थी कि सितम्बर, 1973 में अल्जियर्स में गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया जाए । इस शिखर-सम्मेलन के कार्य-वृत तथा अन्य ब्यौरों को तय करने के लिए 13 से 15 मई तक काबुल, अफगानिस्तान में तैयार-समिति की बैठक होगी । भारत सहित सत्रह देश इस तैयारी-समिति के सदस्य हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सैगोन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव

6855. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैगोन स्थित भारतीय वाणिज्य दूत की नियुक्ति नहीं की गई है और इसका इंचार्ज एक कनिष्ठ अधिकारी है ;

(ख) सैगोन से महावाणिज्य दूत को कब वापस बुलाया गया था ; और

(ग) क्या कनिष्ठ पद होने के कारण सैगोन में पद का वर्तमान पदाधिकारी नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं ले पाता जिसके कारण देश को यथाशीघ्र गतिविधियों का पता नहीं लग रहा है और क्या सैगोन में महावाणिज्य दूतावास के पद पर एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजने का कोई प्रयास किया जा रहा है और यदि हां, तो उसको कब भेजा जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पूर्ववर्ती प्रधान कोंसल ने स्थानान्तरित होने के पश्चात नवम्बर, 1972 में सैगोन छोड़ दिया था।

(ग) सरकार को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं दीखता कि सैगोन में इस पद पर अभी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें उपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारी होने के कारण अपने सामान्य कार्यभार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सैगोन में नया प्रधान कोंसल भेजने का सवाल विचाराधीन है।

बिहार के पालामऊ जिले में हूनटार कोयला क्षेत्र को हानि

6856. कुमारी कमला कुमारी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हूनटार कोयला क्षेत्र (जिला पालामऊ, बिहार) को वहां सड़क निर्माण के कारण 9 लाख टन कोयले की हानि होगी और खान प्रबन्धक उस क्षेत्र में भूमि से कोयला भी नहीं निकाल सकेंगे, जैसाकि दिनांक 15 मार्च, 1973 के साप्ताहिक 'हलचर' (डाल्टनगंज पालामऊ, बिहार) में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

कर्मपुरा और डाल्टनगंज कोयला क्षेत्रों के अभिरक्षक को पेश किया गया ज्ञापन

6857. कुमारी कमला कुमारी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कर्मपुरा और डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र (जिला पालामऊ और बिहार) के अभिरक्षक को इन कोयला क्षेत्रों के श्रमिकों की कुछ मांगों के बारे में कोई ज्ञापन पेश किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

सोवियत संघ में भारतीय दूतावास पर व्यय

6858. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ में राजदूत और भारतीय दूतावास पर वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या यह व्यय प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है ; और

(ग) बढ़ते हुए व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में भारत के राजदूतावास पर 40.08 लाख रुपये व्यय हुए और राजदूत पर 2.13 लाख रुपये।

(ख) राजदूत के व्यय में वृद्धि नहीं हुई है। राजदूतावास का खर्च घट गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डर्बन स्थित भारतीय बाजार में आग लगना

6859. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री वरके जार्ज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डर्बन स्थित लोकप्रिय भारतीय बाजार, जो नटाल का प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल है, 16 मार्च, 1973 को आग लगने से पूरी तरह नष्ट हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितनी क्षति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार को अखबारों में यह खबर देखकर अफसोस हुआ कि 16 मार्च, 1973 की रात को डरबन के भारतीय बाजार में आग लग गई जिसके कारण वहां की दुकानों और उनमें भरे माल को काफी क्षति पहुंची।

(ख) नुकसान की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है परन्तु उपरोक्त खबरों के अनुसार यह नुकसान कई लाख रेन्ड होने का अनुमान है।

लौह अयस्क के निक्षेप

6860. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में लौह-अयस्क के विशाल निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) उनकी मात्रा का क्या अनुमान है; और

(ग) क्या इन्हें निकालने की आर्थिक संभाव्यता की जांच कर ली गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : भारत में हेमाटाइट लौह अयस्क की अभी तक अनुमानित राज्यवार उपलब्ध राशियां, आंध्र प्रदेश में 157.70 लाख टन, बिहार में 11376.30 लाख टन, गोवा में 3962.20 लाख टन, मध्य प्रदेश में 26247.70 लाख टन, महाराष्ट्र में 2312.00 लाख टन, मैसूर में 10521.60 लाख टन, उड़ीसा में 26778.10 लाख टन और राजस्थान में 127.80 लाख टन है। मैग्नेटाइट अलौह अयस्क की राज्यवार उपलब्ध राशियां आंध्र प्रदेश में 970.00 लाख टन, हरियाणा में 30.00 लाख टन, केरल में 587.00 लाख टन, मैसूर में 1467.00 लाख टन और तमिल नाडु में 4477.30 लाख टन है।

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा के लौह अयस्क पहले ही समुपयोजनाधीन है। किरिबुरु (बिहार), बैलाडिला (मध्य प्रदेश), दोनिमलाई और कुद्रेमुख (मैसूर) में बृहद् लौह अयस्क खानें विकास विस्तारणाधीन हैं।

Provision of Boots and Helmets for Coal Miners in M.P.

6861. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:-

(a) whether the miners in the coal mines of Madhya Pradesh have been provided with boots and helmets under Safety Rules; and

(b) if not, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) Out of 42146 coal mine workers who are entitled for footwear, 11106 workers have been supplied with footwear. Out of 39496 mine workers who are entitled for helmets, 38299 workers have been provided with helmets.

(b) Show cause notices are being issued to the defaulters and cases are being processed for taking legel action against them.

Minimum wage of coal mines workers in Chhindwara, M.P.

6862 : Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the minimum wage admissible to a coal mine worker in Chhindwara region in Madhya Pradesh in accordance with rules and the actual wage given to him;

(b) whether there is no arrangement for weighing coal in these coal mines for making payment of wages on the basis of the out-turn; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) The minimum wages payable to various categories of workers in coal mines have been laid down in detail in the report of the Central Wage Board for Coal Mining Industry;

(b) and (c) : The Board's report says that in the case of miners and loaders the basic wage will be payable on the basis of existing workload in terms of tubs and their measurements. Therefore, the weighing of coal is not in vogue for the purpose of making payment of wages.

Progress in working of copper mines in Balaghat District, Madhya Pradesh

6863. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the extent of progress since made in the working of the copper mines in the Balaghat district of Madhya Pradesh;

(b) the production capacity of the copper plant proposed to be set up there; and

(c) the time by which production is likely to start therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) At present geological exploration work is being done at the Malanjkhand Copper Deposit in District Balaghat, Madhya Pradesh. So for about 11,000 meters of surface drilling and 130 meters of underground development work has been done. It has been decided to assign the work of preparation of Feasibility Study for the mining operations and for the setting up of a Concentrator Plant to a Soviet Organisation. The draft contract which has already been received by the Government from the Soviet side, is now under consideration.

(b) & (c): At this stage it is not possible to indicate the capacity of the Copper Plant, which would be set up at Malanjkhand and the time by which production is likely to start there. These matters will be covered in the Feasibility study to be prepared by the Soviets.

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर का उत्पादन कार्यक्रम

6864. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा 1970-71 और 1971-72 में क्या उत्पादन कार्यक्रम बनाया गया और वास्तव में कितने टन का उत्पादन हुआ;

(ख) 1970-71 और 1971-72 में हुए उत्पादन में कितना उत्पादन बाहरी एजेन्सी द्वारा किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कुल उत्पादन में इस कारपोरेशन के मशीनरी औजारों की उत्पादन क्षमता को किस हद तक प्रयोग किया गया ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) माईनिंग एण्ड अलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 का उत्पादन कार्यक्रम क्रमशः 11000 टन तथा 13540 टन था । इस कार्यक्रम की तुलना में उपर्युक्त अवधि में वास्तविक उत्पादन क्रमशः 7,742 तथा 11,990 टन हुआ ।

(ख) ऊपर (क) में बताए गए कम्पनी के वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के कुल उत्पादन में बाहर की एजन्सियों का उत्पादन क्रमशः 1,515 तथा 1,595 टन था ।

(ग) माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन के उत्पादन में विविधता लाने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लिए कारखाने की क्षमता क्रमशः 11,000 तथा 14,000 टन आंकी थी । इस आधार पर उपर्युक्त अवधि में कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता का क्रमशः 56.2% तथा 74.3% उपयोग कर सकी है ।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सऊदी अरब की यात्रा

6865 श्री एम०एस० संजीवीराव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उपमंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल में सऊदी अरब का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर हुई बातचीत का स्वरूप क्या है ; और

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : शिष्टमंडल ने सऊदी अरब के शाह से भेंट की थी और शाही सऊदी सरकार के प्रतिष्ठित सदस्यों से भी मिला था । शिष्टमंडल ने सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को उनके समक्ष स्पष्ट किया । उसने दूसरे देशों के हज प्रतिनिधि मंडलों से भी, जो हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर आए थे, विचारों का आदान-प्रदान किया । इस विचार-विनियम से संबंध पक्षों ने सरकार के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझा ।

नई दिल्ली की बसंत बिहार रिहायशी कालोनी के "मार्डन बाजार" में विदेशी वस्तुओं की बिक्री

6866 श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के बसंत बिहार रिहायशी कालोनी के मार्डन बाजार में आयातित और विदेशी वस्तुएं खुले आम बेची जा रही हैं ;

(ख) क्या दिल्ली दूकान पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत यह फर्म काम के घंटे और साप्ताहिक छुट्टी को लागू कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन के अनुसार, इस दूकान की जो दूध से बनी वस्तुओं. पोलट्री अण्डों, सामान्य वाणिज्यिक माल आदि का व्यापार करती है, 12 मार्च, 1973 को जांच की गई थी और इसका 7 बजे जो दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत निर्धारित समय है, के बाद खुले रहने के कारण चालान किया था । दुकान के खोलने और बंद करने और साप्ताहिक छुट्टी संबंधी कोई उल्लंघन पकड़ने के लिए ध्यान रखा जा रहा है ।

Shops of Allahabad from where defence personnel can purchase medicines

6867. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government of Uttar Pradesh have authorised a few shops only in Allahabad from which civilian employees of the Defence Department can purchase medicines ;

(b) whether in accordance with A.M.A. Rules, 1944 medicine can be purchased from any registered medicine shop located with in the radius of one mile from the residence of an employee; and

(c) the arrangements proposed to be made by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik):(a) Yes, Sir. Government of Uttar Pradesh have authorised 6 shops in Allahabad, from which civilian employees of the Defence Department can purchase medicines, for reimbursement of medical expenses.

(b) Under the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944, a Central Government employee (including an employee of the Defence Department) can purchase medicines prescribed by an Authorised Medical Attendant, from the open Market. However, in June, 1967, it was laid down that, for reimbursement of medical expenses, a Central Government employee should purchase medicines only from Govt. Fair price shops, Cooperative Consumer Stores, Drugs Stores or Depots run by the Central or State Governments or local bodies are any organisation recognised under the Cooperative Societies Act, where such shops or Depote exist. In September, 1967, orders were issued to the effect that, where such shops or depots do not exist within a radius of 2kms. from the residance of an employee, he will be free to purchase medicines from any chemist. In November, 1967, it was clarified that the cost of medicines purchased from chemists authorised in various stations by the local administration could also be re-imbursed.

(c) In this matter, the civilian employees of the Defence Department are governed by the same rules and orders as are applicable to employees of other Departments of the Central Government. However, a case for authorisation of more shops in Allahabad has been taken up with the Government of Uttar Pradesh.

Machine-Tool manufacturing Industry in Public Sector in Ajmer

6869. Shri. M.C. Daga: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether there is a machine-tool manfacturing industry in Public Sector in Ajmer and if so, the amount invested therein and the names of goods produced in that industry; and

(b) whether this industry in the public Sector would be developed further?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri. Siddheshwer Prasad) : (a) Yes, Sir. A sum of Rs. 400.00 lakhs has been invested as share capital in the Machine Tool Corporation of India Ltd., Ajmer. The Company is manufacturing the following items at present :

(i) Tool & Cutter Grinder;
(ii) Vertical Surface Spindle Grinder;
(iii) Crankshaft Grinder;
(iv) Internal Grinder;
(v) Centreless Grinder; and
(vi) Tool Post Grinder;

(b) Yes, Sir.

पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों की गृह निर्माण समिति के लिए भूमि

6870. श्री भागीरथ भंवर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त दिल्ली ने पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई गृह निर्माण समिति को दक्षिण दिल्ली में निष्कासित भूमि अलाट करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि देने की पेशकश की गई थी, उसका वार्षिक किराया कितना था और उक्त समिति को किस मूल्य पर यह भूमि देने की पेशकश की गई थी;

(ग) इस समय यह भूभाग किसके कब्जे में है; और

(घ) उक्त समिति को खाली भूमि का कब्जा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) विस्थापित व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापन (अर्जन) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अर्जित लगभग 60 एकड़ भूमि का एलाटमेंट इस प्रकार किया गया है। अधिकांश

भूमि खाली पड़ी है अतः उसका वार्षिक किराया मालूम नहीं है ।.समिति से लिए जाने वाले मूल्य के बारे में प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : एलाट की गई भूमि के अधिकांश भाग का समिति को कब्जा दे दिया गया है । फिर भी, इस भूमि के कुछ भाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अप्रैल-मई, 1973 तक कुछ लोगों को पट्टे पर दिया है, अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण से पट्टे की मियाद न बढ़ाने के लिए इस विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है ।

बंगला देश के लिए माल डिब्बे

6871. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने भारत सरकार से बंगलादेश को माल डिब्बे सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) माल डिब्बे कब तक सप्लाई किये जायेंगे; और

(घ) बंगलादेश सरकार किस प्रकार भुगतान करेगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बंगलादेश में रेल डिब्बों की कमी और उससे उत्पन्न परिवहन अवरोध के कारण, वहां की सरकार ने बड़ी लाईन के 500 माल गाड़ी के डिब्बों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है ।

(ग) और (घ) : मामला विचाराधीन है ।

Udaipur District of Rajasthan Selected by the Directorate General of Employment and Training for Carrying out Study of its Resources

6872. Shri Nawal Kishore Sharma : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Directorate General of Employment and Training has selected Udaipur district of Rajasthan for carrying out study of its resources under the Regional Technical Survey Scheme; if so, the main outlines of the scheme; and

(b) the reasons for which this district has been given preference over Jaipur District of Rajasthan?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) Presumably the reference in the question is to Area Skill Surveys which have been taken up by Directorate General of Employment and Training in 15 selected districts including Udaipur district of Rajasthan. The Basic aim of the Area Skill Surveys is to determine in respect of a given geographic area, current skills and requirements in the forseeable future. The sources from which information is collected are employers, training institutions and colleges, new establishments likely to come up in the future, etc. Besides, data about existing and prospective avenues of self-employment in the non-agricultural sector is also being collected in respect of rural areas.

(b) The selection of districts for intensive studies was made from the five zones into which country was divided. The three districts taken up from each zone were representative of the following three types :

(i) Industrially advanced district.

(ii) Developing areas, and

(iii) Predominantly agricultural district with small industrial base.

From the northern zone comprising States of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Delhi and Chandigarh, the following three districts were selected in consultation with the Planning Commission, as being representative types :

(i) Faribabad (Gurgaon)
(ii) Ludhiana, and
(iii) Udaipur.

महाराष्ट्र स्थित इस्पात संयंत्र को बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) ले जाया जाना

6873. श्री शंकर राव सावन्त : क्या इस्पात और खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र स्टील लिमिटेड, नागपुर स्थित अपने संयंत्र को उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में ले जाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इसके स्थानान्तरण के लिए अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने किन आधारों पर अनुमति दी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) मैसर्स महाराष्ट्र स्टील लिमिटेड एम० आई० डी० सी० औद्योगिक क्षेत्र, नागपुर, में साधारण इस्पात पिण्ड के उत्पादन की 18000 टन क्षमता के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक के पास रजिस्टर्ड है । नागपुर से उने के कारखाने को उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में ले जाने के बारे में न तो उन से कोई औपचारिक रूप से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और न ही सरकार ने इस की कोई अनुमति दी है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान के साथ तनाव रहित (स्पष्ट) सीमा का प्रस्ताव

6874. श्री रानेन सैन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री भुट्टो ने कुछ समय पूर्व काश्मीर में लगावरहित सीमा बनाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या श्रीमती गांधी ने 'स्टेट्समैन' के एक इन्टर्व्यू में कहा कि समस्त पाकिस्तानी सीमा को तनावरहित सीमा बनाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । किन्तु बताया जाता है कि 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारतीय पत्रकारों के साथ अपनी भेंट में कहा था कि जम्मू काश्मीर में युद्धविराम रेखा को 'शान्ति रेखा' बनाया जा सकता है जिसके आर-पार काश्मीर के लोग स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकें ।

(ख) और (ग): एक प्रैस-भेंट में किसी बिल्कुल परिकल्पित प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने बताया था कि यदि दोनों देशों के बीच शत्रुता बनी रहती है तो भारत के किसी एक भाग और पाकिस्तान के बीच लचीली सीमा जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । उन्होंने कहा था कि मैं केवल काश्मीर में ही लचीली सीमा के पक्ष में नहीं हूं बल्कि यदि मित्रता कायम हो जाए तो सारी सीमा ही लचीली बन सकती है ।

बंगलादेश के शरणार्थियों के लिए केन्द्रीय राहत समिति

6875. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश शरणार्थियों के लिए केन्द्रीय राहत समिति को कोई सम्पत्ति रिहायशी अथवा व्यापारिक और चल रहे व्यापार गृह अलाट किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उनका निपटारा किस प्रकार तथा किस के द्वारा किया गया और इस समय वे सम्पत्ति किसके कब्जे में है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

कोयला बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त पत्र में लगाये गए आरोप

6876. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्पेक्टर जनरल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मंत्रीमंडल सचिवालय के माध्यम से उन्हें दिनांक 17 फरवरी, 1973 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कोयला बोर्ड, जो उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के आरोप लगाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त पत्रों में किस प्रकार के आरोप लगाये गए हैं; और

(ग) यदि इस पर कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं ।

कोहिनूर वापस लाने के लिए ब्रिटेन के साथ बातचीत

6877. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लन्दन से कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए ब्रिटेन के साथ बातचीत आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के कार्य में सुधार करने के लिए कार्यवाही

6878. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या **भारी उद्योग** मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाये सरकारी उपक्रम के बारे में 29 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 5206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन एककों का कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनको घाटा हो रहा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकार ने, भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों जिनमें घाटा हो रहा है, के कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से, विभिन्न उपाय किए हैं । इनमें, युक्तिपूर्ण कार्मिक नीति, प्रोत्साहन योजनाएं, उत्पादन की सुधरी हुई प्रक्रिया, कच्चे माल का आयोजन, नियंत्रण और उपलब्धि, चुने हुए क्षेत्रों में दोहरी/तेहरी पाली में कार्य करना, उत्पादन कार्यक्रम का विविधीकरण, सहायक उद्योगों का विकास करना, प्रबंध आदि को सुदृढ़ करने हेतु प्रगतिशील बनाना शामिल है । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्य की समीक्षा की जाती है और इन एककों के कार्य को देखने तथा सुधार करने के लिए तरीके सुझाने हेतु विभिन्न विशेषज्ञ दल नियुक्त किए गये हैं । इन प्रबल उपायों के परिणामस्वरूप, ऐसी आशा है कि आगामी वर्षों में सरकारी क्षेत्र के इन एककों के कार्य में सुधार हो जाएगा । और हानि कम से कम हुआ करेगी ।

IISCO Stanton-Pipe and Foundry Ujjain

6879. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the labourers of IISCO, Stanton-Pipe and Foundry, Ujjain have been on strike for a long time;

(b) the main demands of the labourers; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c). The matter falls essentially in the State sphere. According to available information, the workers are on strike from February 16, 1973. Their main demands relate to bonus and implementation of the Engineering Wage Board's recommendations. The State Industrial Relations Machinery is seized of the matter. The strike is reported to have been declared illegal by the Labour Court on March 1,1973.

Collaboration on Aircraft Industry among India, Yogoslavia and Egypt

6880. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any talks were held with the Prime Minister of Yogoslavia for the purchase of aeroplanes from Yogoslavia or for collaboration with the aeroplane manufacturing companies of that country;

(b) whether a proposal is being considered for a new kind of collaboration in this industry among Yogoslavia, Egypt and India in this regard; and

(c) if so, the time by which a final decision will be taken thereon?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए नाविक

6881. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या विदेश मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा कितने भारतीय नाविक पकड़े गए थे और उनमें से कितने रिहा कर दिए गए हैं;

(ख) भारत सरकार द्वारा कितने पाकिस्तानी नाविक पकड़े गए थे और उनमें से कितने रिहा कर दिए गए हैं; और

(ग) कितने भारतीय नाविक अभी भी पाकिस्तान की कैद में हैं और उनको रिहा करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ऐसा विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तान ने 188 भारतीय व्यापारिक नाविकों को पकड़ा था, इनमें से अब तक 167 को छोड़ा है।

(ख) पाकिस्तान के सभी यात्री 101 पाकिस्तान व्यापारिक नाविक और 152 ऐसे यात्रियों को छोड़ दिया है, जो दिसम्बर, 1971 के संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा खुले समुद्र में पकड़े गए जहाजों से बन्दी बनाए गए थे और जो पूर्वी सेक्टर में भारत-बंगलादेश सेना की संयुक्त कमान के दायरे में नहीं आते।

(ग) 21 भारतीय व्यापारिक नाविकों के बारे में पाकिस्तान ने अभी तक कुछ अता-पता नहीं दिया है। इन लोगों का ठीक ठीक पता लगाने और उन्हें रिहा कराने के लिए पाकिस्तान से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं।

SC/ST Employees in Heavy Engineering Service

6882. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Heavy Industry** be p lease d to state :

(a) the number of employees belonging to scheduled castes and scheduled tribes working in various categories of posts, other than class I posts in the Heavy Engineering service;

(b) whether their number is less than the quota reserved for them; and

(c) if so, the reasons therefor and the progressive steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Presumably, the Hon. Member is seeking information regarding Heavy Engineering Corporation, Ranchi. There are 3,739 employees belonging to scheduled castes and scheduled tribes working in various categories other than class I posts in HEC.

(b) Yes, Sir.

(c) Most of the posts in HEC were filled up on the basis of the best available candidates before the issue of the directive in March, 1971, by the Government regarding reservation of posts for scheduled castes and scheduled tribes. After March, 1971, in order to attract an adequate number of suitable candidates belonging to scheduled castes and tribes, HEC have introduced pre-selection training courses. In addition, for the candidates belonging to the scheduled castes and scheduled tribes relaxation has been made in respect to age, qualifying marks, and physical standards for appointment in HEC.

Separate Cell For SC/ST Employees in Heavy Engineering Corporation

6883. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether the Social Welfare Committee has recommended to the Government to establish a separate Cell in Heavy Engineering Corporation to provide reservation and due justice to the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the time by which the said cell would be created and the broad outline of the steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) Presumably the reference is to the recommendation contained in the report of the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Fourth Lok Sabha) in which the Committe has urged the setting up of a complaints cell in HEC for the redressal of the grievances of scheduled caste and scheduled tribe employees.

(b) HEC are examining the recommendation of the committee. However, in accordance with the Government directive on the subject, they have already appointed a liaison officer with the requisite supporting staff to ensure prompt attention to and disposal of the grievances and representations of the scheduled caste and scheduled tribe employees.

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड/हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा भारी विद्युत उपकरणों का उत्पादन

6884. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स और हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल के कारखानों की क्षमता, हमारी विद्युत प्रजनन योजनाओं के लिए, भारत विद्युत उपकरणों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) उपरोक्त सरकारी उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किन-किन उपकरणों का उत्पादन होता है; और

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादों के लिए पंचवर्षीय अनुमान लगाया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक भारी विद्युत उपकरणों का निर्माण सरकारी क्षेत्र के एककों अर्थात् बी०एच०ई०एल० और एच०ई०आई०एल०, भोपाल में हो रहा है; दूसरी वस्तुओं का निर्माण सरकारी और गैर-सरकारी दोनों एककों में किया जा रहा है । इस समय ऐसे उत्पादों का उत्पादन निम्न प्रकार है :-

	वस्तुएं	परास (रेंज)
1.	स्टीम टर्बाइन और टर्बो जैनरेटर्स	60 मै०वा०, 110 मै०वा०, 120 मै०वा० और 200 मै० वा० ।
2.	न्यूक्लियर टरबाईन	235 मै०वा०
3.	इंडस्ट्रियल टरबोसैट्	15 मै०वा० से 60 मै०वा० ।
4.	हाइड्रो टरबाइन् और जैनरेटर	165/200 मै०वा० ।
5.	ए०सी० मोटरें	75 कि०वा० से 10,000 कि० वाट
6.	डी०सी० मोटरें	5 कि० वा० से 8000 कि० वाट
7.	हाई प्रेशर बायलर	60,110,120 और 200 मै० वाट के टरबोसैटों के लिए
8.	हाई प्रेशर वाल्व तथा फिटिंग्स	150 पौंड से 2500 पौंड के निर्धारित प्रेशर प्रति घंटे 6 मी० टन
9.	इंडस्ट्रियल और रिकवरी बायलर	प्रति घंटें 6 मी० टन से 300 मी० टन तक
10.	पावर ट्रांसफार्मरस	220 के० वी० तक
11.	सरकिट ब्रेकरों दूसरे नियंत्रण उपकरण	220 के० वी० तक

इसके अतिरिक्त, एच०ई०आई०एल०/बी०एच०ई०एल० में औद्योगिक और कर्षण मोटरों, कर्षण जैनरेटरों, फ्लेम प्रूफ मोटरों, मैराइन टरबाईनों, रसायन और उर्वरक संयंत्रों के लिए कम्प्रेशरों, इस्पात संयंत्रों के लिये टरबो ब्लोवरों का निर्माण और इनकी सप्लाई करते हैं ।

(ग) इन वस्तुओं के और अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है ।

Retrenchment of Labourers on account of Power Shortage in U.P.

6885. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item appearing in the daily 'Jagran' of 7th March, 1973 in which concern has been expressed over the retrenchment of 50 thousand labourers on account of power shortage in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to avoid their retrenchment?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) & (b). Yes, Sir. A number of other States have also been affected by the recent power crisis. Government are taking all possible steps to provide relief to the extent practicable.

पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता देना

6886. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में हाल ही में हुए चुनावों के पश्चात्, बंगला देश को मान्यता देने के बारे में पाकिस्तान से कोई संकेत मिला है; और

(ख) यदि हां, तो वे संकेत क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को रिहा करने संबंधी कुवैत राष्ट्रीय ऐसेम्बली का प्रस्ताव

6887. श्री के० लकप्पा :

श्री पी० एम० मेहता :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुवैत राष्ट्रीय ऐसेम्बली के उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत को दिसम्बर, 1971 के युद्ध से अब तक अपने कब्जे में रखे गए पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को शीघ्र रिहा कर देना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार को इस बात का खेद है कि उक्त प्रस्ताव में इन मूलभूत तथ्यों की अपेक्षा की गई है कि युद्धबन्दियों ने भारत और बंगलादेश की संयुक्त कमान के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और इसलिए किसी भी बातचीत में बंगलादेश का एक पक्ष के रूप में शामिल होना जरुरी है और यह भी कि बातचीत में विलम्ब का कारण पाकिस्तान का बंगलादेश को मान्यता न देना है । सरकार को यह देख कर भी अफसोस हुआ है कि प्रस्ताव में उन बंगालियों का भी कहीं उल्लेख नहीं हुआ है जिनकी संख्या कहीं अधिक है और जिन्हें बड़ी दयनीय अवस्था में पाकिस्तान में रोक रखा गया है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच विमान उड़ानों को पुनः आरम्भ करने में पाकिस्तान की रुचि न होना

6888. श्री के० लक्कप्पा:

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पहले रद्द की गई विमान उड़ानों को पुनः आरम्भ करने की अपनी इच्छा नहीं व्यक्त की है; और

(ख) क्या शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान ने आई० सी० ओ० से मुकदमे को वापिस लेने की अपनी इच्छा के बारे में भारत सरकार को सूचित कर दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार की ओर से पहल किए जाने पर पाकिस्तान सरकार ने पहले तो यह कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के समक्ष दोनों ओर की शिकायतों के जो मामलें हैं उन पर विचार स्थगित करके वह एक दूसरे देश के हवाई जहाजों की उड़ानों के प्रश्न पर भारत सरकार से द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह की वार्ता अब तक हुई नहीं । हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने यह भी सूचित किया है कि यह बातचीत तब तक न हो सकेगी जब तक कि अन्य द्विपक्षीय समस्याओं का समाधान नहीं होता ।

कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधायें

6889. श्री शशि भूषण:

श्री रानेन सेन:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है और श्रमिकों को बढ़ी हुई सुविधायें कब से दी जायेंगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 17 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सीय देख-रेख सम्बन्धी व्यय की अधिकतम सीमा को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार बढ़ाने का निश्चय किया है–

1. सीमित चिकित्सीय देख-रेख:

प्रति वर्ष 56 रुपये से 63 रुपये तक प्रति कर्मकार ।

2. विस्तारित चिकित्सीय देख-रेख:

प्रति वर्ष 60 रुपये से 67 रुपये तक प्रति कर्मकार ।

3. पूरी चिकित्सीय देख-रेख:

प्रति वर्ष 70 रुपये से 80 रुपये तक प्रति कर्मकार ।

निगम ने यह भी निर्णय लिया है कि उपरोक्त सीमा के अतिरिक्त, दवाओं, मरहमपट्टी और औषधियों पर होने वाले व्यय के लिए, प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 30 रुपये से अधिक परन्तु 45 रुपये से अनधिक राशि मंजूर की जायेगी ।

व्यय सम्बन्धी संशोधित अधिकतम सीमाएं पहली अप्रैल, 1973 से प्रभावी हैं।

गुजरात राज्य के लिए इस्पात की आवश्यकता

6890. श्री अरविन्द एम० पटेल: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिए अपनी इस्पात की आवश्यकता के बारे में बताया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी आवश्यकता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) चूंकि वर्तमान वितरण व्यवस्था में राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है । अतः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 के लिए इस्पात की वार्षिक आवश्यकताएं भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषण प्रत्येक तिमाही के लिए इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा विनियमित किए जाते हैं, जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, उपलब्धी और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है ।

राकेट और प्रक्षेपणास्त्र के क्षेत्र में बिड़ला इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालौजी की क्षमता

6891. श्री एस० एन० मिश्र

श्री वीरेन्द्र सिंह राव:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार ने राकेट और प्रक्षेपणास्त्र के क्षेत्र में बिड़ला इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालौजी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है ।

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) रिपोर्ट में समिति ने क्या सिफारिश की है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) एक विवरण सलंग्न है।

विवरण

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशें इस प्रकार थीं :

(1) राकेट प्रणोदन के क्षेत्र में बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनालौजी द्वारा विकसित अन्तः शक्ति को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में प्रक्षेपणास्त्रों की गतिविधि के लिए उपयोग किया जा सकता है । इस संस्थान को प्रणोदकों और प्रणोदन प्रणालियों के क्षेत्र में कुछ अनुसंधान एवं विकास कार्य/सहायक अनुदान योजनाएं आबंटित की जा सकती हैं ।

(2) बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनालौजी में इलैक्ट्रीकल और कन्ट्रोल इंजीनियरी के विभाग में उपलब्ध अनुसंधान अन्तः शक्ति तथा सुविज्ञता को भी रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के लिए काम में लाया जा सकता है ।

(3) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हमारे कुछ वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिए भी संस्थान में शैक्षणिक अन्तः शक्ति को उपयोग में ला सकता है ।

(4) बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनालौजी को संस्थानों की सूची में शामिल किया जाए और उसे राकेटरी तथा प्रक्षेपणास्त्र की शिक्षा सुविधा स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में उपलब्ध सुविधाओं के बराबर उपयुक्त समझा जा सकता है ।

उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया गया और विस्तृत अध्ययन के पश्चात् बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टैकनालौजी को एक सहायता अनुदान परियोजना आबंटित करने का निश्चय किया गया ताकि वे राकेट प्रणोदन के क्षेत्र में और आगे आधार तैयार कर सकें । बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनालौजी ने समिति द्वारा सुझाई गई लाइनों पर कुछ अन्य परियोजनाएं पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं और जो अब संवीक्षाधीन हैं । बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनालौजी में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के बारे में यह विचार किया गया है कि इस समय जिन पाठ्यक्रमों की योजना बनाई गई है वह आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते हैं । विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनालौजी द्वारा पाठ्य-विवरणों में कतिपय परिवर्तन किए जा रहे हैं । स्थिति का अगले वर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा ।

नागपुर क्लाथ हाऊस, पटना के कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लाना

6893. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स नागपुर क्लाथ हाऊस पटना के कर्मचारी भविष्य निधि तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत लाया गया है लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां ।

(ख) निरीक्षण कर्मचारी प्रतिष्ठान में निरीक्षण के लिए गए परन्तु नियोजक उनके समक्ष सारे रिकार्ड प्रस्तुत करने में असफल रहे । हालांकि, भविष्य निधि अंशदानों के सम्बन्ध में देनदारी निर्धारित की गई थी, परन्तु चूंकि प्रत्यक पात्र कर्मचारी के सम्बन्ध में धन-राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अधिनियम की धारा 7क के अन्तर्गत कार्यवाहियां नहीं की जा सकीं । उपरोक्त ब्यौरों की प्राप्ति पर, धारा 7क के अन्तर्गत मूल्यांकन किया जायेगा और कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जायेगी ।

मैसर्स आजाद ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पटना को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

6894. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आजाद ट्रांसपोर्ट एजेंसी पटना की सारे बिहार में अनेक शाखायें हैं और उनको अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत नहीं लाया जा सका क्योंकि प्रबन्धक उस भविष्य निधि निरीक्षक के समक्ष संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके जो उनके यहां अधिनियम की प्रयोजयता की जांच करने के लिए गया था। यदि प्रबन्धक 12-4-1973 तक अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहते है, तो उनके विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

मैसर्स डुढ़वाला ब्रादर्स, मुजफ्फरपुर को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

6895. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स डुढ़वाला ब्रादर्स, मुजफ्फरपुर को अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स डुढ़वाला ब्रादर्स, मुजफ्फरपुर को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं लाया गया है क्योंकि उनके चार अलग-अलग कारखानों में से प्रत्येक में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 20 से कम है।

Normalising Relations With U.S.A.

6896. Shri M. S. Purty
Shri R.R. Singh Deo:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are still trying to normalise relations with U.S.A., in spite of the fact that U.S.A. is following the policy of supplying arms to Pakistan; and

(b) whether Government of India have received any proposal from U.S.A. for effecting a basic change in the policy of Indian Government and if so, the nature thereof as also Governments reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) It is the Government's policy to have normal relation with all countries. That is what we aim at in regard to Indo-American relations. It is however, true that the resumption of U.S. arms supplies to Pakistan will have a negative effect on Indo-U.S. relations.

(b) No, Sir.

Strikes by Affiliated Unions

6897. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Sukhdeo Prasad :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the particulars of the strikes resorted by affiliated unions during the period from 1972 to February, 1973?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G.Venkatswamy): According to the available provisional information, the number of strikes during 1972 and the number of mandays lost due to the these, by Central Workers' Organisations/unaffiliated unions etc., were as follows :

Central Workers' Organisations/Unions	Numbers of Strikes 1972 (Provisional)	Number of Mandays lost 1972 Provisional)
I.N.T.U.C.	297	934,857
A.I.T.U.C.	249	831,752
H.M.S.	120	1,401,078
U.T.U.C.	10	52,329
Multiple Unions	56	1,702,366
Unaffiliated and others*	1,798	6,871,971
Total :	2,530	11,794,353

*'Others' relate to strikes not originated by any union or the affiliation of which was not known.

सप्लाई के माल का आयात

6898. श्री एस० सी० सामन्त : क्या पूर्ति मंत्री देश में बनी वस्तुओं को खरीदने की योजना के बारे 15 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1972-73 और 1973-74 में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इन वर्षों में सप्लाई की विभिन्न वस्तुओं का आयात करने हेतु कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : वित्त वर्ष 1972-73 (दिसम्बर, 1972 तक) के दौरान आयात की गई वस्तुएं और उनका मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4790/73]** दिसम्बर, 1972 तक किए गए आयात का कुल मूल्य लगभग 216.67 करोड़ रुपये है जिसमें सामान के मूल्य के अतिरिक्त, एजेंसी कमीशन, सीमा-शुल्क, अन्तर्देशीय तथा पत्तन निकासी प्रभार भी सम्मिलित हैं जिनका भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया जाता है ।

वर्ष 1973-74 के लिए आयात की वस्तुओं और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान देना सम्भव नहीं है क्योंकि वह विभिन्न मांगकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मांगपत्रों पर निर्भर होगा ।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई

6899. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को अमरीकी फालतू पुर्जों तथा अन्य प्रकार के अघातक समान की सप्लाई से पाकिस्तान निष्क्रिय रक्षात्मक और आक्रामक शस्त्रों का पुनः सक्रिय उपयोग करने लगेगा ; और

(ख) यदि हां, तो टैंकों, सैनिक विमानों और अन्य उपकरणों का ब्यौरा क्या है जिनका पाकिस्तान द्वारा पुनः सक्रिय उपयोग किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : अमेरिका द्वारा फालतू पुर्जों और अन्य हथियारों की होने वाली पूर्तियों को पाकिस्तान द्वारा अपनी रक्षात्मक तथा आक्रामक सम्भाव्यता को पुनः सज्जित तथा सुधार करने में उपयोग किया जा सकता है । और अधिक ब्यौरे देना सम्भव नहीं है ।

कोयला खानों के नए प्रबन्ध के अधीन कर्मचारियों और श्रमिकों को संरक्षण

6900. श्री समर गुह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के कर्मचारियों और श्रमिकों को वहीं खपा लिया गया है और नए प्रबन्ध के आधीन उनके वेतन तथा अन्य सुविधाओं को सुरक्षित रखा गया है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई कोयला खानों की आस्तियों, सम्पत्तियों एवं खानों के नए प्रबंध को उचित रुप से सौंप दिया गया है ;

(ग) क्या कोयला खानों के कर्मचारियों और श्रमिकों को कोयला खानों के प्रबन्ध तथा अन्य कार्यों में शामिल करने संबंधी योजनायें तैयार कर ली गई हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य विशेष बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां, जहां तक कर्मकारों का सम्बन्ध है। जहां तक स्टाफ का संबंध है, अर्हताओं, अनुभव, सेवा-रिकार्ड इत्यादि घटकों को ध्यान में रखते हुए, उचित जांच के पश्चात् उन्हें उपयुक्त वेतनमानों में नियुक्त किया जाएगा ।

(ख) प्रबन्ध ग्रहण के समय, खानों में उपलब्ध समस्त आस्तियों, सम्पत्तियों और अभिलेखों को अभिरक्षकों द्वारा, विद्यमान प्रबन्धकों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त सूची के अन्तर्गत, ग्रहण किया गया था ।

(ग) और (घ) : कोयला खान क्षेत्रों के प्रबन्ध की देख रेख कर रहे समस्त अधिकारियों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि वह क्षेत्र में क्रियाकलापों से सम्बन्धित समस्त उपायों के बारे में व्यापार संघों में विश्वास उत्पन्न करें जिससे न केवल प्रबन्ध-ग्रहण संक्रियाओं के दौरान ही बल्कि तत्पश्चात् उठाए जाने वाले कदमों में भी उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके ।

बंगला देश के शरणार्थियों का वापसी

6901. श्री समर गुह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-पाकिस्तान युद्ध से पूर्व तथा युद्ध के दौरान बंगला देश से आये जिन शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी, वे सब अपने देश वापस चले गए हैं ;

(ख) क्या उन में से कुछ अभी तक भारत में रह रहे हैं ;

(ग) क्या कुछ अन्य लोग भारत वापस आ गए हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके पुनर्वास की बाकी सब समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) 25-3-1971 के बाद बंगला देश से भारत आए शरणार्थियों की कुल संख्या 98.99 लाख थी । 67.97 लाख ने शिविरों में प्रवेश ले लिया था और शेष शिविरों से बाहर अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ रह रहे थे। केवल 540 व्यक्तियों को छोड़कर सभी शिविर शरणार्थी बंगला देश भेज दिए गए हैं । इन 540 व्यक्तियों को भी यथासंभव समय में बंगला देश भेज दिया जाएगा ।

जहां तक गैर-शिविर शरणार्थियों का सम्बन्ध है, अर्थात् वे जो अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ रह रहे थे, उनमें से भी अधिकांश अपने आप बंगला देश लौट गए हैं । इक्के-दुक्के मामलों का जब कभी पता चलता है, उन पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

(ग) और (घ) 17-3-1973 तक लगभग 38,000 व्यक्तियों के 7,547 परिवार भारत लौट आए थे । छान बीन करने पर यह मालूम हुआ कि इन परिवारों में से अधिकांश भतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में आन्तरिक विद्रोह होने से पूर्व भारत आ गए थे परन्तु बंगला देश के स्वतंत्र होने पर भारत में शिविरों/पुनर्वास स्थलों को छोड़ कर चले गए थे । जांच करने के पश्चात् इन परिवारों को माना भेजा जा रहा है और उनको रिहायश तथा भरण-पोषण के लिए नकद अनुदान दिया जा रहा है । उपयुक्त मामलों में कम्बल, बर्तन और वस्त्र भी दिए जाते हैं । उन्हें यथा समय पुनर्वास सहायता दी जाएगी ।

सेवा निवृत होने वाले कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को असैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने संबंधी योजनायें

6902. श्री भी किशन मोदी :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक ने सेवानिवृत होने वाले कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को असैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) इस योजना में व्यवसाय प्रबन्ध, औद्योगिक प्रबन्ध, विपणन प्रबन्ध, श्रम तथा कम्पनी कानून आदि विभिन्न पाठ्यक्रम चालू करना शामिल है । सेवानिवृत होने वाले कमीशन अफसरों के लिए सशस्त्र सेनाओं से उनके सेवामुक्त होने पर इन पाठ्यक्रमों द्वारा सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्रत्याशा बढ़ने की आशा है । उनकी सेवा-निवृति के पश्चात इन में से कुछ पाठ्यक्रमों उनकी स्वनियोजन रोजगार प्रत्याशा भी बढ़ाएंगे । ये सभी पाठ्यक्रम थोड़ी अवधि के हैं और प्रशिक्षण स्वयंसेवकों तक ही सीमित है । अफसर इन पाठ्यक्रमों में कार्यालय समय के पश्चात् अथवा उनकी छुट्टी की अवधि के दौरान में उपस्थित होते हैं ।

इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से 40,000 रुपए वार्षिक चिहनित किए जाते हैं । गत दो वर्षों के दौरान, ऐसे 21 पाठ्यक्रम चलाए गये थे और 579 अफसरों ने इस सुविधा से लाभ उठाया ।

पाकिस्तान द्वारा खाली किए गए भारतीय क्षेत्र तथा भारत द्वारा खाली किए गए पाकिस्तानी क्षेत्र

6903. श्री समर गुह : क्या **विदेश** मंत्री पाकिस्तान द्वारा खाली किए गए भारतीय क्षेत्र तथा भारत द्वारा खाली किए गए पाकिस्तानी क्षेत्र के बारे में 22 फरवरी, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के भारत-पाक युद्ध से पूर्व भारत के अंग के रूप में भारत ने कोई क्षेत्र खाली किया है और क्या इसी प्रकार का कोई क्षेत्र पाकिस्तान ने भी खाली किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र के नामस्थिति और क्षेक्षफल क्या है जो पाकिस्तान को दिए गए या भारत के हाथ आए ;

(ग) क्या क्षेत्रों के इस प्रकार के लेन-देन की भारतीय संविधान में संसद् की सहमति बिना अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1971 के युद्ध के दौरान अधिकृत क्षेत्रों से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सेनाओं की वापसी हो गई । लेकिन जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा का सीमांकन दोनों पक्षों की सहमति से उन के विरोधी दावों में थोड़ा बहुत समंजन करते हुए शिमला समझौते की शर्तों के अधीन कर दिया गया । सदन में पहले दिए हुए मेरे वक्तव्य में इसको स्पष्ट कर दिया गया था ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

दण्डकारण्य परियोजना द्वारा बसाये गए आदिम जातीय और विस्थापित व्यक्तियों की संख्या

6904. श्री के० प्रधानी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना द्वारा कृष्यकृत की गई भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय जनजातीय लोगों को बसाया गया था और भारत सरकार ने दोनों समूहों के पुनर्वास पर धन राशी व्यय की ; यदि हां, तो सरकार ने शेष कार्य को अपने पास रख कर जनजातीय व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य को उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश सरकारों को किस आधार पर सौंपा है ;

(ख) क्या पुनर्वास के पश्चात् दोनों समूहों के जीवन स्तर में कोई स्पष्ट अन्तर दृष्टिगत हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन जनजातीय व्यक्तियों के सुधार के लिए कोई विशेष उपाय करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) दण्डकारण्य परियोजना में बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों और आदिवासी परिवारों के पुनर्वास पर होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए ऋण मंजूर किए जाते हैं। आदिवासियों को पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों के माध्यम से सीधे अनुदान दिए जाते है। केन्द्र और दोनों राज्य सरकारों के मध्य आपसी सहमति के अनुसार आदिवासियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के सुझाव पर, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ने अपनी निजी एजेन्सी के माध्यम से परलकोट जोन में 300 आदिवासी परिवारों को बसाने की जिम्मेदारी ले ली है।

(ख) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में बसाए गए विस्थापितों और आदिवासियों के रहन सहन के स्तर में अन्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षेण नहीं किया गया है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दण्डकारण्य परियोजना के विचाराधीन नहीं है।

दण्डकारण्य में बसाये गए आदिवासी और विस्थापित व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनायें

6905. श्री के० प्रधानी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य अधिकारियों ने सभी योजनाएं पूरी कर ली हैं, जो उन्होंने विस्थापित और स्थानीय आदिवासियों के हित के लिए बनाई थीं ;

(ख) यदि नहीं, तो पूरी किए जाने के लिए कितनी योजनाएं बाकी हैं ; और

(ग) इन योजनाओं को उनका कब से शुरू करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, आदिवासियों और क्षेत्र विकास के लिए योजनाओं मे मोटे तौर पर भूमि का विकास, गांवों की स्थापना, सिंचाई की व्यवस्था, पानी की सप्लाई, शैक्षिक तथा चिकित्सा सुविधाएं और सड़कों का निर्माण आदि आते हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर बनाया जाता है और उसे भूमि तथा अन्य साधनों की उपलब्धता अनुसार कार्यान्वित किया चाता है। पुनर्वास कार्यक्रम निरन्तर चलने वाला कार्य है और जिन योजनाओं का कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं होता उन्हें सामान्यतया अगले वर्ष के कार्यक्रम में ले लिया जाता है।

सोनाबेड़ा में 'मिग' कारखाने की स्थापना से विस्थापित हुए आदिम जातीय व्यक्तियों को मुआवजा और रोजगार देना

6906. श्री के० प्रधानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनाबेड़ा में मिग कारखाने की स्थापना से विस्थापित हुए सभी आदिम जाती व्यक्तियों को पूरा मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) क्या उनमें से किसी को कारखाने में रोजगार दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और किस वर्ग की सेवा में उन्हें रोजगार दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सोनाबेड़ा में मिग कारखाने के लिए भूमि उड़ीसा सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई थी, और भारत सरकार को निःशुल्क दी गई थी। विस्थापित आदिम जातियों को मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

(ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) इस क्षेत्र से 25 अनुसूचित जातियों और 9 अनुसूचित जन जातियों क उम्मीदवारों को कारखाने में ग्रुप "ए" में 100-4-140 रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया है ।

Non-Deposit of Employees Provident Fund by Factories in Madhya Pradesh

6907. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the time upto which the factories can deposit their contribution to the Provident Fund after the close of a financial year;

(b) whether Vinod Mill, Ujjain, Jaora Sugar Mill, Jaora, and Govind Ram Modi Sugar Mill, Mahidpur in Madhya Pradesh, have not deposited their share of the Provident Fund within the scheduled time and the said amount has been entered in the provident fund account books of the workers after two years; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G.Venkatswamy): (a) Under the provisions of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the employer has to deposit both shares of provident fund contributions (employers' and employees' shares) together with the administrative charges to the Employees Provident Fund within 15 days of the close of every month.

(b) and (c) The information is being collected by the Provident Fund Authorities. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Steel Rolling Mills in Madhya Pradesh

6908. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of steel rolling mills in Madhya Pradesh and the locations thereof ?

(b) the annual production capacity thereof ; and

(c) the amount of assistance and loans given to them by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

देसी जस्ते के मूल्य में वृद्धि की मांग

6909. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोमिन्को बिनानी ने देसी जस्ते के मूल्य में वृद्धि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि के लिए क्या कारण दिए गये है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां । मैसर्स कोमिन्को बिनानी जिंक लिमिटेड ने यह अभ्यावेदित किया है कि सरकार द्वारा जस्ता की 4090 रुपए प्रति टन बिक्रय कीमत (जिसमें उत्पादन शुल्क और विनियामक उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं है) अलाभकर है और इसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है । मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही विनिश्चय लिए जाने की सम्भावना है ।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक वर्ग के लिए भर्ती नियम

6910. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक वर्ग के पद पर भर्ती के लिए नियम बना लिए गए हैं और यदि हां, तो कब;

(ख) तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक वर्ग के कितने व्यक्तियों को स्थायित्व घोषित किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति की अर्हता तथा अनुभव क्या है; और

(ग) क्या फरवरी, 1973 में भर्ती नियमों के अभाव के कारण तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के कुछ प्रशिक्षकों को स्थायित्व नहीं किया गया था और यदि हां, तो इस भेदभाव के कारण क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) भर्ती के नियम विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय कैम्प में स्टाफ की नियुक्ति

6911. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय में भूतपूर्व उपमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन कर्मचारियों को, जिन्हें एक कैम्प से दूसरे में 2-3 बार बदला जा चुका है, आगे तबादला नहीं किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय कैम्प के चिकित्सा विंग में नियुक्तियां करते समय इस आश्वासन को ध्यान में रखा गया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है कि भूतपूर्व पुनर्वास उपमंत्री श्री बालगोविन्द वर्मा ने माना के अपने दौरे के दौरान कोई आश्वासन दिया है कि जिन कर्मचारियों को पहले ही एक कैम्प से दूसरे में 2-3 बार बदला जा चुका है उनका आगे तबादला नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माना कैम्प समूह के कर्मचारी

6912. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना कैम्प समूह में ड्राइवरों और प्राइमरी अध्यापकों सहित सभी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें वेतन, भत्ते और अन्तरिम राहत केन्द्रीय दरों पर दिए जाते हैं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार के वेतन मानों पर कार्य करने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल, लेकचरारों, स्नातक अध्यापकों, मिडिल स्कूलों के सहायक अध्यापकों और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को छोड़कर माना शिविर समूह में काम करने वाले शेष सभी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की दरों पर वेतन तथा भत्ते पाते हैं। राज्य सरकार की दरों पर भत्ते पाने वाले प्राइमरी अध्यापकों को छोड़ कर वे अन्तरिम सहायता सहित भत्ते केन्द्रीय सरकार की दरों पर पाते हैं। राज्य सरकार के वेतन मानों को इस दृष्टि से लागू किया गया कि शिविर के बन्द होने पर स्कूलों को कर्मचारियों सहित राज्य सरकार को आसानी से हस्तान्तरित किया जा सके।

गुजरात में आटो इण्डस्ट्रीज की स्थापना

6913. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र में 'आटो इंडस्ट्रीज' न होने के कारण राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह सच है कि गुजरात में सरकारी क्षेत्र में कोई मोटरगाड़ी संयंत्र नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली कठिनाइयों के बारे में भारत सरकार को पता नहीं है। फिर भी, मै० गुजरात स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को प्रतिवर्ष 24,000 की क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने हेतु हाल ही में एक लाइसेंस दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपंग भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार

6914. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपंग भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप वर्ष 1972 में कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे०बी० पटनायक) : 1972 के दौरान 276 अपंग भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 3 अपंग भूतपूर्व सैनिकों को दिल्ली में छतरियां (को आस्क) दी गईं और 162 ऐसे कार्मिकों को स्वनियोजन के क्षेत्र में इण्डियन आयल कार्पोरेशन को एजेन्सियां आबंटित की गईं।

सरगीपल्ली, उड़ीसा का खनन पट्टा

6915. श्री पी० गंगादेव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सरगीपल्ली सीसा अयस्क निक्षेप का खनन पट्टा प्रस्तावित निगम को दिया जायेगा जैसा कि निर्धारित था ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा के सरगीपल्ली ग्राम में सीसा, जस्ता और अन्य सम्बंधित खनिजों के लिए, मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टे के अनुदान के बारे में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की सूचना 5 अप्रैल, 1973 को दी गई थी।

कोकिंग कोल की किस्म और कोक साफ करने की सुविधाओं में सुधार

6916. श्री पी० गंगादेव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग कोल की किस्म को सुधारने और कोयला साफ करने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या नवीनतम उपाय करने का विचार है ; और

(ख) क्या कोकिंग कोल की घटिया किस्म और कोयला साफ करने की उपयुक्त सुविधाएं न होना एकीकृत इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में बाधक सिद्ध हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोकिंग कोल की किस्म को सुधारने और कोयला साफ करने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सुझाये गये नवीनतम उपाय निम्नलिखित हैं :-

(1) साफ कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोयला साफ करने के वर्तमान कारखानों के काम में तेजी लाना ।

(2) कोयले की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए कोयला साफ करने की नई क्षमता का विकास करने का विचार है ।

(3) कोयला खानों पर ही खराब कोयले को हाथ द्वारा चुन कर निकाल देना और इस प्रकार परिष्करण सुविधाओं को और अच्छा बनाना :

(ख) कोक भट्टियों और धमन भट्टियों की तकनीकी कार्य कुशलता बनाए रखने में कोयले की घटिया क्वालिटी अवश्य ही बाधक है । फिर भी हम देश में उपलब्ध कोयले को साफ करने की कोशिश करते हैं, जिस से इस्पात कारखानों में इस का इस्तेमाल किया जा सके । अभी तक कोयला शोधन सुविधाओं की कमी इस्पात कारखानों के उत्पादन में कोई बड़ी बाधक सिद्ध नहीं हुई हैं ।

इण्डोनेशिया के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भारतीयों को सम्मानित करना

6917. श्री गिरिधर गोमांगो :
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया की सरकार ने ऐसे कई भारतीयों को सम्मानित करने के बारे में भारत को कोई पत्र भेजा है जिन्होंने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मानित भारतीयों की संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) तीन भारतीयों को, इण्डोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए की गई उनकी सेवाओं के लिए इण्डोनेशिया की सरकार ने प्रशस्ति-पत्र दिए हैं ।

सैनिक विमान बनाने में आत्मनिर्भरता

6918. श्री रानेन सेन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सैनिक विमान बनाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने क लिए हि०ए०लि० द्वारा विभिन्न प्रकार के सैनिक वायुयान, हैलीकाप्टर तथा संबंधित उपस्कर इस समय बनाए जा रहे हैं । इसमें स्वदेशी रूप से तैयार किए गए डिजाइन तथा विकसित और लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित वायुयान भी शामिल हैं । इस समय अधिकतर कच्चा माल तथा मुख्य उपस्करों का आयात किया जाता है, लेकिन अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यथा संभव अधिक से अधिक मदों के स्वदेशी उत्पादन स्थापित किए जाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत वायुयान और हैलिकाप्टर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्वदेशी डिजाइन तथा विकास क्षमता को बनाने तथा विस्तार करने के लिए भी पग उठाए जा रहें हैं ।

(ख) निकट भविष्य में सैनिक वायुयानों के उत्पादन के संबंध में पूर्ण आत्म-निर्भरता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन अधिक से अधिक देशीकरण को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

हिन्द महासागर में ब्रिटिश-अमरीकी शक्तियों द्वारा सैनिक और नौसैनिक अड्डे बनाना

6919. श्री रानेन सेन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को हिन्दमहासागर में सैनिक और नौसैनिक अड्डे बनाने पर चिन्ता के बावजूद ब्रिटिश-अमरीकी शक्तियां हिन्द महासागर के द्वीपों में ऐसे अड्डे बनाए जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों के साथ हिन्द महासागर के द्वीपों में सैनिक और नौसैनिक अड्डों की स्थापना के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने में पहल करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) 1967 में ब्रिटेन और अमरीका ने हिन्द महासागर में ब्रिटिश क्षेत्र में नौसैनिक, वायु तथा संचार सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक करार किया । भारत और कई एक अफ्री-एशियन देश हिन्द महासागर को इस उद्देश्य के लिए उपयोग करने के विरुद्ध हैं । भारत ने एंगलो-अमेरिकी गतिविधियों के विरुद्ध नवम्बर 1970 में विरोध किया । हिन्द महासागर को ऐसे अड्डों से मुक्त रखने के लिए हमारे अनरोध पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में प्रयत्न चल रहे हैं ।

हिन्द-चीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के कार्यकलाप

6920. श्री रानेन सेन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैनेवा सम्मेलन द्वारा स्थापित किए गए हिन्द-चीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के वर्तमान कार्यकलाप क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जैनेवा सम्मेलन में वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया के लिए तीन अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग स्थापित किए थे ।

कम्बोडिया में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग 31 दिसम्बर, 1969 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था ।

वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग 13 मार्च, 1973 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था ।

लाओस में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग कार्य कर रहा है ।

दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए विशेषज्ञ समिति

6921. श्री रानेन सेन : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों के विस्तार के बिभिन्न पहलुओं की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) मैटेलरजीकल एण्ड इंजीनियरी कन्सलटैन्टस इंडिया लिमिटेड से, जो पहले हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो के नाम से काम करते थे, दुर्गापुर और राउरकेला के और अधिक विस्तार करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा गया है ।

(ख) यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत का राजनीतिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ जाना

6922. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ जाने के कारण इस क्षेत्र में अपना सम्मान बड़ी तेजी से खो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या राजनयिक अथवा अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण और आपसी हित में लाभकारी सहयोग के संबंध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के कलकत्ता स्थित स्टाक-यार्ड का अधिग्रहण

6923. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के कलकत्ता स्टाक यार्ड को भी सरकार ने आई० आई० एस० सी० ओ० के साथ अपने नियन्त्रण में ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो स्टाक यार्ड को चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या स्टाक यार्ड में ठेकेदारों के अधीन नियुक्त श्रमिकों को सेवा की सुरक्षा दे कर नियमित कर दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 'इस्को' ने मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी को नोटिस दिया है कि वे 1 जुलाई, 1973 से मार्टिन बर्न के साथ स्टाक यार्ड की व्यवस्था समाप्त कर देगी। 'इस्को' 1 मई, 1973 से कलकत्ता में अपना स्टाकयार्ड खोलने का प्रबन्ध कर रही है।

(ग) मार्टिन बर्न के स्टाकयार्ड में काम कर रहे कर्मचारी एक ठेकेदार द्वारा मार्टिन बर्न के लिए भर्ती किए गये हैं। 'इस्को' का इन कामगारों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी एक मानवीय समस्या होने के नाते कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन से यह समझौता कर लिया गया है कि जब 'इस्को' का स्टाक यार्ड काम करना शुरु कर देगा तो कामगारों को यथासंभव अधिकाधिक संख्या में स्टाकयार्ड में रोजगार दे दिया जाएगा।

'कोल सप्लाई मे बी गवर्नमेंट मोनोपली' (कोयला सप्लाई पर सरकार का एकाधिकार हो सकता है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6924. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1973 के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में "कोल सप्लाई मे बी गवर्नमेंट मोनोपली" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां।

(ख) लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार को, वितरण की उस नई पद्धति के अन्तर्गत जिसे केन्द्र द्वारा, राज्य सरकारों के सहयोग से तैयार किया जा रहा है, कोयले के आपूर्तिकों में एकाधिकार प्राप्त होगा। कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात, कीमत वृद्धि और आपूर्ति में कमी के कारण उत्पन्न स्थिति का सामना करना ही, इसका प्राथमिक उद्देश्य बताया गया है। यह बात भी फैलाई गई है कि समस्त यथांश, चाहे वह केन्द्रीय है अथवा राज्य सरकार के, उन्हें समाप्त किया जाएगा और प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल के बाद कोई परमिट जारी नहीं किए जाएगें तथा उद्योग और सिविल आपूर्ति के निदेशक द्वारा कोयले का खण्ड रेकों में संचलन

चयित केन्द्रों की ओर प्रवर्तित किया जाएगा जहां उनके भण्डार बनाए जाएगें और जहां से समस्त उपभोक्ताओं, जिसमें वृहद् औद्योगिक उपभोक्ता भी सम्मिलित है, को अपनी आपूर्ति प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। वृहद् उपभोक्ताओं द्वारा भन्डारों की आपूर्ति का अपना एकमात्र स्रोत बनाने के लिए बाध्य किए जाने की स्थिति में, उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों पर भी प्रकाश डाला गया है।

2. प्रायोजना में, जो इस समय सरकार के विचाराधीन है, केवल लघु उद्योगों, ईंट भट्टियों और घरेल उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर कोयला भण्डारों का खोला जाना परिकल्पित किया गया है। इसके अन्तर्गत कोयले के पूर्ण रेकों को विभिन्न राज्यों में चयित गंतव्यों की ओर संचलित किया जाएगा और वहां से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीधे अथवा स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले अपने अभिकताओं द्वारा लघु उपभोक्ताओं में कोयला वितरित किया जाएगा। इस प्रायोजना के एक बार चालू किए जाने पर, लघु उद्योगों, ईंट भट्टियों और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित कोयले से सम्बंधित वर्तमान प्रवर्तन पद्धति को समाप्त किया जा सकता है।

प्रायोजना द्वारा बृहद् उपभोक्ताओं को, जो पहले ही खण्ड रेंकों में कोयला प्राप्त कर रहें है, कोयला-आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी।

सशस्त्र सेनाओं के क्रियाकलापों के समन्वयन और निर्देशन के लिए सैना अध्यक्षों की समिति

6925. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के तीन विंगों के सेनाध्यक्षों की समिति, जिसने दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान प्रभावशाली ढंग से काम किया था, सशस्त्र सेनाओं की गतिविधियां, का समन्वय करने तथा निदेश देने के लिए एक स्थायी संगठन के रूप में बनी रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति के कार्यकरण और इसके चैयरमैन के चयन के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त रखें है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) चीफस आफ स्टाफ कमेटी एक स्थायी संगठन है जिसका गठन तथा कार्य सरकार द्वारा 1947 में निर्धारित किया गया था। कमेटी में तीनों सर्विस चीफ सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं और उसकी अध्यक्षता कमेटी में अधिकतम सेवा वाला सदस्य करता है। कमेटी के कार्य निम्नांकित हैं :-

(क) उच्चतर रक्षा संगठन में सर्वोच्च समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना और सभी तीनों सेवाओं को प्रभावित करने वाले मामलों पर समन्वित विचार करना।

(ख) रक्षा मंत्री को और सामान्यता: उसके माध्यम से मन्त्री परिषद की राजनितिक कार्य समिति को सैना के उन सभी मामलों पर सलाह देना जिन पर अनुसचिवीय विचार की आवश्यकता होती है।

(ग) इस समिति के अधीन कार्य करने वाली संयुक्त आयोजन, संयुक्त प्रशिक्षण और अन्य उप-समितियों के दिन प्रति दिन के कार्य का निदेश करना।

इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, कलकत्ता द्वारा इस्पात के 'बल्क' आयात का अनुरोध

6926. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, कलकत्ता ने अनुरोध किया है कि इस्पात की 15 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकताओं में से 50 प्रतिशत इस्पात का 'बल्क' आयात किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया से हाल में प्राप्त हुए पत्र में अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष इस्पात की विभिन्न श्रेणियों का लगभग 15 लाख टन आयात करने की आवश्यकता होगी। इस एसोसिएशन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया है कि इस मात्रा का 50% अर्थात् 750,000 (±10%) का माध्यम अभिकरणों की मार्फत थोक में आयात किया जाना चाहिए।

जबकि इस समय इतनी अधिक मात्रा का अग्रिम आयात करना संभव नहीं है, फिर भी हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा स्थापित इस्पात बेक द्वारा कुछ पेशगी थोक आयात किया जाएगा, जिससे प्राथमिक उपभोक्ताओं को वैध आयात लाइसेंसों अथवा रिलीज आर्डरों पर स्टाक में से माल दिया जा सके। इसके अलावा वर्ष 1973-74 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात की ऐसी श्रेणियों के लिए जिनका आयात माध्यम अभिकरणों से किया जाता है, के लिए अपनी निर्धारित पात्रता के लिए रिलीज आर्डर प्राप्त करने हेतु 31 जुलाई, 1973 तक लाइसेंस प्राधिकारियों को सीधे आवेदन करना होगा।

इससे हिन्दुस्तान स्टील लि० समर्थकारी अभिकरण के रूप में इन सब लोगों के लिए थोक में आयात की व्यवस्था कर सकेगी। इस तरह इस्पात के थोक आयात की कुल मात्रा लगभग उतनी ही होगी जितनी कि एसोसिएशन ने सुझाई है।

भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों और असैनिकों के परिवारों के साथ तबादले के लिए बंगाली परिवारों की सूची

6927. श्री पी० ए० सामिनाथन:
श्री प्रभुदास पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने 15,000 बंगाली महिलाओं और बच्चों की एक सूची को अन्तिम रूप दे दिया है जिनको वे भारत में युद्ध बन्दियों और असैनिक व्यक्तिओं की आश्रित महिलाओं और बच्चों के साथ तबादला करने के लिए तैयार होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वह सूची भारत को भेज दी है; और

(ग) इन व्यक्तियों का वास्तव में कब तक तबादला होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान ने बंगला देश मूल से करीब 15,000 लोगों की सूची बंगलादेश सरकार को भेजी है, जिन में अधिकांशत: निराश्रितों और गैर-कर्मचारियों के सदस्य है और कुछ पुरुष भी; यह सूची इन व्यक्तियों को अंतत: बंगला देश प्रत्यावर्तित करने के इरादे से भेजी गई है। ऐसा समझा जाता है कि बंगला देश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास द्वारा, जिसने यह सूची सीधे बंगलादेश सरकार को भेजी थी, पाकिस्तान से कुछ स्पष्टीकरण मांगें है। पाकिस्तान की सूची में उल्लिखित व्यक्तियों की भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों और नजरबंदों के परिवारों से अदलाबदली की तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

फतेहगढ़ शिविर (उत्तर प्रदेश) से पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों का भागना

6928. श्री पी० ए० सामिनाथन:
श्री महादीपक सिंह शाक्य:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी युद्ध बन्दी फतेहगढ़ शिविर से 13 मार्च, 1973 को भाग गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) उनके भागने को रोकने के लिए क्या उपाय किये जाते हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 12 मार्च, 1973 को एक युद्ध बन्दी फतेहगढ़ शिविर से भाग गया; 13 मार्च, 1973 को कोई बन्दी नहीं भागा था।

(ग) किसी युद्धबन्दी को भागने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय बर्तें गये हैं।

सेना कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

6929. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रैंकों के सेना कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4791/73]**

बेनडूबी, हाशीमाड़ा, दार्जिलिंग, कुरसिओंग और गोहाटी के सप्लाई केन्द्रों में 'ड्रैस्ड मीट' 'हूफ्ड मीट', आलू तथा हरी सब्जियों की टेंडर में दी गई दरें

6930. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में भारतीय सेना के बेनडूबी, हशीमाड़ा, दार्जिलिंग, कुरसिओंग और गोहाटी स्थित सप्लाई केन्द्रों में 'ड्रेस्ड मीट' 'हूफ्ड मीट' आलू और हरी सब्जियों की न्यूनतम टेंडर दरें क्या थीं; और

(ख) इन मदों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत टेंडर दरें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

पूर्वी कमांड को मांस, सब्जियां और भोज्य पदार्थों की सप्लाई के लिए पंजीकृत ठेकेदार/सहकारी समितियां

6931. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी कमांड को मांस, सब्जियां और अन्य भोज्य पदार्थों की सप्लाई करने के लिए कुल कितने गैर-सरकारी ठेकेदारों और सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

सक्रिय सेवाओं से छंटनी शुदा अपंग सैनिक

6932. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में सक्रिय सेवाओं से कुल कितने अपंग सैनिकों की छंटनी की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, यह एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में पुनर्वास कार्य

6933. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची (बिहार) के साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कितने व्यक्तियों को अब फिर से बसाया जा चुका है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1967 में साम्प्रदायिक दंगों के समय भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड के 687 कर्मचारियों के पास बस्ती में क्वार्टर थे उनमें से 502 कर्मचारी पी० टी० आई० आर्टीजन होस्टल में चले गये थे । आर्टीजन होस्टल में रह रहे कर्मचारियों में से अब तक 395 को फिर से बस्ती में बसाया जा चुका है । जैसे ही बस्ती में और मकान उपलब्ध हो जायेंगे अन्य कर्मचारियों को भी फिर से बसा दिया जायेगा ।

Filling up of Posts lying vacant in Indian embassies abroad

6934. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of posts lying vacant in the Indian embassies in foreign countries at present and since when;

(b) the time by which these posts are likely to be filled in and the reasons for which these have not been filled so far; and

(c) the number of Indian Ambassadors who have been entrusted with the work of more than one country?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendera Pal Singh) : (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

(c) 25.

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

6935. श्री नारायण चन्द पाराशर :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 के मध्य में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात से पाकिस्तान ने किन-किन तिथियों को और किन-किन स्थानों पर युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : 2 जुलाई 1972, जब शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे, और 31 मार्च 1973 के बीच पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा 83 बार भूमि तथा 14 बार वायु सीमा का उल्लंघन किया गया तारीखों तथा स्थानों के बारे मे ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4792/73]**

जातियों के नाम के आधार पर भारतीय सेना की रैजीमेंटों के नाम

6936. श्री नारायण चन्द पाराशर : तथा रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में किसी रैजीमेंट का नाम जातियों पर न रखने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रैजीमैंटों के जातियों पर रखे गए नामों को भी बदला जाएगा ताकि सभी जातियों के प्रति समान नीति अपनाई जा सके; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं श्रीमन् । सेना में कुछ रैजीमेंटों के वर्तमान जाति नामों को ऐतिहासिक तथा परम्परा के कारणों से बनाए रखने की अनुमति दी गई हैं । तथापि सरकार की यह सामान्य नीति रही है तथा है कि सेना में यथा संभव विस्तृत आधार पर भर्ती की जाये । सब नागरिकों को जाति, धर्म तथा निवास स्थान पर बिना ध्यान दिए जहां तक व्यावहारिक हो समान सुअवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । इसे ध्यान में रखते हुए कुछ रैजीमेंटों के पुराने वर्ग या जाति नाम बनाए रखे जा रहे है ।

दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान साहसपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य पुरस्कार देना

6937. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं दूर-संचार (डाक-तार विभाग) कर्मचारियों को भी 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान साहसपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य पुरस्कार दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार विभूषित किए गए कर्मचारियों के नाम तथा स्थाई पते क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् । सेना के साथ कार्य कर रहे डाक व तार विभाग के किसी सदस्य को कोई शौर्य पुरस्कार नहीं दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका के पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के निर्णय को नेपाल का समर्थन

6938. श्री आर० वी स्वामीनाथन : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान काठमण्डु से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के एक सरकारी दैनिक समाचार-पत्र "राइजिंग नेपाल" की ओर दिलाया गया है जिसमें अमरीका के पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के निर्णय को समर्थन किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने नेपाल सरकार से इस बात को स्पष्ट करवाया है;

(ग) क्या हमारे पड़ौसी अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और अमरीकी प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ, जिन्होंने हाल ही म भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश का दौरा किया था, इस संबन्ध में बातचीत की थी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जहां तक सरकार की जानकारी है इस क्षेत्र के किसी भी देश ने अमरीका की इस कार्रवाई का अधिकारिक तौर पर स्वागत नही किया है; निस्संदेह पाकिस्तान इसका अपवाद है । सरकार का विश्वास हैं कि चूंकि इस कार्रवाई से इस उपमहाद्वीप में स्थाई शांति स्थापित करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अतः इस बात का कोई भी देश समर्थन नहीं करेगा ।

(घ) अन्य बातों के अलावा, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर से रोक हटाने के अमरीकी निर्णय की घोषणा से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भारत की यात्रा पर आए थे, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की इस उप महाद्वीप की यात्रा के दौरान इस मामले पर विचार-विमर्श करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की मांग और उत्पादन

6939. श्री अम्बेश: क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, सभी किस्मों के कोयले की कुल मांग कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों सें, वर्षबार, सभी किस्मों के कोयले का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ग) देश में कोयले के कुल वार्षिक उत्पादन से कुल वार्षिक मांग कितनी अधिक है; और

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कोयला आयात करने के लिए विदेशों को, देशवार, कितनी धन राशि का भुगतान किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कोयले का वर्षवार उत्पादन निम्न प्रकार से रहा है :-

	(लाख टनों में)
1969-70	757.20
1970-71	729.50
1971-72	720.60

इन वर्षों के दौरान कोयला के लिए मांग की जानकारी नहीं है लेकिन मुख्यतः परिवहन कठिनाईयों के कारण असंतोषप्रद मांग रही है । यदि वैगनों की पर्याप्त उपलब्धता होती तो उत्पादन उच्चतर स्तर प्राप्त कर सकता था ।

(घ) विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिकतर एनथ्रेसाइट और विनिर्दिष्ट प्रकार के हार्ड कोक का, जो देश में अनुपलब्ध था, आयात किया जाता था । बिगत तीन वर्षों के दौरान किए गये आयात की मात्रा और उसका मूल्य निम्न प्रकार से रहा है :-

वर्ष	एनथ्रेसाइट मात्रा (टनों में)	कोक मात्रा (टनों में)	कुल मूल्य (लाख रुपये)
1969-70	634	5035	2 .50
1970-71	784	533	10.38
1971-72	963	4556	39.50

कोयला और कोक का आयात मुख्यत: अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और नार्वे से किया जाता है ।

नमक श्रमिकों की मजूरी

6940. श्री बी० वी० नायक: क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पश्चिमी तट पर वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा घरेलू नमक के उत्पादन कार्य में संलग्न श्रमिकों की मजूरी क्या है;

(ख) क्या ये मजूरी न्यूनतम मजदूरी से समरूप है; और

(ग) यदि नही, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1967 में गुजरात सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 1.75 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की और 1953 से पहले मैसूर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 2.37 रुपये प्रतिदिन की दर से निर्धारित की वास्तविक मजदूरियों और अन्य राज्य सरकारों के संबन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन राज्य सरकारों को किसी भी ऐसे नियोजक के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है, जो अधिनियम के अधीन अधिसूचित मजदूरियों से कम मजदूरियां देता है ।

देश में रक्षा सेवा आवास सहकारी समितियां

6941. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी रक्षा सेवा आवास सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) किन किन राज्यों में 'डिफेंस' कालोनियों की स्थापना करने और उसके लिए भूमि देना स्वीकार कर लिया है;

(ग) अब तक कितने मकानों का निर्माण हुआ है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र ने प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जे० वी० पटनायक): (क) देश में आठ रक्षा सेवा आवास सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ।

(ख) हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और चण्डीगढ़ का संघ शासित क्षेत्र ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) ये बस्तियां स्थानीय कमांडरों/राज्य सरकारों के प्रबन्ध के अधीन स्थापित की जाती है । इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को रक्षा सेवा प्राक्कलनों से कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में दौरा

6942. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया है कि दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में दौरे पर की गई यात्रा को स्थानीय यात्रा माना जाए और कर्मचारी संगठन ने इस प्रतिबन्ध को हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी संगठन की इस मांग पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध हटाया जा रहा है; यदि हां, तो कब ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अप्रैल 1972 में सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार परियोजना भत्ते, यदि कोई स्वीकार्य हो, के लिए निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले दो स्थानों की यात्रा को स्थानीय यात्रा के रूप में माना जाना चाहिए। दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी स्वत: ही इन आदेशों के अन्तर्गत आ जाते हैं। कर्मचारी संगठन ने इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए अभ्यावेदन दिया है।

(ख) और (ग) यह मामला, कि क्या दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को इन आदेशों में की गई व्यवस्था से छूट दी जाए, सक्रिय विचाराधीन है।

दण्डकारण्य परियोजना के उमेरकोट अस्पताल के रोगियों को खुराक

6943. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के उमेरकोट अस्पताल के रोगियों ने इस प्रकार की शिकायतें की थी कि उन्हें समुचित ढंग से तथा निर्धारित स्तर के अनुरूप खुराक नहीं दी जा रही है और सम्बन्ध चिकित्सा अधिकारी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरदाई व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'टेलको' और ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के कर्मचारियों का दमन

6944. श्री भोगेन्द्र झा: क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री 15 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके और श्रम राज्य मन्त्री के आश्वासनानुसार, कि कोई दमन नहीं होगा, सरकार 'टेलको' और ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया था जो कि मुख्यत: इस विषय से सम्बन्धित है। उनकी रिपोर्ट दिनांक मार्च 26, 1973 के अनुसार, चूंकि अन्य प्रयास असफल हो गए थे इसलिए उन्होंने श्रमिकों की बरखास्तगी से सम्बन्धित मामले को न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर दिया था। दो प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों ने निर्देशन की वैधता को चुनौति देने वाली एक रिट याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की है, और सूचना मिली है कि न्यायालय ने एक योजनादेश जारी किया है।

वेल्लारपुर कोयला खानों (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/निलम्बन/सेवा से हटाया जाना

6945. श्री योगेन्द्र झा: क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेल्लारपुर कोयला खानों (महाराष्ट्र) को सरकारी नियन्त्रण में लेने की तिथि से अब तक खानों के कितने कर्मचारियों को स्थानांन्तरित, निलम्बित अथवा सेवा से हटाया गया है और वे किन-किन राज्यों के स्थाई निवासी हैं; और

(ख) सेवा से इस प्रकार हटाये जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उन्हें फिर से सेवा में लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) प्रशासनिक कारणों से बेल्लारपुर कोयला खान के कतिपय कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है । किसी भी कर्मचारी को अभी तक सेवा से नहीं हटाया गया है। कदाचार के कतिपय अभिकथन कोयला खान प्राधिकारी के नोटिस में आए हैं जिसने सम्बन्धित स्टाफ के विरुद्ध जांच नियुक्त की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों के हिन्दू निवासियों की पाकिस्तान वापसी

6946. श्री राज राज सिंह देव : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान, सिन्ध, पाकिस्तान के मुख्य मन्त्री श्री मुमताज अली भुट्टो के 12 मार्च, 1973 के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के हिन्दू निवासियों को पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार करने के पाकिस्तानी प्रयास बहुधा असफल रहे है ।

(ख) क्या इस विषय पर पाकिस्तान सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) सरकार ने सिंध के मुख्य मन्त्री के इस आशय के व्यक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) और (ग) शिमला समझौते के बाद इस प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से कई बार विचार-विनिमय हुए परिणामस्वरूप पाकिस्तान सरकार ने सिंध से कुछ राजनेताओं को विस्थापितों से बातचीत के लिए भेजा लेकिन वे उनको इस बात के लिए आश्वस्त न कर सके कि उनकी सकुशल वापली के लिए पाकिस्तान में अनुकूल स्थित विद्यमान है ।

इस्पात बैंक के उद्देश्य

6947. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात बैंक के उद्देश्य क्या हैं और प्राथमिकता वाले क्षेत्र की इस्पात की कुल कितनी आवश्यकता है; और

(ख) यह बैंक अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुआ है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : इस्पात बैंक का कार्य इस्पात की विशिष्ट दुर्लभ श्रेणियों का आवश्यक मात्रा में स्टाक रखता है ताकि प्रथमिक इकाइयों को उनके वैध आयात लाइसेंसों/रिलीज आर्डरों पर अथवा प्रायोजना प्राधिकारियों को स्टील बैंक से इस्पात का माल लेने के लिए विशिष्ट बिदेशी मुद्रा के विशिष्ट आबंटन पर उनकी आवश्यकता का माल स्टाक में से दिया जा सके । इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुख्य प्रायोजनाओं की इस्पात की कुछ मैचिंग सेक्शनों के इस्पात की वास्तविक उपलब्धि में होने वाली देरी को समाप्त करना है ।

इस्पात बैंक ने वर्ष 1972-73 में काम करना आरम्भ किया था तथा अब तक वायलरों में काम आने वाली प्लेटों के लिए 4710 टन, 640 टन बेदाग इस्पात की चादरों तथा प्लेटों, बेदाग इस्पात और कार्बन के 3,940 फ्लेजों 74 टन बेदाग इस्पात की ट्यूबों और 9500 टन बिना जोड़ के पाइपों के लिए आर्डर दिये हैं । इसमें से 4,643 टन वायलरों में काम आने वाली प्लेटें, 625 टन बेदाग इस्पात की चादरें तथा प्लेटे तथा बेदाग इस्पात और कार्बन के 3710 फ्लेंज देश में आ चुके हैं । शेष सप्लाई के अप्रैल-मई, 1973 तक प्राप्त हो जाने की आशा है । अब तक इस्पात बैंक से 1,356 टन वायलरों में काम आने वाली प्लेटें तथा 229 टन बेदाग इस्पात की चादरें तथा प्लेटें सप्लाई की जा चुकी हैं ।

इस्पात बैंक द्वारा आयात की जाने वाली इस्पात की अन्य 27,000 क्रान्तिक मदों को चुन लिया गया है और उनके आयात के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

विभागीय आधार पर चल रहे उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेना

6948. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने सम्बन्धी निर्णय विभागीय आधार पर चल रहे उपक्रमों पर भी लागू होगा; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) संयुक्त प्रबन्धक परिषदों की योजना, जिसमें श्रम-प्रबन्ध सहयोग की परिकल्पना की गई है, सभी उपक्रमों पर प्रयोज्य है। जहां तक सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध बोर्डों में श्रमिकों के निदेशक को नियुक्त करने का सम्बन्ध है, यह तजुर्बा कुछ ऐसे उपक्रमों में आजमाया जाना है जो कम्पनियों और निगमों के रूप में चलाये जा रहे हैं।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

6949. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) बहुत से कार्यकारी दलों, जो कि विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए समिति द्वारा नियुक्त किए गए थे, ने सम्बद्ध आंकड़ों को एकत्र करने, सबूत लेने और अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में अनिवार्यतः समय लगाया। इनके अतिरिक्त, समस्या का तत्स्थान अध्ययन करने और सरकार एवं राजनीतिक दलों के नेताओं, राज्य सरकारों और श्रमिक संघों, वाणिज्यमंडल, विश्वविद्यालयों आदि सहित बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझावों तथा विचारों को जानने के लिए समिति ने मुख्यालय एवं राज्यों में इनसे विचार-विमर्श किया। इसे अधिक से अधिक 14 राज्यों में जाना पड़ा। समिति की कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों में दिए प्रमाणों, तर्कों और निष्कर्षों पर विवेचन करना तथा सार-संग्रह करना और कुछ आगे जानकारी एवं आंकड़े एकत्र करना तथा विभिन्न विषयों पर संतुलित राय पर पहुंचना पड़ा। मसौदा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने की इन सब प्रक्रियाओं में सतर्क जांच सम्मिलित है और लिया गया समय अपरिहार्य आवश्यक प्रतीत होता है।

ट्रैक्टर और शक्तिचालित हल उद्योग के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना

6950. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1968 में सरकार ने ट्रैक्टर और शक्तिचालित हल उद्योग के लिए किन कारणों से लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी थी; और

(ख) क्या इस महत्वपूर्ण कार्यवाही से वांछित उद्देश्य पूरे हुए हैं और यदि हां, तो कहां तक ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कृषि के यंत्रीकरण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के विचार से ट्रैक्टर तथा शक्तिचालित हल उद्योग को लाइसेंसयुक्त कर दिया गया था।

(ख) जी, हां। इसके फलस्वरूप, देश में 40,000 से 50,000 ट्रैक्टरों तथा लगभग 15,000 शक्तिचालित हलों के उत्पादन के लिए अब सुविधाएं दी जा रही है जो वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

Self-Sufficiency in Copper production

6951. Shri M. C. Daga :

Dr. Karni Singh :

Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state :

(a) the time by which the country would become self-sufficient in the production of copper and the amount of expenditure required to be incurred thereon for this purpose;

(b) whether Russia is also collaborating in this work and if so, the nature thereof and whether Russia has started the work; and

(c) whether there is a possibility of gold and silver being made available after the expansion of Khetri Copper Unit; if so, the royalty to be given to Rajasthan Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) The present rate of production of copper metal in the country is about 13,000 tonnes per annum against the current demand of about 80,000 tonnes per annum. The Hindustan Copper Ltd. have taken up the programme for substantial expansion of the copper production in the country and it is expected that indigenous production of copper metal would increase to about 57,000 tonnes perannum by the end of the 5th Plan Period and to about 80,000 tonnes in about 10 years from now. The estimated demand for Copper by the end of 5th Plan period is over 100 thousand tonnes and by the end of 6th Plan Period about 120 thousand tonnes. At this stage, therefore, it is not possible to indicate the time by which the country would become self-sufficient in the productiod of copper and the expenditure required to be incurred for this purpose.

(b) Only in the case of one Project viz. Malanjkhand Copper Project, in Madhya Pradesh, it has been decided to assign to a Soviet Organisation, the work of preparation of the Feasibility study for the Mining Operations and for the setting up of a Concentrator Plant. A Contract with that Organisation is expected to signed shortly after which the work on the preparation of Feasibility study will be taken up by that Organisation.

(c) Yes, sir. As regards the payment of royalty to the Rajasthan Government this matter will be determined as per the provisions of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 and the rules there-under. At this stage, it is not possible to indicate the quantum of royalty payable to Rajasthan Government, on this account.

छोटी कारों के निर्माण के लिए आशयपत्र जारी करना

6952. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से वर्ष 1969 के दौरान किन किन व्यक्तियों ने छोटी कार के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशयपत्रों के लिए आवेदन दिए और प्रत्येक आवेदन किस तिथि को प्राप्त हुआ तथा किन-किन व्यक्तियों को किन-किन तिथियों को आशयपत्र जारी किए गए;

(ख) क्या एक आवेदक ने, जिसके दावे की उपेक्षा कर दी गई थी, दिल्ली उच्च न्यायलय में एक 'रिट' (संख्या 192) दायर किया था; और

(ग) क्या मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने आवेदक को आशयपत्र जारी करना मान लिया और मामला वापिस ले लिया गया, और यदि हां, तो सरकार आशयपत्र जारी करने को कब सहमत हुई और कब मामला वापस लिया गया ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने वर्ष 1966 से 1969 की अवधि में कारों के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था, और उनके आवेदन प्राप्त होने की तिथि नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	आशयपत्र जारी करने की तिथि
1	2	3	4
1.	मै० मैसूर स्टेट इंडस्ट्रियल इनवैस्टमैंट एण्ड डवलपमैंट कारपोरेशन लि०, बंगलौर ।	6-6-1966	अस्वीकृत

1	2	3	4
2.	श्री सोमप्रकाश रेखी, मै० जेटा इण्डिया, दिल्ली ।	9-9-1966	अस्वीकृत
3.	श्री मनुभाई एच० ठक्कर, पार्टनर, अशिवन इण्डस्ट्रीज, जिला – बड़ोदा (गुजरात) ।	30-6-1967	–वही–
4.	मै० आर० आर० चोकशी एण्ड कं०, अहमदाबाद-2 ।	10-7-1967	–वही–
5.	मै० गणेश रेनाल्ट, लखनऊ ।	16-10-1967	–वही–
6.	मै० यूनियन लि०, जयपुर ।	17-10-1967	–वही–
7.	मै० अरविन्द आटोमोबाइल्स त्रिवेन्द्रम ।	19-2-1968	–वही–
8.	श्री संजय गांधी (अब मारूति लि०, गुड़गांव) ।	13-12-1968	30-9-1970
9.	मै० केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमैन्ट कारपोरेशन लि०, त्रिवेन्द्रम ।	18-4-1969	अस्वीकृत
10.	श्री एम० मदन मोहन राव, मद्रास ।	25-9-1969	30-9-1970

(ख) एक आवेदक ने जिसके आवेदन पत्र में विदेशी सहयोग और पूंजीगत सामान का आयात निहित था, अपने आवेदक के रद्द हो जाने पर इस आधार पर अभ्यावेदन दिया है कि उसने विदेशी सहयोग और पूंजीगत सामान के आयात को दूर करने के लिए अपनी योजना में पर्याप्त सुधार कर लिया है । क्योंकि उनके आवेदन पर, जो कि मूलरूप में प्रस्तुत किया गया था, सरकार ने विचार करके निर्णय दे दिया था, अतः अब उन्हें पुनः आवेदन देने के लिए कहा गया है, जिससे कि सरकार उनकी योजना पर सरकारी नीति के अनुरूप विचार कर सके । नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बजाय उस आवेदक के अपनी प्रस्तावित योजना को रद्द कर दिए जाने के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायलय में एक समादेश याचिका दायर कर दी ।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायलय में एक सुनवाई के समय आवेदक के वकील ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल ने सरकार को नया आवेदनपत्र देने का निश्चय कर लिया है, और मामलों के स्थगन के लिए निवेदन किया है, जिससे कि उनका मुवक्किल नया आवेदन प्रस्तुत कर सके । आवेदक द्वारा दिए गए नए आवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है, और चूंकि यह इस मामले के सम्बन्ध में सभी निर्धारित शर्तें पूरी करता है, अतः दिनांक 11-2-1972 को उन्हें एक आशयपत्र जारी किया गया था । प्रार्थी द्वारा प्राप्त आशयपत्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अनिर्णित पड़ी उसकी समादेश याचिका, क्योंकि उसने इसे वापस ले लिया था, 16-2-1972 को खारिज कर दी गई थी ।

भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

6954. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, वर्षवार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी तथा वास्तविक उत्पादन कितना था; और

(ख) हर मामले में क्षमता के उपयोग में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4793/73]**

(ख) विवरण से पता चलेगा कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट को छोड़कर सभी एककों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि, समस्याओं और कठिनाइयों का व्यवस्थितरूप से पता लगाने और उत्पादन, आयोजन और नियंत्रण में सुधार करने के लिए किए गए अभ्युपायों, सामान प्राप्त करने की सुधरी हुई प्रक्रियाओं, इन एककों में लगी हुई जन-शक्ति को, बढ़िया प्रशिक्षण देने के कारण हुई है।

हैवी मशीन टूल्स प्लांट में उत्पादन में कमी का मुख्य कारण ढलाई की किस्म का अपर्याप्त संभरण और कुछ सीमा तक कुशल कामगरों की अनुपलब्धता है।

आशा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाए गए संगठित अभ्युपायों से इन एककों के कार्य में इन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में और अधिक सुधार होगा।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं रोकने के उपाय

6955. श्री राजदेव सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीतपुर कोयला खान की दुर्घटना के संदर्भ में, भूमिगत कोयला खानों में होने वाला कार्य केवल मशीनों से करने के उपाय किए गए हैं।

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी मशीनें आदि हैं जिनसे श्रमिकों का काम कम किया जा सके या कोयले का उत्पादन कम किए बिना श्रमिकों की संख्या न्यूनतम की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योग ने इतनी प्रगति नहीं की है कि भूमिगत खानों में व्यक्तियों का नियोजन पूर्णतः समाप्त किया जा सके। तथापि, ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछेक पश्चिमी देशों, विशिष्टतया ब्रिटेन, अमेरीका और पोलैंड, में भूमिगत कार्यकरणों में मशीनों द्वारा ऐसी अल्प नियंत्रण संक्रियाओं पर प्रायोगिक प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) अग्रभाग और परिवहन में यंत्रीकरण कोयला खानों में जनशक्ति के प्रतिस्थापन और कमी के दो पहलू हैं अभी ऐसा यंत्रीकरण भारत में भूमिगत कोयला खानों में व्यापकता से प्रयुक्त नहीं किया जाता है।

(ग) जीतपुर कोयला खान में दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का भारत सरकार द्वारा नियुक्त जांच न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जाना है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई जांच की प्राप्तियों पर निर्भर करेगी।

अन्धेरी-बरसोवा रोड, बम्बई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अर्धनिर्मित क्वार्टर

6956. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धेरी-बरसोवा रोड, बम्बई में कर्मचारी राज्य निगम के कर्मचारियों के लिए 160 क्वार्टर गत दो वर्षों से अर्धनिर्मित पड़े हैं।

(ख) यदि हां, तो इस अर्ध निर्माण पर कुल कितनी धन राशि रुकी पड़ी है; और किराये न मिलने के कारण कितनी हानि हो रही है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न-लिखित सूचना भेजी है :- (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र आवास बोर्ड को, जिसे नवम्बर, 1969 में निर्माण कार्य सौंपा गया, 160 स्टाफ क्वाटरों के निर्माण के लिए स्वीकृत प्राक्कलनों का लगभग 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली 12,66,662·00 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। चूंकि निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए किराए के कारण राजस्व की क्षति होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) महाराष्ट्र आवास बोर्ड द्वारा लगाए गए ठेकेदारों ने कार्य बीच में ही छोड़ दिया, इसलिए कार्य रुका रहा। तथापि, 15-2-1973 से बोर्ड ने कार्य विभागीय रूप से पुनः शुरु कर दिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बम्बई के कोषाध्यक्ष द्वारा गबन

6957. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम बम्बई का कोषाध्यक्ष 38 हजार रुपये की उस राशि को लेकर भाग गया था जो वहां अनधिकृत रूप से रखी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एकाउण्टस आफीसर की लापरवाही तथा कर्त्तव्य अवहेलना के कारण हुआ था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है कि : (क) स्थानीय कार्यालय कुरला का एक कोषाध्यक्ष, जो 31-3-1971 से फरार है, 39,469.10 रुपये तक की राशि हड़पने के सिलसिले में अन्तर्ग्रस्त है।

(ख) जी, नहीं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कर्मचारियों का पश्चिमी बंगाल को स्थानान्तरण

6958. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सैंकड़ों निरीक्षकों का स्थानान्तरण पश्चिम बंगाल को किया गया था और बाद में उन्हें वापस अपने-अपने स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके अपने परिवार तथा सामान सहित निरीक्षकों के इधर उधर के स्थानान्तरण पर कुल कितना व्यय हुआ ? और

(ग) क्या ये स्थानान्तरण उन गरीब कर्मचारियों के हित में थे जो योजना के अंशदायी हैं और यदि हां, तो इसके लिये क्या अविलम्बनीय परिस्थितियां थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में इस्पात पर आश्रित उद्योग

6959. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे उद्योगों की कुल संख्या क्या है जो अपने माल का उत्पादन करने के लिये पूर्णतः इस्पात पर निर्भर रहते हैं और उनकी इस्पात की वार्षिक मांग क्या है;

(ख) इस्पात कारखाने तथा सरकार उनकी मांगों को किस सीमा तक पूरा करती है;

(ग) इन उद्योगों में इस्पात की कम सप्लाई से उत्पादन में कितनी कमी हुई है; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इस्पात की कई श्रेणियों की उपलब्धि मांग से कम रही है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों में प्रौद्योगिक सुधारों, बेहतर मालिक मजदूर सम्बन्धों तथा बेहतर रख-रखाव आदि से देशीय उत्पादन बढ़ाना, इस्पात के आयात के मामले में विशेषतया ऐसी श्रेणियों के आयात के बारे में जिन की सप्लाई कम है, काफी उदार नीति अपनाना, निर्यात को विनियमित करना, वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाना तथा विद्युत भट्टियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना शामिल है।

चालू वर्ष में खान उद्योगों को बिजली की कमी के कारण हानि

6960. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बिजली की कमी के कारण देश के खान उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो खान उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने तथा आवश्यक बिजली पैदा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

भारत में राकेट, मिजाइल और जलगत शस्त्रों के विकास के लिए अनुसंधान

6961. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में राकेट, मिजाइल और जलगत शस्त्रों के विकास के लिए अनुसंधान में प्रगति लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) दो वर्ष के बाद इस दिशा में भारत की क्या स्थिति होगी; और

(ग) अब तक इस परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई है और अगले दो वर्षों में इस प्रकार की परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सेनाओं के लिए मिजाइलों के विकास कार्य के लिए एक योजनाबद्ध अवस्थापना तथा क्षमता बनाने का काम शुरू हो गया है। अन्तस्थ: प्रणोदन राकेट इंजन के विकास को महत्ता दी जा रही है। इसी प्रकार क्षमता तथा अवस्थापना बनाने और जलगत शस्त्रों से सम्बन्धित कार्यों को करने के लिए कार्यवायी की जा रही है।

(ख) दो वर्षों के समय में मिजाइल के क्षेत्र में हम अपने विकास कार्य को काफी बढ़ा लेंगे और जलगत शस्त्रों के विकास को करने के लिए कुछ सुविधाएं स्थापित कर लेंगे।

(ग) इस सूचना को देना लोकहित में नहीं होगा।

वीरता के लिए शौर्यचक्र का दिया जाना

6962. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ गत युद्ध में वीरतापूर्ण कार्यों के लिये राष्ट्रपति पुरुस्कार 'शौर्य चक्र' दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को इस प्रकार के पुरुस्कार दिये गये;

(ग) उनके नाम क्या हैं तथा वीरतापूर्ण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये व्यक्ति किन-किन आधारों पर चुने गये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) 58

(ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०4794/73]

(घ) शौर्य चक्र, युद्ध के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में दिखाई गई वीरता के लिए प्रदान किया जाता है । शौर्य चक्र प्रदान करने के लिए सरकार को प्राप्त सिफारिशों पर केन्द्रीय सम्मान तथा पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं । प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् समिति की सिफारिशों को अधिसूचित किया जाता है ।

श्रीनगर के निकट बड़गाम में मिग-21 विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

6963. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री वरके जार्ज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मार्च, 1973 को भारतीय वायु सेना का मिग-21 विमान श्रीनगर के निकट बड़गाम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन् ।

(ग) जांच अदालत की कार्रवाई को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कोयले के भण्डार बनाने की योजना

6964. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए स्थानों पर कोयले के भण्डार बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां ।

(ख) प्रायोजना में खण्ड रेकों में कोयला का, राज्य के चयित गंतव्यों को, संचलन परिकल्पित किया गया है जिससे कि उसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के तत्वाधान में लघु उपभोक्ताओं अर्थात, लघु उद्योगों, ईंट-भट्ठियों और घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित किया जा सके ।

ढाका में भारतीय राजनयिक के घर पर डकैती

6965. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 1973 को बन्दूकों से लैस कुछ डाकुओं ने ढाका में भारतीय राजदूत के घर पर डाका डाला था ;

(ख) क्या बंगला देश सरकार ने इस दिशा में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । 13 मार्च, 1973 को अपराह्न 4 बजे तीन सशस्त्र युवक ढाका में हमारे हाई कमीशन में एक प्रथम सचिव के निवास स्थान में घुसे । अपने शस्त्र प्रयोग की धमकी देकर उन्होंने उनके घर के दो नौकरों को दीवार के सहारे खड़े रहने को कहा और वहां से एक रिकार्ड प्लेयर उठाकर ले गये ।

(ख) इस डकैती की सूचना बंगला देश सरकार को दी गई थी और उन्होंने इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की ।

(ग) बंगला देश सरकार अभी तक इस कार्य के लिये जिम्मेदार अपराधियों का पता नहीं लगा पाई है ।

भारी उद्योग के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का ब्रेन ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव

6966. डा० कर्णी सिंह : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के आधीन भारी उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रमों का आयोजन तथा मूल्यांकन करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों का एक ब्रेन ट्रस्ट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो ब्रेन ट्रस्ट के गठन का ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार का काम सौंपा जाएगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों को उपलब्ध संसाधनों का और अच्छा उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिये एक लघु आयोजन और मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित करने का एक प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है । विचाराधीन प्रस्ताव के दूसरे पहलू में इस प्रकोष्ठ को अवैतनिक रूप से काम करने वाले विशेषज्ञों की नामिका की सलाह का लाभ देना शामिल है । यह सुझाव दिया गया है कि यह नामिका, जो देश में उपलब्ध सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से कुछ को नामिका में लेने का एक साधन है, व्यापार वित्त और आम प्रशासन, संगठन और पद्धति और औद्योगिक इंजीनियरी कार्मिक प्रबंध और बिपणन के क्षेत्रों से व्यक्तियों को लेकर तैयार की जा सकती है ।

Explosions in taken over Collieries

6967. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of collieries in which there have so far been explosions and accidents after the nationalisation of coal mines and the number of persons killed and injured therein; and

(b) the main causes of these accidents and the special steps taken by Government to check them?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : **(a) &** (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

हिमालय की सीमा पर लगाए गए रेडार

6968. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय की सीमा पर लगाए गए रेडारों का निर्माण संयुक्त राज्य अमरीका की एक फर्म ने किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन रेडारों की रेडियो सूक्ष्म तरंगों के कार्यों को किस प्रकार गोपनीय रखा जाता है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

युद्ध पोतों के डिजाइन तैयार करने तथा निर्माण करने में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रगति

6969. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्धपोतो के डिजाइन तैयार करने तथा इनका निर्माण करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : उपलब्ध साधनों वित्तीय तथा तकनीकी दोनों के नियन्त्रणों के अन्दर युद्धपोतों का स्वदेश में ही डिजाइन तथा निर्माण संतोषजनक रूप से चल रहा है। हमने अब तक सर्वेक्षण जहाज, फास्ट सीवार्ड डिफैंस वोट, लैंडिंग क्राफ्ट (यूटीलिटी), हाई स्पीड टारगैट टोइंग वैसल और टग, टैंकर आदि जैसे विभिन्न सहायक यान डिजाइन किए है। युद्धपोतों के बारे में अभी तक सर्वेक्षण जहाज, सीवार्ड डिफैंस बोट, माइनस्वीपर और फ्रीगेट भारत में तैयार किए गए हैं। युद्धपोतों पर लगाए जाने वाले उपस्कर तथा मशीनरी का स्वदेशीकरण करने के यथासम्भव प्रयास किए जा रहे है।

पाकिस्तान की क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तार

6970. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अपनी वर्तमान क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तार करने के बारे में सोच रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्रीय जल की वर्तमान सीमा का, जो उपयुक्त आधाररेखा से 12 समुद्री मील है, विस्तार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र तल समिति ने 21 मार्च 1973 को दिए गये एक वक्तव्य में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने बताया कि उनका प्रतिनिधि मण्डल क्षेत्रीय जल सीमा को 12 समुद्री मील से परे बढ़ाने का समर्थन करता है। परन्तु 21 मार्च, 1973 को, पाकिस्तान के समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने अपना विशिष्ट मत्सय क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्रीय जल से मिले हुए महासागर क्षेत्र में तट रेखा से 50 समुद्री मील तक बढ़ा लिया है।

(ख) भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा मत्सय अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के निहितार्थ पर विचार कर रही है।

Strike in Kathra Coal Mine, Bihar

6971. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether 600 wagon loading labourers in Kathra Coal Mine N.C.D.C. Bihar have been on strike since the 11th January, 1973 in support of their demand that they may be treated as the labourers of N.C.D.C. and be provided the same wages and facilities as are provided to the labourers of N.C.D.C.;

(b) whether they are anticipating their retrenchment by next month and whether they have resorted to strike on this account ; and

(c) if so, the action taken so far by Government to remove fears of 600 striking labourers and to end the strike and save them from being retrenched ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) The requisite information is being collected from the National Coal Development Corporation and will be laid on the Table of the House, as soon as it is received.

ब्लिस्टर ताम्बे के उत्पादन में वृद्धि

6972. श्री एम० एम० जोजफ :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष में इण्डियन कापर कम्पलैक्स धाटसिला में ब्लिस्टर ताम्बे के उत्पादन से वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां ; तो कितनी वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बिल्स्टर तांम्र का उत्पादन, 1971-72 में 8,405 टन की तुलना में 1972-73 के दौरान 12,596 टन था।

भारत द्वारा अमरीका से राडारों तथा संचार उपकरणों की खरीद

6973. श्री वयालार रवि :

श्री विश्वनाथ मुझुनवासा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा रक्षा प्रयोजनों के लिए राडार उपकरणों की खरीद पर लगे प्रतिबन्ध को अमरीका ने हाल में समाप्त कर दिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सामान अमरीका से खरीदने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : 14-3-1973 को अमेरीकी सरकार ने यह घोषणा की कि वह भारत को राडार सिस्टम सहित संचार उपस्कर की पूर्ति पर से रोक को हटा लेगा जिसके लिए पहले संविदा की गई थी। यह मामला विचारधीन है।

विदेशों से भारतीयों का निष्कासन

6974. श्री वयालार रवि : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने हाल ही में विभिन्न अल्पविकसित राष्ट्रों के विकाश में अपना योगदान देने वाले भारत मूलक लोगों के निष्कासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने की बात कही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान नई दिल्ली द्वारा, "उगांडा एवं केन्या के विशेष संदर्भ में प्रवासी भारतीयों की समस्याएं" विषय पर आयोजित एक सेमिनार का 17 मार्च 1973 को उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उगांडा से भारत-मूल के लोगों के निष्कासन के विरुद्ध विश्व-जनमत बनाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि इन लोगों का उस देश के विकास में काफी योगदान था और उनके साथ जो कुछ हुआ उसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यही कारण था कि भारत ने इसका विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अनुरोध किया कि वे जिस देश में रह रहें हैं वहां के लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित करें।

स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता

6975. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में देश में स्टेनलैस स्टील की कुल कितनी आवश्यकता होगी ;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उसको कितनी आवश्यकता होगी; और

(ग) देश में स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अनुमान लगाया है कि बेदाग और उष्माप्रतिरोधक इस्पात की मांग वर्ष 1975 में लगभग 50 हजार टन और वर्ष 1980 में 117.4 हजार टन होगी। वर्ष 1973-74 में लगभग 27 हजार टन की मांग होने का अनुमान हैं।

(ग) वर्तमान अनुमान के अनुसार प्रस्ताविक सेलम इस्पात कारखाने के लग जाने से पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक बेदाग इस्पात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करना सामान्यतः संभव हो सकेगा।

Manufacture of cheap and small Tractors for Hill Areas

6976. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to manufacture cheap and small tractors for hill areas in the country;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) if not, the form/manner in which the industries in public sector are contributing or purpose to contribute towards modernisation of agriculture in hill areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industries (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : Sufficient capacity has been created in the country both in the public and private sectors for the manufacture of small tractors and power tillers (two-wheeled walking type small tractors) to cater to the needs of agricultural operations in hill areas.

नियंत्रण में ली गई कोयला तथा तांबा खानों के मुआवजे के लिए शेयरहोल्डर एसोसिएशनों से अभ्यावेदन

6977. श्री प्रसन्नसई मेंहता : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नियंत्रण में ली गई कोयला तथा तांबा खानों में से किसी के मुआवजे के बारे में शेयरहोल्डर एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं।

(ख) एसोसिएशन तथा यूनिटों के नाम क्या है और इनके शेयरहोल्डर कितने है।

(ग) अभ्यावेदन का ठीक पाठ क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उक्त मामले में 500 से अधिक शेयरहोल्डरों वालों कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) कोयला खानों और तांबा खानों के बोरे में प्रासंगिक जानकारी अन्तरविष्ट करने वाले दो विवरण परिशिष्ट I और II में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4795/73]**

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिल्ली में कृषि भूमि का आबंटन

6978. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिल्ली में कृषि भूमि के आवंटन के बारे में 22 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कालोनियां बनाने वालों ने किस ढ़ंग से तथा किस प्रकार का आश्वासन दिया है जिससे आबंटित भूमि से अनाधिकृत कब्जाधारियों को निष्कासित करने तथा अलाटियों को खाली भूमि का कब्जा देने के लिए पुनर्वास विभाग की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है ;

(ख) क्या दिल्ली में कालौनी बनाने वाले सभी व्यक्तियों ने ऐसे ही आश्वासन दिये थे ; और

(ग) क्या उपरोक्त दावों में से एक मामले में, जो भूमि के तबादले से संबंधित था, एक वर्ष से भी पूर्व भूमि के आबंटन के आदेश जारी किये गये थे परन्तु वास्तव में अभी तक कोई अलाटमेंट नहीं की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) दिल्ली के कुछ कालोनियां बनाने वालों ने 27-5-1963 को मुख्या बन्दोबस्त आयुक्त के समक्ष प्रतिवेदन रखा था और कहा था कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 में की गई व्यवस्था के अनुसार सर्व प्रथम वे भूमि का कब्जा लेना चाहेंगे, परन्तु यदि सरकार ने अनधिकृत कब्जेदारों की निष्कासित न करने का निर्णय कर लिया है तो वे अन्तिम उपाय के रूप में अनाधिकृत कब्जेदारों सहित भूमि का एलाटमेंट लेने को तैयार हैं। इस मामले की दुबारा जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि उन मामलों में, जिनमें कृषि भूमि का एलाटमेंट किया गया है, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 में की गई व्यवस्था के अनुसार अनधिकृत कब्जे को हटाना और भूमि का खाली कब्जा एलाटी को देना विभाग

की जिम्मेदारी होगी ।

(ग) जी, हां ।

बंगलादेश के मामले पर भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल

6979. श्री मालजी भाई परमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के मामले पर भारत सरकार का दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए कितने प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजे गये थे ; और

(ख) भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में इन प्रतिनिधि मण्डलों पर कितना व्यय किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सोलह ।

(ख) लगभग 5,6,5000.00 रु० ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विदेशी तेल कम्पनियों की आयातित कच्चे तेल के मूल्य में और वृद्धि करने की कथित मांग

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मैं **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"विदेशी तेल कम्पनियों की आयातित कच्चे तेल के मूल्य में प्रति बैरल 17 सैंट की और वृद्धि करने की कथित मांग ।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरूआ) : नवम्बर, 1970 से समस्त विश्व में कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है । यह वृद्धि, विशेष रूप में गत 6 महीनों में अत्यधिक हुई । इस वृद्धि का मूख्य कारण कच्चे तेल के उत्पान की परोक्ष लिखित चुनौती है । कुछ केसों में उत्पादन कमी के बावजूद कच्चा तेल उत्पादन करने वाले एवं निर्यात करने वाले कुछ देशों ने उदाहरण के तौर पर हाल ही में अपने राजस्व को दुगना कर दिया । केवल गत दो मासों के दौरान क्रेताओं के बीच कम प्रतियोगिता रही है । इस प्रतियोगिता ने विख्यात अशोधित तेल (कच्चे तेल) के प्रति बैरल पर 2.33 डालर से 2.67 डालर की वृद्धि की है ।

इस क्षेत्र में अन्यत्र जो कुछ हो रहा है ; भारत उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा हैं ; लाइट ईरानियन क्रूड आयल (जो भारत में दो विदेशी तेल कम्पनियों, जिनकी शोधनशालाएं काम कर रहीं है ; द्वारा आयात किया जाता है) का अक्तूबर, 1970 में प्रतिबैरल 1.28 डालर भाव बताया गया था ; इस मूल्य में 15 जनवरी, 1973 तक कई चरणों में 2.08 डालर की वृद्धि हुई और यह मूल्य 1 अप्रेल 1973, से 2.25 डालर प्रति बैरल तक बढ़ा । इस प्रकार गत 2½ वर्षों के भीतर इन तेल कम्पनियों द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि प्रति बैरल 97 सैण्ट्स हुई है जिसमें जनवरी से अप्रैल, 1973 की अवधि के दौरान हुई 17 सैण्ट्स की वृधि सम्मिलित है । इस महान वृद्धि के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं :—

(क) फरवरी 1971 का तेहरान करार जिसमें 1975 तक पूर्व निर्धारित समयान्तरालों पर मूल्यों में स्वत: वृद्धि की व्यवस्था थी;

(ख) डालर सहित प्रमुख मुद्राओं के सममूल्यों में परिवर्तनों से संबंधित जनेवा करार ;

(ग) तेल उत्पादन करने वाली कम्पनियों द्वारा अपने अपने देशों में तेल के उत्पादन में साझेदारी ; और

(घ) मूल्यों में सामान्य तेजी होना ।

उन सभी देशों की तरह जो आजकल कच्चे तेल के वास्तविक आयातकर्ता हैं, वह भी वर्तमान स्थिति से बहुत संबंधित है। कच्चे तेल की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले कुछ उपाय अपनाए हैं और अन्ततः इस समस्या का सामना करने के लिए एक समग्र योजना पर विचार कर रही है। देश के भीतर कच्चे तेल के उत्पादन दोनों तटीय एवं अपतटीय को अधिकतम करने के प्रयत्नों को बढ़ाना निसंदेह इस योजना की मुख्य बातें है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं विश्व के अन्य भागों में हमने अन्वेषण तथा कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित कार्याकलापों की शुरुआत कर ही दी है ; हम अपनी अन्वेष तथा विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि करने के साथ साथ इन कार्यकलापों में भारी वृद्धि करके अपने सप्लाई के संसाधनों में विविधता लाने का विचार कर रहे हैं। आर्थिक विकास की प्रगति में बाधा उपस्थित किए बगैर तेल उत्पादों की खपत पर यथासंभव नियंत्रण लगाए जाने के प्रश्न पर भी ध्यान देना होगा और ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का विकास किए जाने के दीर्घ कालिक प्रश्न पर भी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे दुख है कि पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री विदेशी कम्पनियों द्वारा की जा रही मूल्य वृद्धि के प्रति उदासीन हैं। हमने इस बृद्धि को रोकने का प्रयास किया किन्तु मन्त्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगा कि उन्होंने इस वृद्धि को रोकने का विचार ही छोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये विदेशी तेल कम्पनियां जिनका तेल के क्षेत्र में एकाधिकार है, हमारे जैसे देश को अपने पंजे में मजबूती से जकड़ने के लिए अन्तिम प्रयास कर रहा है। वस्तुतः हमें इस चुनौती का सामना करना है। यह भी हमें पता है कि ये कम्पनियां देश को धोखा देने में माहिर हैं। कुछ वर्ष पूर्व भी वे हमें धोखा देती रही थीं। वे हमारे से 'खाड़ी मूल्य' (गल्फ प्राइस) के नाम से खनिज तेल का अधिक मूल्य लेती रहीं थीं। हमने सोचा कि कम्पनियों ने ईरान की खाड़ी से ढुलाई/भाड़े का नाम 'गल्फ-प्राइस' रख रखा है जबकि ये मैकिसको की खाड़ी से हमारे देश तक का ढुलाई भाड़ा ले रही है हालांकि खनिज तेल ईरान की खाड़ी से आ रहा था। परिणामतः दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश को तेल बहुत महंगा दिया जा रहा था। मूल्य-वृद्धि को उचित ठहराने के लिए ये मनगढ़न्त कारण देते है। मन्त्री महोदय ने यह बात कुछ हद तक मान ली है कि तेल-उत्पादक देशों द्वारा बढ़ाये गये शुल्क के कारण यह वृद्धि की जा रही है। प्रश्न यह है कि हम इस वृद्धि को स्वीकार ही क्यों करें। ये कम्पनियां बार-बार मूल्य-वृद्धि की मांग करती हैं। जब सरकार उनकी मांग नहीं मानती, उस समय वे खनिज तेल का आयात और उसका शोधन कम कर देती हैं और सरकार पर मूल्य वृद्धि के लिये दूसरे ढंग से दबाव डालती हैं। इन कम्पनियों ने हाल ही में 17 सैंट की वृद्धि की जो मांग की है, वह हमारे कोष पर बहुत बड़ा भार होगा। वर्ष 1970 में खनिज तेल के आयात के लिये 102 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रखी गई, 1971 में 138 करोड़ रुपये की राशि रखी गई और 1972 में 144 करोड़ रुपये की राशि रखी गई। इन कम्पनियों में कुल पूंजी 111 करोड़ रुपये की लगी है। 1968 से 1971 तक इन कम्पनियों ने लगभग 320.37 करोड़ रुपये की राशि भारत से बाहर भेजी है।

यही नहीं, इन तेल कम्पनियों का सरकार और प्रशासन पर बहुत अधिक प्रभाव है। पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उनके अपने एजेन्ट हैं। भारतीय तेल निगम के भूतपूर्व 'बोस' ने 'रुस्तम क्रूड' का आयात यह कह कर बन्द करा दिया था कि उसे बरौनी तेल शोधक कारखाने में शुद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा उसने विदेशों के हित के लिये किया था। दुख यह है कि ऐसे व्यक्ति साफ बच निकलते हैं। इसी प्रकार भारतीय तेल निगम के विपणन विभाग के प्रबन्ध निदेशक के पद पर वह व्यक्ति काम करता है जो पहले बर्मा शैल के प्रबन्धक कर्मचारियों में था।

मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने उनकी मूल्य-वृद्धि की मांग क्यों मान ली है जबकि भारत सरकार यह नहीं चाहती थी ? आप विदेशी कम्पनियों द्वारा दिये गये गलत और कल्पित तर्क क्यों मान लेते है ? आप इनका राष्ट्रीयकरण अभी क्यों नहीं करना चाहते हैं ? वर्ष 1979 तक ये कम्पनियां तेल शोधन शालाओं को भारी हानि पहुंचा देगी। जहां तक भारत में तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है, रूसी विशेषज्ञों के मत से भारत पंच-वर्षीय सघन कार्यक्रम से विश्व के तेल के मानचित्र पर आ सकता है। यहां पर अपने ही संसाधनों से 500 लाख टन तेल का उत्पादन किया जा सकता है और यह मात्रा हमारी तेल की आवश्यकता से अधिक है। फिर भी इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है ? सरकार अपने तेल वाही पोतों का प्रबन्ध क्यों नहीं करती ताकि तेल किसी भी देश से लाया जा सके और हम बिदेशी परिवहन पर निर्भर न रहें। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान दें।

श्री डी० के० बरुआ : श्री मुकर्जी के इस आरोप का मैं खंडन करता हूं कि पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में विदेशी एजेन्ट हैं। वे भी उतने ही भारतीय हैं जितने मुकर्जी साहब हैं। तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि का कारण यह है कि तेल उत्पादन 11 देशों ने एक संगठन बना लिया है और उन्होंने तेल कम्पनियों से अधिक मूल्य मांगा है। यह वृद्धि पूरे विश्व में हुई है। पहले तेल के मूल्य टेन्डर द्वारा निर्धारित किये गये थे। अब खुली बोली होती है। जो भी देश तेल खरीदना चाहते हैं उन्हें खुली बोली देनी पड़ती है। उदाहरणार्थ 'युरबन' खनिज तेल के लिए न्यूयार्क की जोहन साहाहीन आर्गेनाइजेशन 2.64 डालर प्रति बैरल देती है जबकि ब्राजील की एक सरकारी फर्म ने 2.65 डालर प्रति बैरल की पेशकश की है। अमरीका की तीन अन्य फर्में कान्टीनेन्टल आयल, फिलिप्स पैट्रोलियम, और चार्टर आयल ने 2.58 से 2.62 डालर तक मूल्य देने का प्रस्ताव किया है। यदि अब हम तेल खरीदना चाहते है तो हमें भी बोली देकर ही खरीदना पड़ेगा। तेल उत्पादक देश वर्तमान मूल्य से भी प्रसन्न नहीं है और वे उसमें और वृद्धि चाहते हैं। इस सम्बन्ध में 12 अप्रैल को बेरूत में बातचीत होने वाली है। अतः उसके अनुसरण में मूल्यों में वृद्धि कर दी जानी चाहिए। यदि हमें तेल खरीदना है तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ही खरीदना होगा। तेल के मामले में आज कोई भी विक्रेता देश दीर्घावधि समझौता नहीं करना चाहता बल्कि वह वर्ष प्रतिवर्ष तेल के मूल्य पर विचार करना चाहता है तथा ग्राहक देश को बोली देकर तेल खरीदना पड़ेगा।

हमारे सामने शीघ्र से शीघ्र और अधिक से अधिक मात्रा में अशोधित तेल प्राप्त करने की समस्या है। जहां तक रूसी विशेषज्ञों की बात है, उन्होंने यह कहा था कि कठिन परिश्रम के बाद हम पांच वर्षों में 130 लाख खनिज तेल देशी संसाधनों से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने हमारे बर्मी (रिग्स) को पुराना बताया। अपनी छिद्रण क्षमता को बढ़ाने के लिये हमें 22 रिग खरीदने चाहिएं। साथ ही हम तट दूर खुदाई के माध्यम से तथा रूसी सहयोग से खनिज तेल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विदेशों से भी तेल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इराक ने यह बहुत ही अच्छा किया है कि हमें खुदाई करने के लिए अपने यहां स्थान बता दिया है जहां तेल के पर्याप्त भंडार हैं और जहां हमें 2000 से 3000 मीटर तक ही खुदाई करनी होगी जबकि आसाम में हमें लगभग 5000 मीटर तक खुदाई करनी होती है।

अब हम तेल उत्पादक देशों से सीधा सम्पर्क कर रहे हैं। कुवैत, कनार और बहरीन आदि तेल उत्पादक देशों से बातचीत चल रही है और इस सम्बन्ध मे उनका निर्णय हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। इराक के साथ हमारी बातचीत सफल रही है। तेल उत्पादक देशों से तेल की नियमित सप्लाई का तो आश्वासन हमें मिल सकता है किन्तु उसके मूल्य के बारे में नहीं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उससे बनी वस्तुओं के मूल्यों में भी उसी अनुपात से बृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को याद दिलाता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए समय आधा घंटे से बढ़ाकर 45 मिनट कर दिया जाये जिससे पहले सदस्य और मंत्री को 10 मिनट, और अन्य सदस्यों को पांच-पांच मिनट मिलते हैं। आप निर्धारित समय से दुगुना समय लेने जा रहे हैं। मेरा सभी मंत्रियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय से अधिक समय न लें। अन्यथा, मैं सभा का कार्य नियमित करने में असमर्थ हो जाऊंगा।

श्री डी० के० बरुआ : श्रीमन्, मैं बहुत ही संक्षेप में बात कहूंगा। अधिक से अधिक तेल का उत्पादन करने और विदेशों से तेल आयात करने की हमारी नीति है। इसके लिए हमें विदेशों से बातचीत और अपने देश और अन्य देशों में खोज और खुदाई की दिशा में बढ़ रहे हैं। अधिक तेल उपलब्ध होने पर ही देश की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) **:** मंत्री महोदय ने ऐसी तस्वीर खींची है जिससे आभास होता है कि हम विदेशी ताकतों के आदेशों पर काम करते हैं। मैं जानना चाहुंगा कि विदेशी तेल कम्पनियों की मूल्य वृद्धि की मांग मान लेने पर हमें कितना घाटा होगा? मंत्रालय में सब न सही किन्तु कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो विदेशी हितों की रक्षा करते हैं। क्या आप 'रुस्तद' खनिज तेल जापान को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर बेच रहे हैं? यह बहुत कम मल्य पर बेचा जा रहा है। विदेशी तेलशोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने में क्या बाधा है? आपके मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी अवश्य है। हम चाहते हैं कि देश के हित में इस मामले की जांच कराई जाये।

श्री डी० के० बरुआ : जहां तक 'रुस्तम' अशोधित तेल का सम्बन्ध है, यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कम पर कभी नहीं बेचा गया। तेलशोधक कारखाने अशोधित तेल के आधार पर बनाये जाते हैं। यही कारण है कि एक

तेलशोधक कारखाना दूसरे से भिन्न होता है। अब हमें इराक से बहुत अधिक मात्रा में अशोधित तेल मिला है, इसलिए हमें उस तेल के शोधन हेतु अपने वर्तमान तेलशोधक कारखानों में अपेक्षित परिवर्तन करने होंगे। 'रूस्तम' तेल की मात्रा केवल 5 लाख टन है, जो हमें उपलब्ध है। इस थोड़ी मात्रा के लिए तेलशोधक कारखाने में परिवर्तन करने से लाभ नहीं है क्योंकि वह अधिक महंगा पड़ता है। जहां तक पाइप लाईन से सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्ध है उनके बारे में जांच आयोग द्वारा जांच की जा रही हैं। यदि किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कुछ निश्चित आरोप हैं तो उनके सम्बन्ध में सरकार को सूचना दी जाये और सरकार उनकी जांच करेगी। मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि तेल के मूल्यों में वृद्धि पेट्रोलियम-उत्पादक देशों की मांग पर की गई है। हम असहाय भी नहीं है। अपने ही देश और विदेश में खोज और छिद्रण-कार्य के आधार पर हम अधिक तेल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार जितना तेल प्राप्त होगा उसके आगामी पांच वर्षों की मांग काफी हद तक पूरी होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (हायमंड हार्बर): मेरे विचार में वर्तमान स्थिति विदेशी साहुकारों के प्रति सरकार के पूर्ण आत्मसमर्पण का परिणाम है। 26 अगस्त, 1972 के 'इकोनोमिक एण्ड पोलीटिकल वीकली, में 'स्कटलिंग मालवीय रिपोर्ट' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें कि यह समाचार कहां तक सत्य है और क्या सदस्यों द्वारा जांच किये जाने हेतु मालवीय समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शांतिलाल समिति की सिफारिश के अनुसार पेट्रोलियम आयोग क्यों नहीं गठित किया गया है ? क्या ऐसा विदेशी एकाधिकारियों के हितों के लिये नहीं किया जा रहा है।

मेरे पास सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन है। उन्होंने कहा है कि किसी निश्चित तिथि से पहले उन्हें अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि का पता नहीं चला। उन्हें चाहिये था कि वह इसे जरा देखते। उन्हें मंत्रालय में परामर्श लेना चाहिये था।

प्राक्कलन समिति के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र में तेलशोधक कारखानों का विस्तार सरकार की अनुमति के बिना किया गया।

विश्व ख्याति के पैट्रोलियम विशेषज्ञ डा० माइकल तानजेर ने कहा है कि भारत को सभी विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये और कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए। मंत्री महोदय को डा० तानजेन की पुस्तक और उनके विचार पढ़ने चाहिये।

बर्मा शेल ने केवल विपणन से 1969 में 5.61 करोड़ रुपये और 1970 18.60 करोड़ रुपये का लाभ कमाया तथा मैसर्स कालटेक्स आयल ने 1969, 1970 और 1970 में क्रमशः 1.2 करोड़, 1.19 करोड़ और 1.18 करोड़ रुपये कमाये।

मंत्री महोदय को इसका राष्ट्रीयकरण करने में क्या अड़चन आ रही है। सरकार को चाहिये कि अशोधित तेल के आयात, शोधन आदि का राष्ट्रीयकरण करे क्योंकि वह 1979 तक करार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती।

श्री डी० के बरुआ : माननीय सदस्य ने इस प्रकार का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है मानो तेल के मूल्य के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने वक्तव्य में बताया है कि नवम्बर, 1970 से समूचे विश्व में अशोधित तेल के मूल्य बढ़ रहे हैं। तेल के मूल्य बढ़े हैं और बढ़ रहे है। अशोधित तेल के मूल्य न केवल बढ़े ही हैं अपितु बढ़ रहे हैं।

जब से मैंने कार्य भार संभाला हैं मालवीय समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। यह समिति कब गठित की गई और प्रतिवेदन कब दिया गया आदि, बातें ऐसी हैं जिन्हें माननीय सदस्य जानते हैं। इस सभा की परामर्शदात्री समिति ने दो बार चर्चा की और वह कुछ निष्कर्षों पर पहुंची।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी अपनी सिफारिशें दी हैं।

हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं और अब इसे अंतिम रूप देंगे। अतः इस प्रतिवेदना की उपेक्षा नहीं कर रहें हैं।

डा० तानजेर ने अपनी पुस्तक और लेख चार वर्ष पूर्व लिखे थे तब से लेकर अब तक बहुत परिवर्तन हो गया है और मूल्य बढ़ गए है।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, यह प्रश्न तेलशोधक कारखानों का नहीं है। हमारे समक्ष मुख्य समस्या अशोधित तेल की है। यदि हमारे पास अधिक अशोधित तेल होगा तो हम चाहें जैसे मूल उपाय कर सकते हैं।

जहां तक अशोधित तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है, श्री बसु को भी उतना ही मालूम है जितना मुझे। बी०ओ०सी० द्वारा थोड़े से अंश को छोड़कर यह पूर्णरूप से सरकारी क्षेत्र में है। गैर-सरकारी क्षेत्र का अशोधित तेल के उत्पादन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

मेरे विचार से मैं श्री बसु के सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त अनुपस्थित अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायें।

श्री जे० बी० पटनायक

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4786/73]**

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं निम्नलिखित पत्र, सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा० सां० नि० 617, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, के दिनांक 29 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 874 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4787/73.]**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

34वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री के०एन० तिवारी (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (रसायन विभाग) पैट्रो-रसायन सम्बन्धी 34वां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
80वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन–केन्द्रीय सरकार (सिविल)–सीमा शुल्क सम्बन्धी राजस्व प्राप्तियों के अध्याय 2 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 80वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
30वां और 33वां प्रतिवेदन

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति, के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) सरकारी उपक्रमों में कार्मिक नीतियां और श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के सम्बन्धों के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 30वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय तेल निगम (पाइप लाइन डिविजत के सम्बन्ध में समिति के 66वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS
11वां और 12वां प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समितियों के लिए निर्वाचन
ELECTIONS TO COMMITTEES
प्राक्कलन समिति

श्री के०एन० तिवारी (बेतिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कालन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लोक लेखा समिति

श्री सेज़ियान (कुम्बकोणम): मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री सेज़ियान : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1973 सेआरम्भ होने वाले तथा 20 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृता हुआ
The motion was adopted

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रकिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) में अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) में अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री अमृत नाहाटा : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 5 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 5 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

दिल्ली में टेक्सटाइल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के बारे में
RE: STRIKE BY TEXTILE WORKERS IN DELHI

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत कुछ सूचनायों पर अनुमति दे दी है। मैं एक के बाद एक सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा।

Shri Shashi Bhushan (Delhi South) : What about Call-Attention. It is an important matter for Delhi. 30,000 workers of D.C.M. are on strike.

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ सदस्यों को अनुमति दी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहूंगा कि इस विषय पर ध्यानकार्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति दी जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मैं एक मिनट में अपने विचार सभा के समक्ष रख सकूं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आपको नियम 377 के अन्तर्गत सूचना नहीं देनी चाहिए थी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह तो हड़ताल समाप्त होने के बाद आ जाता।

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि इस पर मंत्री महोदय आज ही वक्तव्य दें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 11 अप्रैल से दिल्ली में कपड़ा मिलों के 27,000 श्रमिक हड़ताल पर हैं।

दिल्ली में श्रमिकों को कानपुर और बम्बई के कपड़ा-मिलों के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम पैसा मिलता है अत: अन्य मांगों के साथ-साथ उनकी मुख्य मांग यह हैं कि निर्वाह व्यय में वृद्धि के साथ-साथ मंजूरी में भी 100 प्रतिशत वृद्धि की जाये.....।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि क्या वह इस मामले में हस्तक्षेप करके उनकी मांगों को पूरा कर रहे हैं या नहीं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : इस हड़ताल को आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का समर्थन मिला है। जब उन्होंने बिड़ला, चरत राम, भरत राम गठबंधन के साथ बातचीत की तो उन्होंने श्रमिकों की मांगों को मानने से इन्कार कर दिया। हम नहीं चाहते कि बिड़ला, चरत राम और भरत राम इन मिलों का इस प्रकार प्रबन्ध चलाये। हम राष्ट्रीय-करण चाहते हैं (**व्यवधान**)।

श्री ए०पी० शर्मा (लक्सर): बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 'इंटक' जैसे मजदूर संघ को जबरदस्ती हड़ताल करनी पड़ी जो विवादों को निपटाने में संवैधानिक तरीकों में विश्वास करती है। और जिसे भरत राम, चरत राम और बिड़ला जैसे मालिकों द्वारा श्रमिकों को हड़ताल करने देने के लिए विवश किया गया। सभा को ज्ञात है कि इन श्रमिकों ने हड़ताल क्यों की ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे प्रथम श्रेणी के नगरों में श्रमिकों को जितना वेतन मिलता है उतना इन श्रमिकों नहीं दिया जाता है। अत: भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करके श्रमिकों के लाभ के लिए विवाद को निपटाये।

ढुबरान और अहमदाबाद स्थित बिजली घरों को आर० एफ० ओ० की कम मात्रा में सप्लाई करने के बारे में

RE: REDUCED SUPPLY OF R.F.O. TO DHUWARAN AND AHMEDABAD POWER PLANTS

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं मे कई स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से श्रमिक 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग के उत्पादन में हानि और बेरोजगारी हुई है । मैं पैट्रोलियम और रसायन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और सौहार्दपूर्ण समझौता करने की दृष्टि से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन करें ताकि गुजरात के विद्युत संयंत्रों में और अधिक हानि न हो ।

गुजरात के विद्युतचालित करघा उद्योग को यार्न की सप्लाई न होने के बारे में

RE: NON SUPPLY OF YARN TO POWERLOOM INDUSTRY IN GUJARAT

श्री० पी० एम० मेहता (भावनगर): जब से सरकार ने धागे पर नियंत्रण लागू किया है तभी से गुजरात तथा अन्य राज्यों में 'पावरलूम' उद्योग को धागा नहीं दिया गया है जिससे गुजरात में 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और एक सप्ताह में इतने ही श्रमिक और बेरोजगार हो जायेंगे ।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह 'साइण्ड बीम' और मोटे धागे को नियंत्रण से मुक्त कर दे और इस संकट को समाप्त करने के लिये गुजरात तथा अन्य राज्यों में 'पावरलूम' उद्योग को 'साइण्ड बीम' और मोटा धागा उपलब्ध कराये ।

श्री बीनेन भट्टाचार्य : दिल्ली के कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के बारे में श्रम मंत्री वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह वक्तव्य देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । श्रम मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में बहुत से सदस्य भाग लेना चाहते हैं । मैंने विरोधी दलों के नेताओं से भी सलाह ली है । हम आपसे अनुरोध करते हैं कि समय 3 घंटे और बढ़ाया जाये । जिसका अर्थ यह हुआ कि मंत्री महोदय को उत्तर देने हेतु लगभग 5 बजे म० प० पर बुलाया जा सकेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु श्रम मंत्री वक्तव्य दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जब 377 के अन्तर्गत प्रस्ताव गृहीत किया जाता है तो मंत्री महोदय को सूचित कैसे नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय: यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है । आपने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया है । अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह वक्तव्य दें या नहीं ।

श्री बीनेन भट्टाचार्य: यदि वह वक्तव्य नहीं दे रहे हैं तो हम विरोध में सभा से बाहर चले जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि वह श्रम मंत्री को सूचित कर दें । वह दिन में जब कभी भी वक्तव्य देना चाहेंगे उन्हें वैसा करने की अनुमति दी जायेगी ।

अनुदानों की मांगें, 1973-74
DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा): माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनसे मेरे मंत्रालय को लाभ होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में सुधार करने के लिए सिंचाई आवश्यक है अतः हमारी योजनाओं में सिंचाई को उचित स्थान दिया गया है।

यह कहा गया है कि हमारे देश ने सिंचाई के क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं की है। यह ठीक है।

1951 से पूर्व छोटी, मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाओं से उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं में 57 लाख हैक्टेयर भूमि को लाभ होना था। 1951 के बाद हमने बहुत प्रगति कर ली है और 589 बड़ी और मध्यम योजनाओं में से 361 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और इसके परिणामस्वरूप 107 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इन सभी योजनाओं के पूरा होने के बाद 108 लाख हैक्टेयर तक भूमि के लिये सिंचाई क्षमता प्राप्त हो जायेगी।

1972-73 में सिंचाई परियोजनाओं पर सरकार ने 276 करोड़ रुपये व्यय किये। पूर्ण चौथी योजना के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए 953 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लेकिन चूंकि राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक जोर दे रही हैं अतः उस राशि को बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये कर दिये जाने की सम्भावना है। पांचवी योजना में इसके लिये 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी।

यह आरोप लगाया गया है कि सरकार सिंचाई योजनाओं में रुचि नहीं ले रही है। यह सच नहीं हैं। यह इस बात से स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार विशेष कल्याण योजनाएं आरम्भ कर रही है। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और विद्युत योजनाओं के लिए गहन क्षेत्रीय अन्वेषण करने हेतु 1969 में एक योजना आरम्भ की थी।

1969-70, 1970-71 और 1971-72 में सरकार ने राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में 809.68 लाख रुपये की सहायता की। 1972-73 में सरकार ने ऋण के रूप में सहायता न देने का निर्णय किया और इसकी बजाय अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया। योजना आयोग ने भी 1972-73 के दौरान 605.63 लाख रुपये की विशेष सहायता देने का निर्णय किया है। इन योजनाओं से अर्हता प्राप्त इंजीनियरों और अन्य तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

अनेक बार यह कहा जाता रहा है कि सरकार बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार अपने इन कर्त्तव्य के प्रति सजग है।

प्रत्येक बाढ़ से 67 लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित होती है जिसमें 26 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि है। इससे औसतन 88 करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो जाती है। इसके अतिरिक्त इससे मकानों, सरकारी सम्पत्ति, जन तथा पशुओं की भी हानि होती है।

सरकार ने इस सम्बन्ध में राहत कार्य किये हैं। 1954 में बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया और गत 18 वर्षों में इस सम्बन्ध में काफी काम हुआ है। हमने पांचवीं योजना में इस कार्य के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। आशा है इससे 50 प्रतिशत भूमि पर बाढ़ के प्रभाव को रोका जा सकेगा।

बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार विशेष अनुदान और ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को इसके लिए धन देती रहती है और योजनाओं को क्रियान्वित करने में तकनीकी सहायता देती रहती है।

1949 में दिल्ली में यमुना नदी में आने पर सर्वप्रथम बाढ़ की सूचना देने वाले केन्द्र की स्थापना की गई। 1968 की बाढ़ के बाद देश में बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले 6 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। 1973-74 में इस सम्बन्ध में और सुधार किये जाने की सम्भावना है।

सरकार ने बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले केन्द्रों पर 1972-73 में 65.67 लाख और 1973-74 में 94 लाख रुपये खर्च किये।

बाढ़ और बाढ़ राहत सम्बन्धी मंत्रियों की एक समिति ने सिफारिश की थी कि महत्वपूर्ण नदियों के निकट बाढ़ की पूर्व सूचना देने के केन्द्र स्थापित किए जायें। सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है।

भूमि के कटाव की समस्या केरल में सबसे अधिक है। पहली योजना के अन्त में भूमि के कटाव को रोकने के लिए दीवारें और पुलि निरोध (ग्राइन) आदि उपाय आरम्भ किये गये हैं। चौथी योजना के पहले चार वर्षों में इन कार्यों पर 652 लाख रुपये की परिव्यय किया गया।

समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बनाने के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

इसमें संदेह नहीं कि देश में बिजली की कमी है। विद्युत परियोजनाएं बहुत खर्चीली हैं। फिर भी उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हम इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति कर पाये हैं। वर्ष 1951 से पूर्व देश में 23 लाख किलोवाट बिजली उपलब्ध थी जबकि मार्च, 1972 में 170 लाख किलोवाट बिजली उपलब्ध थी।

बिजली की मांग में प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। अतः भारी मात्रा में बिजली पैदा करने के कार्यक्रमों पर भारी पूंजी निवेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ, बिजली के पारेषण और वितरण को भी हाथ में लिया जा रहा है। पन बिजली और तापीय बिजली केन्द्रों के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की दो समितियां स्थापित की हैं। उक्त समितियां विस्तार से जांच करेंगी और वर्तमान संयंत्रों में पुरानी पड़ गई मशीनरी को बदला जा सकेगा।

देश में विद्युत सप्लाई की स्थिथि में सुधार करने के लिए यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

देश में बिजली के विकास के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। हम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बिजली उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन इस बजट में हम इस प्रयोजन के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था कर रहे हैं। पांचवी पंच वर्षीय योजना में बिजली उत्पन्न करने के लिए 5700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

हम चार केन्द्रीय विद्युत परियोजनाएं आरम्भ कर रहे हैं।

1969 में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इससे उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा जो बहुत कम भूमि होने से अथवा अन्य कारणों से बेरोजगार हैं।

चौथी योजना के आरम्भ में केवल 73,722 गांवो में बिजली लगाई गई और 10.88 लाख नल कूप लगाये गये। केवल चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 75,000 गांवों में बिजली लगाई गई और 15 लाख नल कूप लगाये गये।

राज्यों ने 633 योजनाएं भेजी थीं जिनमें से 410 योजनाओं को राज्य ग्रामीण निगम ने स्वीकृति दे दी है। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम ने 28 फरवरी, 1973 तक 227 करोड़ रुपये के ऋण दिये।

अनेक राज्य ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीय औसत से कम बिजली का उत्पादन होता है। हम ने इस प्रयोजना के लिये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया है।

28 फरवरी, 1973 तक 4,753 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने की स्वीकृति दी गई। 1973-74 के लिये 250 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है और चौथी योजना में 500 लाख रुपये की लागत से 20,000 बस्तियों के विद्युतिकरण का प्रस्ताव है। पांचवी योजना में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

देश का समान दृष्टि से विकास करने के उद्देश्य से ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण योजना तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समान रूप से गावों का विकास लोगों के, विशेषकर हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में विकास और उन्हें जीवन की आवश्यक सुविधाएं जैसे पीने का पानी बिजली सड़के, आदि प्रदान करना है। उक्त योजनाएं 17 राज्यों के 26 पिछड़े सूखा ग्रस्त, बाढ़ तथा तूफानों से प्रभावित जिलों में आरम्भ की गई है। इससे बेरोजगार इंजीनियरों तथा अन्य व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। अब तक लगभग 759 गावों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है और राज्यों को समूचा व्यय सहायक अनुदानों के रूप में दिया जायेगा।

इंजीनियर गांवों में काम करने के लिये आगे नहीं आ रहे हैं।

चौथी योजना में कुल 5,862 इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। अब तक हम 3180 इंजीनियरों को रोजगार दिलाने में सफल हुए हैं।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम घाटे में चल रहा है। निगम के कार्य में सुधार करने के उपाय किये गये हैं। 53 लाख रुपये का बेकार माल बेचा गया है और मितव्ययता लाने की ओर ध्यान दिया गया है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजनाएं बनाई गई हैं। 1970-71 में जो उत्पादन 402 लाख रुपये का था वह बढ़कर 1971-72 में 443 लाख रुपये का हो गया है, और 1972-73 में उत्पादन 750 लाख रुपये का हुआ है।

निगम में 700 नियमित तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट कार्यों के लिये व्यर्थ प्रभारी कर्मचारियों को लगाया जाता है। कार्य पूरा होने पर उन्हें फालतू घोषित कर दिया जाता है और निगम उन्हें अन्य कार्यों पर लगाने का प्रयास करता है। उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाता। नियमित कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं में स्थानान्तरित कर उनकी सेवाओं को जारी रखा जाता है। उनकी छटनी करने की कोई योजना नहीं है।

श्री विदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं सदन् का ध्यान फरक्का की ओर जा रही गंगा के दाहिने किनारे के कटाव से समूचे बंगाल पर आने वाले गंभीर खतरे की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके परिणाम स्वरूप दो लाख लोगों के बेघर हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र और विशेषकर तीन बड़े नगरों के बह जाने का खतरा हो गया है। उस स्थान से, जहां भागीरथी जंगीपुर बांध की ओर जा रही है गंगा से निकलती है, इस प्रकार कटाव हो रहा है कि शायद गंगा उस स्थान को काट दे और भागीरथी नदी से मिले और दोनों ओर समूचे भागीरथी में बाढ़ आ जायेगी। यदि ऐसा होता है तो जंगीपुर मर्शिदाबाद, सांकूदाड़ा, बरहामपुर, मालदाह, और कलकत्ते जैसे नगर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सदन को इस बात की सूचना दी गई थी कि फरक्का स्थित अधिकारी जंगीपुर बांध को बचाने के लिये कुछ कटाव-विरोधी उपाय करेंगे लेकिन ऐसा इस वर्ष नहीं किया जा सका। इस बारे में जो योजनाएं तैयार की गई थीं वे तकनीकी सलाहकार समिति के पास हैं और समिति ने उन्हें पास नहीं किया है।

जहां तक पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं का सम्बन्ध है। पिछले दो महीनों से इस बारे में पश्चिम बंगाल के समाचारपत्रों में विवाद चल रहा है। पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग मन्त्री ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें कटाव-विरोधी उपायों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता देने से इनकार कर दिया है। इस बारे में हमें केवल यही उत्तर प्राप्त हुआ है कि राज्य सरकार ने कोई योजना अथवा अनुमान नहीं भेजे हैं। राज्य सरकार ने 63 करोड़ रुपये की योजना भेजी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने यह स्वीकार किया हैं कि राज्य को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए 63 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उप-मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह मामला गंगा बाढ़ आयोग की तकनीकी समिति के पास है और इसकी जांच की जा रही है और यह मामला योजना आयोग को भेजा जायेगा। अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि इस वर्ष कुछ भी नहीं किया जा सकता।

मलदा जिले में आयी विनाशकारी बाढ़ के कारण फरक्का बांध प्राधिकारियों तथा मन्त्रालय ने बाढ़ बांध बनाने का निर्णय लिया है। इस बांध के पश्चिम बंगाल के बड़े-बड़े लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। इसका दो मील भाग अभी पूरा होना शेष है। यदि इस वर्ष भी ऐसी ही बाढ़ आयी तो न जाने हम किसे दोषी ठहरायें। मंत्री महोदय हमें बर्बाद होने से बचाने के लिए उचित कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझसे प्रत्येक माननीय सदस्य के सात मिनट का समय देने का अनुरोध किया गया है ।

श्री बी०आर० शुक्ल (बहराइच) : सिचाई बाढ़ नियंत्रण और बिजली के विभागों को एक अखिल भारतीय समेकित प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये । इन्हें केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाना चाहिए । नल कूप का काम भी कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत न रख कर सिचाई और विद्युत मन्त्रालय के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये ।

यह विभाग धीमी गति से प्रगति कर रहा है । मुझे खेद है कि हम 10 या 15 पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान भी गावों में बिजली तथा सिचाई की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे । बिजली की दरों में समानता होनी चाहिये ।

उत्तर प्रदेश का उत्तर-पूर्वी भाग देश का एक अपेक्षित भाग है । नेपाल की रापती नदी पर जलकोंडी बांध बनाने के लिये सर्वेक्षण दस वर्ष पहले किया गया था । यदि जलकोंडी बांध परियोजना क्रियान्वित की जाये तो बहराइच, गोंडा, बस्ती आदि जिलों को सिचाई और बिजली की सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी ।

हमने कई जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है । बिजली की पर्याप्त सप्लाई के बिना, देश में उद्योगों का विकास नहीं हो सकता । औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित जिलों को बिजली सप्लाई करने की व्यस्था की जानी चाहिए ।

बाढ़ नियंत्रण के बारे में जितना कम बोला जाये उतना ही अच्छा है । हमने बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये बहुत कम प्रयत्न किये है ।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua): Provision of irrigation facilities through out the country is necessary for increasing food production. Small dams and tube wells can cater to the irrigational requirements. The entire water of Narmada, Krishna, Godavari etc. is following to the ocean which in fact, should have been utilised for irrigation purpose sufficient provision of wells, tube wells and small river projects should be made in the areas which are not covered under big projects. There is only seven per cent of irrigated land in a big state like Madhya Pradesh. The Narwada and Bansagar projects are still pending. The electricity play a great role in the production of foodgrain. A number of rural areas are still without electricity. The backward areas shoud be given preference in the matter of development. Maximum facilities should be provided to the farmers.

Shri E. V. Vikhe Patil (Kopargaon) : I support these demands. The industrial and agricultural production is likely to decline due to shortage of power. The projects of irrigation and power have never been completed in time due to one are the other technical lacuna. Government will have to generate power at all costs. There is no proper planning for power. There should be integrated development planning during Fifth Five Year Plan.

Only 22 major projects have been completed out of the total 96 projects which were taken up which speaks of the fact that our progress is very slow. We should take up medium projects for providing irrigation facilities. The delay in completion increases the cost of projects which imposes a burden on our national economy. The causes of delay should be investigated.

I doubt whether we will be able to achieve the target of irrigation and power fixed for the current year. The funds allocated by the central Government to the State Governments are generally surrendered which is not good. We should find out as to why the funds are surrendered. There should be an integrated development planning. A coordination committee should be set up by integrating irrigation and agriculture maximum use of underground water and canal water should be made for irrigation purposes.

There are inter-state river disputes. I will support the idea of creating national grid for water. There should be uniformity in electricity and water rates throughout the country.

There is a hydo-electrical project in my constituency. This project should be cleared as early as possible by the Centre. The financial yardstick needs to be relaxed in favour of my draught striken State. The second stage approval may be accorded to the Kupri Project.

Some political decision should be taken on inter-state river disputes which will benefit the draught striken State.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The work of Gandak Project is going on slowly. Rs. 151 crores have so for been spent on Gandak and only 2.5 lack acres of land has been irrigated. The farmers should get water after the completion of projects.

The Hon. minister should fulfil the commitment made at Jaipur regarding diversion of canal.

Compensation has not been paid in a number of cases which should be paid at the earliest.

There is a Baganati Project in our area, execution of which is being delayed with the result that people will not benefit out of it.

The average of electricity in North Bihar is lowest in the country. Some steps should be taken for the proper electrification of this region.

There was some talk about the construction of dam on Masan river but nothing constructive is being done in this direction. Some steps should be taken in this behalf.

There should be a national grid for water also. Both water and electricity should be covered under national grid (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अधिक समय लेते हैं तो आपके सहयोगियों को कम समय मिलेगा।

Shri Bibhuti Mishra : You should do equal justice to all.

सदस्य का निधन

DEATH OF MEMBER

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक दुखद समाचार की सूचना दे रहा हू। हमारे सहयोगी श्री तेजा सिह स्वतंत्र की मृत्यु विलिंगडन अस्पताल में हो गई है। निधन संबंधी उल्लेख सोमवार को किये जाएंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि सन्तप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में यह सभा मेरे साथ शरीक होती है।

दिवंगत सहयोगी के समान में सदन सोमवार 11 म०प० तक के लिए स्थागित होता है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 16 अप्रैल, 1973/चैत्र 26, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha than adjourned till eleven of the clock on Monday, April 16, 1973/ Chaitra 26, 1895 (Saka).

MGIPNLK—6/Lok Sabha/73—17-7-73—490 Copies.